# लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २५, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXV, 1964/1885 (Saka)

[ १० से २१ फरवरी, १९६४/२१ माघ से २ फाल्गुन, १८८५ (शक) ]

**[ February 10 to 21, 1964/Magha 21 to Phalguna 2, 1885 (Saka)]**

Preservation Unit
Fumigated
On 27-5-92
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

(Vol. XXV contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

2253(Ai LSD—1

## विषय-सूची

**श्रंक ८—बुधवार, १९ फरवरी, १९६४ / ३० माघ, १८८५ (शक)** पृष्ठ


प्रश्नों के मौखिक उत्तर ५५७—८०

***तारांकित**
**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| १७९ | प्रविधिज्ञों की कमी . . . . | ५५७—६० |
| १८० | अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी . . . | ५६०—६१ |
| १८१ | अखिल भारतीय महिला सम्मेलन . . . | ५६०—६१ |
| १८२ | सतर्कता निकाय . . | ५६१—६२ |
| २०० | भ्रष्टाचार . . . . . | ५६२—६३ |
| १८३ | परीक्षाओं में असफलतायें . . . . | ५६३—७१ |
| १८४ | उड़ीसा में भारतीय प्रशासन सेवा के एक अधिकारी के घर की तलाशी . . . . . | ५७१—७३<br>५७३—७९ |
| १८५ | माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए रेडियो तथा टेलीविज़न | ५७९—८० |

प्रश्नों के लिखित उत्तर . ५८१—६०५

**तारांकित**
**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| १८६ | "अग्रेनयन नियम" | ५८१ |
| १८७ | भारत प्रतिरक्षा नियम . | ५८१ |
| १८८ | ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिकित्सा-स्नातक | ५८२ |
| १८९ | उर्वरक कारखाना, विशाखापटनम | ५८२ |
| १९० | कोचीन में तेल शोधक कारखाना . . | ५८२—८३ |
| १९१ | विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श विधान . . . | ५८३ |
| १९२ | फिल्म स्टूडियो की तलाशी . . . | ५८३ |
| १९३ | भारत और कुवेत के बीच सहयोग . | ५८४ |
| १९४ | कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना . | ५८४ |
| १९५ | कोचीन में तेल शोधक कारखाना . . . | ५८५ |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

| Subject | PAGE |
|---|---|

*No.* 8 *Wednesday, February* 19, 1964/*Magha* 30, 1885 (*Saka*)


ORAL ANSWERS TO QUESTIONS . . . . . . 557—80

**Starred Question Nos.*

179. Dearth of Technical Hands . . . . . . . 557—60
180. Hindi in non-Hindi Speaking Areas . . 560—61
181. All India Women's Conference . . . 561—62
182. Vigilance Bodies . . . 562—63
200. Corruption . . 563—71
183. Failures in Examinations . . . . 571—73
184. Search of the House of an I.A.S. Officer in Orissa . 573—79
185. Radio and Television for Secondary School Students 579—80

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS . . 581—605

*Starred Question Nos.*

186. Carry Forward Rule . 581
187. Defence of India Rules . . 581
188. Medical Graduates for Rural Areas 582
189. Fertilizer Factory, Vishakhapatnam . . 582
190. Oil Refinery at Cochin . . . . 582—83
191. Model Legislation for Universities . 583
192. Searches of Film Studios . . . . . 583
193. Indian-Kuwait Cooperation . . . 584
194. Separation of Executive from Judiciary . 584
195. Cochin Refinery . . . . . . . . . 585


* The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)


| तारांकित प्रश्न संख्या | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| १९६ | सरकारी अधिकारियों के निवास स्थानों की तलाशी | ५८५—८६ |
| १९७ | विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए वार्षिकी | ५८६ |
| १९८ | रसायन कारखाना, पनवल | ५८६—८७ |
| १९९ | उप-कुलपत्तियों का चुनाव | ५८७ |
| २०१ | समाज कल्याण सम्बन्धी आयोजना परियोजना | ५८७ |
| २०२ | इंजीनियरिंग कर्मचारी | ५८८ |
| २०३ | दिल्ली में लद्दाखी बुद्ध विहार | ५८८ |
| २०४ | प्रशासनिक न्यायाधिकरण और महासमाहर्ता | ५८८ |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | | |
|---|---|---|
| ३५७ | न्यायालयों के अवमान सम्बन्धी विधान | ५८८—८९ |
| ३५८ | धातुकार्मिक तथा रासायनिक इंजीनियर | ५८९ |
| ५९ | दिल्ली में पानी के कनेक्शन | ५८९ |
| ३६० | भारतीय विदेश सेवा के लिए व्यक्तित्व की परीक्षा | ५८९ |
| ३६१ | डूम डूम क्षेत्र में तेल का कुआं | ५८९—९० |
| ३६२ | मोटवाने प्राइवेट लिमिटेड | ५९० |
| ३६३ | लक्कादीव में तेल | ५९०—९१ |
| ३६४ | अपराध विज्ञान | ५९१ |
| ३६५ | ज़मीन का मुआवजा | ५९१—९२ |
| ३६६ | उच्च अध्ययन के लिए दिल्ली में सांयकालीन कालिज | ५९२ |
| ३६७ | लड़कियों की शिक्षा | ५९२—९३ |
| ३६८ | सेवा निवृत्त अध्यापकों की प्रतिभा का उपयोग | ५९३ |
| ३६९ | विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच सम्पर्क | ५९३—९४ |
| ३७० | मानव शास्त्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अनुसन्धान | ५९४ |
| ३७१ | रासायनिक उर्वरक | ५९४—९५ |
| ३७२ | पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए रियायतें | ५९६ |
| ३७३ | जजों को हटाने के लिए विधान | ५९६ |
| ३७४ | केरल हिन्दी प्रचारिणी सभा | ५९६ |
| ३७५ | दिल्ली में उपेक्षित स्त्रियों का पुनर्वास | ५९७ |

Subject PAGE

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

*Starred Question Nos.*


| | | |
|---|---|---|
| 196. | Searches in Officers' Residences | 585—86 |
| 197. | Annuities for University Teachers | 586 |
| 198. | Chemical Factory, Panwal | 586—87 |
| 199. | Election for Vice-Chancellors | 587 |
| 201. | Plan project on Social Welfare | 587 |
| 202. | Engineering Personnel | 588 |
| 203. | Ladakhi Buddha Vihar in Delhi | 588 |
| 204. | Administrative Tribunals and Procurator General | 588 |

*Unstarred Question Nos.*

| | | |
|---|---|---|
| 357. | Legislation for contempt of Courts | 588—89 |
| 358. | Metallurgists and Chemical Engineers | 589 |
| 359. | Water Connections in Delhi | 589 |
| 360. | Personality Test for I.F.S. | 589 |
| 361. | Oil Well in Doom Doom Area | 589—90 |
| 362. | Motwane Private Ltd. | 590 |
| 363. | Oil in Laccadives | 590—91 |
| 364. | Criminology | 591 |
| 365. | Compensation Awards | 591—92 |
| 366. | Evening Colleges for Advanced Studies in Delhi | 592 |
| 367. | Girls Education | 592—93 |
| 368. | Utilisation of Talents of Retired Teachers | 593 |
| 369. | Contacts between Students and Teachers in Universities | 593—94 |
| 370. | Researches in Humanities, Science and Technology | 594 |
| 371. | Chemical Fertilizers | 594—95 |
| 372. | Concessions for D.P.s from East Pakistan | 596 |
| 373. | Legislation for removal of Judges | 596 |
| 374. | Kerala Hindi Pracharini Sabha | 596 |
| 375. | Rehabilitation of Neglected Women in Delhi | 597 |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या


| | | |
|---|---|---|
| ३७६ | जूनियर टेक्निकल स्कूल . . . . . | ५९७ |
| ३७७ | इम्पीरियल गजेटियर . . . . . | ५९७—९८ |
| ३७८ | सोवियत तकनीकी तथा वैज्ञानिक पुस्तकें . | ५९८ |
| ३७९ | तिरुचिरापल्ली में प्रादेशिक इंजीनियरी कालिज . | ५९८—९९ |
| ३८० | विदेशी पत्रिकाओं का निर्वैध घोषित किया जाना . | ५९९ |
| ३८१ | जिप्सन की कमी . | ५९९—६०० |
| ३८२ | दिल्ली इंजीनियरिंग संस्था . | ६०० |
| ३८३ | ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा . | ६०० |
| ३८४ | मौखिक परीक्षायें . | ६००—०१ |
| ३८५ | हथियारों का आयात . . | ६०१ |
| ३८६ | गोआ निवासियों को आयु सम्बन्धी रियायतें | ६०१—०२ |
| ३८७ | मैसूर के लिए हिन्दी अध्यापक . . | ६०२ |
| ३८८ | नेपाल को भारतीय पुरातत्व सम्बन्धी अभियान . | ६०२ |
| ३८९ | सांस्कृतिक योजनाओं के लिए पंजाब को अनुदान . . | ६०२ |
| ३९० | पंजाब में पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां | ६०३ |
| ३९१ | भारतीय प्रशासन सेवा में महिलायें . . | ६०३ |
| ३९२ | पाठ्य पुस्तकों के मूल्य घटने बढ़ने का अध्ययन | ६०३—०४ |
| ३९३ | भारतीय अमरीकी विज्ञान सस्था | ६०४ |
| ३९४ | दिल्ली के आठवीं कक्षा के छात्र . . | ६०४ |
| ३९५ | दिल्ली के हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्रिंसिपल . . | ६०४—०५ |
| ३९६ | अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ें वर्गों को कानूनी सहायता . | ६०५ |
| ३९७ | दिल्ली के स्कूल में पंजाबी एक विषय के रूप में . . | ६०५ |
| ३९८ | बाल साहित्य प्रतियोगिता . | ६०५ |

**स्थगन प्रस्तावों के बारे में प्रस्ताव—**

शिलांग में कर्फ्यू लगाये जाने और सेना के बुलाये जाने की कथित घटना . ६०६—११

**ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में** . . . . ६११

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . . ६१२

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—**

छेतीसवां प्रतिवदन . . . . . . ६१२

Suject PAGE

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*


| *Unstarred Question Nos.* | | |
|---|---|---|
| 376. | Junior Technical Schools | 597 |
| 377. | Imperial Gazetteer | 597—98 |
| 378. | Soviet Technical and Scientific Books | 598 |
| 379. | Regional Engineering College at Tiruchirappalli | 598—99 |
| 380. | Proscription of Foreign Journal | 599 |
| 381. | Shortage of Gypsum | 599—600 |
| 382. | Delhi Engineering Institute | 600 |
| 383. | Education in Rural Areas | 600 |
| 384. | Viva Voce Examinations | 600—01 |
| 385. | Import of Arms | 601 |
| 386. | Age Concessions to Inhabitants of Goa | 601—02 |
| 387. | Hindi Teachers for Mysore | 602 |
| 388. | Indian Archaeological Expedition to Nepal | 602 |
| 389. | Grant to Punjab for Cultural Schemes | 602 |
| 390. | Post Matric Scholarships to Backward Classes in Punjab | 603 |
| 391. | Women in I.A.S. | 603 |
| 392. | Study of Price Trend of Text Books | 603—04 |
| 393. | Indo-U. S. Institutes of Science | 604 |
| 394. | Class VIII Students of Delhi | 604 |
| 395. | Principals of Higher Secondary Schools of Delhi | 604—05 |
| 396. | Legal Aid to Scheduled Castes and Backward Classes | 605 |
| 397. | Punjabi as a subject in Delhi Schools | 605 |
| 398. | Competition of Children's Literature. | 605 |

Re : Motion for Adjournment—

Alleged requisitoning of troops and curfew in Shillong . . 606—11

Re : Calling Attention Notice . . . . . 611

Papers laid on the Table . . . . . . . 612

Committee on Private Members' Bills and Resolutions—

Thirty-third Report . . . . . . . 612

| | पृष्ठ |
|---|---|
| प्राक्कलन समिति | |
| तैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . . . | ६१३ |
| राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहक उप-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . | ६१३—३६ |
| श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . | ६१३—१६ |
| श्री नाथ पाई . . . . . . | ६१६—१९ |
| श्री तुलसीदास जाधव . . . | ६१९—२० |
| श्री प्रकाशवीर शास्त्री . . | ६२०—२१ |
| श्री पें० वेंकटा सुब्बया . . . . | ६२१—२३ |
| श्री गुलशन . . . . | ६२३ |
| श्री बासप्पा . . . . . | ६२३—२४ |
| श्री मु० प० शिकरे . . . | ६२४—२५ |
| श्री वारियर . . . . | ६२५—२६ |
| डा० मा० श्री अणे . . . | ६२७—२८ |
| श्री नन्दा . . . . . | ६२८—३४ |
| भारतीय वायुसेना के एक विमान के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य | |
| श्री यशवन्त राव चह्वाण . . . . | ६३६ |

| | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्राक्कलन समिति** | |
| तैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . . . . | ६१३ |
| **राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहक उप-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव** . | ६१३—३६ |
| श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . | ६१३—१६ |
| श्री नाथ पाई . . . . . . | ६१६—१६ |
| श्री तुलसीदास जाधव . . . . . | ६१६—२० |
| श्री प्रकाशवीर शास्त्री . | ६२०—२१ |
| श्री पें० वेंकटा सुब्बया . . . . . | ६२१—२३ |
| श्री गुलशन . . . . . | ६२३ |
| श्री बासप्पा . . . . | ६२३—२४ |
| श्री मु० प० शिकरे . . . | ६२४—२५ |
| श्री वारियर . . . . . . | ६२५—२६ |
| डा० मा० श्री अणे . . . . . | ६२७—२८ |
| श्री नन्दा . . . . . . | ६२८—३४ |
| **भारतीय वायुसेना के एक विमान के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य** | |
| श्री यशवन्त राव चह्वाण . . . . | ६३६ |

| Subject | Page |
|---|---|
| Estimates Committee— | |
| Forty-third Report | 613 |
| Motion on Address by the Vice-President discharging the duties of President. | 613—636 |
| Shri Lal Bahadur Shastri | 613—16 |
| Shri Nath Pai | 616—19 |
| Shri Tulsidas Jadhav | 619—20 |
| Shri Prakash Vir Shastri | 620—21 |
| Shri P. Venkatasubbaiah | 621—23 |
| Shri Gulshan | 623 |
| Shri Basappa | 623—24 |
| Shri Shinkre | 624—25 |
| Shri Warior | 625—26 |
| Dr. M. S. Aney | 627—28 |
| Shri Nanda | 628—34 |
| Statement regarding missing I.A.F. aircraft.— | |
| Shri Y. B. Chavan. | 636 |

# लोक-सभा

# LOK SABHA

बुधवार, १९ फरवरी, १९६४ / ३० माघ, १८८५ (शाक)

*Wednesday, February 19, 1964/Magha 30, 1885 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**प्रविधिज्ञों की कमी**

\+
*१७९. श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक-सेवा आयोग ने अपने पिछले प्रतिवेदन में, चिकित्सीय, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक तथा अध्यापन पदों को भरने के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों के मिलने में अभी तक पेश आ रही कठिनाई पर भारी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने (एक) इंटरव्यू द्वारा भरे जाने वाले बहुत से डाक्टरों, इंजीनियरों, टैक्निकल व्यक्तियों तथा अध्यापकों के पदों, (दो) इंजीनियरिंग सेवा इलेक्ट्रानिक्स परीक्षा और (तीन) धातु विद्या की योग्यता वाले

पदों के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों के मिलने में होने वाली कठिनाई की ओर ध्यान दिलाया है।

(ख) और (ग). कुल पदों में से ६ प्रतिशत से कम पद नहीं भरे जा सके हैं। हाल क वर्षों में सरकार ने तकनीकी विषयों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधायें बढ़ाने के लिये अनेक उपाय किये हैं ताकि ऐसे लोग अधिक संख्या में मिल सकें। प्रक्रिया संबंधी भी कुछ सुधार किये गये हैं। उनका ब्योरा इस प्रकार है: (क) इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी पदों के लिये एकमुश्त भरती, (ख) जिन पदों के लिये उम्मीदवारों की कमी है, उनके लिये लगातार भरती, (ग) कुछ स्तरों पर व्यावहारिक अनुभव की शर्त को हटाना। इस मामले के कुछ पहलुओं पर संघ लोक सेवा आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों की सलाह से विचार किया जा रहा है।

**Shri Bishan Chander Seth:** There is dire lack of technical education in our country. The general education imparted in the country yields no other result except this that the boys should go from pillar to post for jobs. Difficulties are increasing in every field in our country because technical hands are not available. I want to know what action Govt. is taking to overcome these difficulties and fulfil the reguirements in this regard.

**Mr. Speaker:** After making a statement the hon. Member has asked what Govt. is doing in this regard. He has not asked for any specific information. So far as this question is concerned that all our men are not absorbed, we should set up more industries and give greater facilities for that. It is a very comprehensive question which in reply, requires a long speech.

**Shri Bishen Chander Seth:** I want to know only this whether Government has in hand any scheme to meet the shortage of technical hands in our country.

**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि क्या तकनीकी व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है।

**श्रीमती चंद्रशेखर :** मैंने अपने उत्तर में यह बताया है कि सरकार तकनीकी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कदम उठा रही है। सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप १९५१ से लेकर आज तक इंजीनियरिंग के स्नातकों की संख्या में लगभग ४०० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इंजीनियरिंग के डिप्लोमाधारियों की संख्या में लगभग ५०० प्रतिशत वृद्धि हुई है। चिकित्सा शिक्षा के बारे में वृद्धि लगभग २०० प्रतिशत हुई है। यह सब वृद्धि तकनीकी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप हुई है।

**Shri Yashpal Singh:** Is it a fact that this patriotic Government has imparted technical training in a foreign language the result of which is that our youngmen have neither been able to secure that training nor express themselves; if so, what is being done by the Government to remove this difficulty ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** मेरे विचार से यह सही नहीं है।

**श्री हेम बरुआ :** सरकार द्वारा चलाये जाने वाली इन संस्थाओं में इंजीनियरिंग तथा प्रविधिक प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों से यह कहा है कि वे तकनीकी तथा इंजीनियरिंग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने संबंधी सुविधाओं का विस्तार करें?

**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जी, हां। जनशक्ति निदेशालय ने इस दिशा मे कदम उठाया है।

**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : माननीय उपमंत्री जी ने कहा कि इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी पदों के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों के मिलने में जो कठिनाई है उस पर संघ लोक सेवा आयोग ने चिन्ता प्रगट की है। परन्तु मैंने हाल ही मे समाचारपत्रों में इस आशय का एक समाचार पढ़ा है, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के समाचारपत्रों में, कि काफी संख्या मे इंजीनियर नौकरी नहीं पा सके हैं। इस बात का उनके पास क्या स्पष्टीकरण है कि एक ओर तो संघ लोक सेवा आयोग यह कहता है कि योग्यता-प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तथा दूसरी ओर समाचारपत्रों में ऐसे समाचार आ रहे हैं कि योग्यता-प्राप्त इंजीनियरिंग व्यक्तियों को नौकरियां नहीं मिल रहीं हैं ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जी, हां। इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग जैसी इंजीनियरिंग की कुछ शाखाओं में योग्यताप्राप्त व्यक्तियों की बहुतायत है तथा ऐसे व्यक्ति बेरोजगार हैं। यह इस कारण हैं कि सरकारी क्षेत्र के मुकाबले गैर-सरकारी क्षेत्र में इन व्यक्तियों को अधिक वेतन मिलता है। जनशक्ति निदेशालय ने संबंधित नियोजक मंत्रालयों तथा विभागों के साथ इस बात के बारे में भी विचार विमर्श किया है कि यह चीज किस प्रकार से ठीक की जाये।

**डा० सरोजिनी महिषी** : १९६३ के अन्त तक वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में "पूल आफिसर्ज" की कितनी संख्या थी ? "पूल आफिसर्स" से मेरा अर्थ योग्यता प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों से तथा उन व्यक्तियों से है जिनको केन्द्र सरकार, जब तक उनको उचित नौकरियां नहीं मिलती हैं, वेतन दे रही है।

**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : जब एक महिला उत्तर दे रही हैं, तो सभी महिलायें प्रश्न पूछ रहीं हैं।

**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के पास लगभग २०० सिविल इंजीनियरों की कमी है और इसका कारण यह है कि उनको कम वेतन मिलता है ? यदि ऐसा है, तो केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या करने का विचार है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मैंने अपने उत्तर में पहिले ही इस बात को स्वीकार किया है।

**श्रीमती सावित्री निगम** : माननीय मंत्री जी ने कहा है .....

**अध्यक्ष महोदय** : यह दो महिलाओं के बीच का विवाद है। वे इसका निपटारा सभा से बाहर कर सकती हैं।

**श्रीमती सावित्री निगम** : मैं जानना चाहती हूं .....

**अध्यक्ष महोदय** : अब वह मुझ पर कुछ दया करें।

**श्री हेम बरुआ** : जब विवाद दो महिलाओं के बीच मे है तो मध्यस्थता किसी पुरुष द्वारा की जानी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री हेम बरुआ को इस मामले में मध्यस्थता करने के लिये नहीं कहूंगा।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या यह कमी तकनीकी तथा प्रौद्योगिकीय संस्थाओं तथा चिकित्सा कालेजों के अध्यापन व्यवसाय में अनुभव की जाती है अथवा सरकार के कार्यपालक विभागों में भी

इतनी ही कमी है ? यदि यह कमी दोनों में ही अनुभव की जाती है तो सरकार इन विभागों में इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** कमी अध्यापन तथा कार्यपालिका क्षेत्र दोनों में ही है। इस कमी को पूरा करने के लिये मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में स्थानों की संख्या बढ़ाने के हेतु विभिन्न उपाय किये गये हैं। हमारा विचार नियतकालिक परीक्षायें अधिक करने का भी है। हम व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि भी कम करेंगे और या चिकित्सा स्नातकों के लिये इसको बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे।

### Hindi in Non-Hindi Speaking Areas

***180. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tendency to learn Hindi is on the increase in the non-Hindi speaking States ;

(b) whether it is also a fact that for giving encouragement to this increasing tendency, sufficient colleges with Hindi medium do not exist in those States ; and

(c) if so, whether special measures are being taken in this direction and whether any scheme has been formulated for the purpose?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education Shri Bhakt Darshan :** (*a*) to (*c*). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See No. LT*-2326/64.]

**Shri Prakash Vir Shastri :** It appears from the statement that Hindi has been made a compulsory subject in varying standards in almost all the States of India except Madras. In view of the fact that Hindi becomes a compulsory subject from fourth standard in certain States while in other States from the sixth or eighth standard, I want to know whether the Central Government has communicated to all the State Governments to bring apart uniformity in it; if so, the results thereof.

**Shri Bhakt Darshan :** No doubt, the teaching of Hindi in different States starts in different classes. Many a time recommendations have been made in this connection in the Education Ministers' Conference and an attempt has been made to introduce uniformity. But, as is known to the House, State Governments are independent in this respect and they take their own decisions but our efforts shall continue.

**Shri Prakash Vir Shastri :** Talking about a Hindi-medium University in South India the ex-Education Minister, Dr. Shrimali, had once said that Mysore Government had written to the Centre to set up a Hindi-medium University in that State at Gulbarga. I want to know how far that thing proceeded, at what stage it is at present and why it is hanging fire.

**Shri Bhakt Darshan** : At present I have no information regarding this but it seems that that idea has been postponed. I do not have the facts in this respect.

**Shri Kashi Ram Gupta** : Does Govt. intend to advise the Madras Govt. that Hindi should be made compulsory there?

**Shri Bhakt Darshan :** Madras Govt. has been consulted in this respect many a time. They have highlighted the peculiar conditions there as a result of which they have not been able to make Hindi compulsory legally but arrangements have been made there so that maximum possible students should learn Hindi and the fact is that large number of students there are learning Hindi.

**श्री वारियर :** मैं क्या जान सकता हूं कि क्या हिन्दी के इन अध्यापकों को वेतन, भत्ते तथा पदोन्नति के मामले में अन्य अध्यापकों के समान ही समझा जाता है ?

†**श्री भक्त दर्शन :** मैं यह तत्काल ही नहीं बता सकता।

**Shri Bibhuti Misra :** Are there any voluntary associations, on the pattern of Hindi Prachar Sabha set up in South India by Mahatma Gandhi for the propagation of Hindi, which are working for the cause of Hindi ?

**Shri Bhakt Darshan :** Yes Sir, the voluntary associations for the propagation of Hindi are doing excellent work in the country. First of all there is the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha in regard to which a bill is to be shortly introduced in this House.

**Shri Tyagi :** It is highly essential for the propagation of Hindi that the indi-knowing people also should acquaint themselves with the southern languages. May I know whether Government has taken any steps in this direction also or published books from which they can acquire knowledge of the languages of South India ?

**Shri Bhakt Darshan :** So far as the teaching of South Indian languages in Hindi-speaking States concerned, many times it has been stressed upon them and some progress has also been made. As regards the publication of books, I think no special action has been taken so far but the suggestion given by the hon. Member would surely be considered.

**Shri Bade :** Is it a fact that some of the Southern States have indicated that they do not have adequate money and there fore the Centre should help them ?

**Shri Bhakt Darshan :** As has previously been stated by the Education Minister, Shri Chagla, in this House, we have assured all the State Governments that all the expenditure on the teaching of Hindi shall be borne by the Central Govt. What more we can do.

**Shri R. S. Pandey :** How many of such associations have been recognised by the various States as are working for the propagation and expansion of Hindi in non-Hindi States ?

**Shri Bhakt Darshan :** It would be a long list. The hon. Member may give a separate notice if he so likes.

## अखिल भारतीय महिला सम्मेलन

\+

*१८१. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा लड़कियों तथा स्त्रियों के विषय में हाल ही

में आयोजित एक गोष्ठी में किन किन विषयों पर चर्चा की गई थी तथा क्या प्रस्ताव किये गये थे ; और

(ख) इन सुझावों को देखते हुये सरकार द्वारा क्या निर्णय किये गये हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २३२७–६४]

(ख) इस गोष्ठी ने जो सिफारिशें की हैं, उन्हें विचार तथा उपयुक्त कार्यवाही के लिये समुचित अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। अधिकांश सिफारिशों का संबंध राज्य सरकारों से है।

**Shri Yashpal Singh :** What is the total expenditure to be incurred on this scheme ? How much would be spent on implementing these recommendations ?

**Shri Bhakt Darshan :** I may tell the hon. Member that there is no question of any expenditure in these recommendations. If at all there is to be any expenditure, that is the concern of the State Governments. As I have already stated, these recommendations are for the State Governments and they have been sent to them. They are considering the recommendations.

**Shri Yashpal Singh :** What is the total amount earmarked for women educations ?

**Shri Bhakt Darshan :** I am afraid the hon. Member has not fully understood the original question while drafting it. A seminar was held by non-official women societies and they have made certain recommendations which have been forwarded to the State Governments and are under consideration.

**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि इस प्रश्न के साथ ही प्रश्न संख्या २०० भी ले लिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि मंत्री जी के लिये यह सुविधाजनक हो, तो वे दोनों प्रश्न का एक साथ उत्तर दे सकते हैं।

**श्री त्यागी** : उनका प्रश्न "भ्रष्टाचार" के बारे में है।

**श्री हजरनवीस** : श्रीमान् जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

## सतर्कता निकाय

\+

श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री शिव चरण गुप्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
*१८२. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हेम राज :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री केप्पन :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री सिद्धय्या :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने भी राज्य स्तर पर सतर्कता निकाय स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या राज्यों के गृह-मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा क्या प्रगति की गई है ? हजरनवीस

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हरजनवीसे) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग बनाने का निर्णय किये जाने के बाद संघ गृह-कार्य मंत्री के कहने पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा गृह-मंत्रियों की २८-१२-१९६३ को हुई एक बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था। बैठक में केन्द्रीय सरकार के निर्णय का सामान्यतः स्वागत किया गया। उसके बाद राज्य सरकारों को लिखा गया है कि वे भी ऐसे निकाय बनायें। तीन राज्य सरकारों ने सिद्धान्त रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सूचना दी है तथा एक राज्य सरकार ने सतर्कता आयोग बनाने का निर्णय कर लिया है । एक राज्य सरकार ने बताया है कि उसने सतर्कता तथा भ्रष्टाचार रोक निदेशालय बनाने का निर्णय किया है जिसका निदेशक पुलिस का एक वरिष्ठ डिप्टी इन्स्पैक्टर जनरल होगा। एक अन्य सरकार ने सूचित किया है कि वह मामले पर विचार कर रही है। अन्य राज्यों से उत्तर का प्रतीक्षा की जा रही है।

### भ्रष्टाचार

+

श्री विभूति मिश्र :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भागवत झा आजाद :

श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यवन :
श्री भो० प्र० यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री कोल्ला वेंकया :
श्रीमती सावित्री निगम :
*२००. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री उमा नाथ :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री महेश्वर नायक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :
श्री हेम राज :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दे० जी० नायक :
श्रीमती विमला देवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री गुलशन :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या गृह-कार्य मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ को तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ के उत्तर

के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार की समस्या को हल करने तथा ईमानदारी बनाये रखने के लिये और क्या कोई कार्यवाही की गई है?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस):** एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग बनाने का निर्णय किया गया है तथा श्री नित्तूर श्रीनिवास राय को नियुक्ति अधिपत्र दे दिया गया है। ऐसी आशा है कि वे १६ फरवरी को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का पद-भार संभाल लेंगे। गृह-मंत्री जी ने राज्य के मुख्य मंत्रियों तथा गृह मंत्रियों के साथ बातचीत की थी तथा राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे इस प्रकार के संगठन स्थापित करें। गृह मंत्री जी ने सचिवों तथा विभागाध्यक्षों की एक बैठक में भी इस समस्या के बारे में बातचीत की थी। स्वैच्छिक संगठनों ने, जिनसे सहयोग देने के लिये कहा गया था, एक "संयुक्त सदाचार समिति" स्थापित करने का निर्णय किया है तथा समिति के संगठनात्मक ढांचे तथा कार्यकरण सम्बन्धी व्यौरा तैयार किया जा रहा है। गृह-मंत्री जी ने व्यापार तथा उद्योग के कुछ नेताओं के साथ भी बातचीत की है तथा उनसे कहा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये वे अपना सहयोग प्रदान करें। प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी विभाग, जो कि शीघ्र ही बनाया जाने वाला है, प्रशासनिक विलम्ब की समस्या पर विशेष रूप से ध्यान देगा जो कि भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों में से एक है। संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर, जिनके शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिये अग्रेतर आयोजित कार्यवाही की जायेगी।

**Shri Bibhuti Mishra :** May I know whether Government have given any instructions to the Vigilance Committee for preventive and curative measures ?

**श्री हजरनवीस :** केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किये जाने वाले कृत्यों का एक पूरा विवरण पहिले ही सभा के सम्मुख रख दिया गया है। इसके द्वारा किये जाने वाले कार्य सम्बन्धी विस्तृत बातें एक प्रश्न के उत्तर में बताना सम्भव नहीं है। मोटे तौर पर योजन यह है कि आयुक्त स्वतंत्र रूप से जांच किया करेगा तथा यदि वह यह अनभव करेगा कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनको संसद को ध्यान में लाना आवश्यक है, तो वे मामले संसद् के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे।

**Shri Bibhuti Mishra :** Bribery is such a thing that neither the bribe-giver nor the bribed shows it to anybody. Has the Government set up some special department which may investigate such things and punish such persons ?

**Shri Hajarnavis :** Special Police Establishment carries on the investigations. If need be, there are special courts also where cases can be filed for speedy judgements.

**Shri Shashi Ranjan :** Government proposes to set up a Vigilance Committee. Would this Committee function only on the basis of files and other Government records or would it also have the freedom to contact people, elicit their opinion and then take any decision ?

**Shri Hajarnavis :** As far as I know, the Committee can hold the investigation in any way it likes and give its decision.

**श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या सतर्कता विभाग को भ्रष्टाचार के कारणों तथा समाज में विद्यमान बुराइयों के पता लगाने का कार्य भी सौंपा गया है और यदि हां, तो इन कारणों का पता लगाने के लिये आयोग को किस सीमा तक अनुदेश दिये गये हैं?

**श्री हजरनवीस** : एक संगठन स्थापित करने का प्रश्न सन्थानम् समिति को सौंपा गया था जिसने एक प्रतिवेदन दिया है। वास्तविक मामलों में कार्यवाही करने के लिये सन्थानम् समिति द्वारा दिये गये प्रस्तावों के परिणामस्वरूप यह बना है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या यह सतर्कता आयोग केवल उन मामलों के बारे में कार्यवाही करेगा तथा निर्णय देगा जो इसके ध्यान में आयेंगे अथवा सामान्य रूप से प्रश्न की गहराई में जायेगा तथा भ्रष्टाचार के कारणों का भी पता लगायेगा ?

**श्री हजरनवीस** : जहां तक मैं समझता हूं कि सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य निश्चित मामलों के बारे में कार्यवाही करना होगा। परन्तु यदि सतर्कता आयुक्त यह समझेगा कि सामान्य हित के किन्हीं विशेष मामलों को सरकार के ध्यान में लाना आवश्यक है तो सरकार उन पर अवश्य गौर करेगी।

**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सतर्कता निकायों के अध्यक्षों को यह अधिकार होगा कि वे जहां से भी चाहें जांच अधिकारियों को ले सकते हैं या उनसे केवल उन्हीं अधिकारियों को लेने के लिये कहा जायेगा जो कि गृह मंत्रालय अथवा भारत सरकार उनको देगी ?

**श्री हजरनवीस** : यदि आयुक्त को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं नहीं समझता कि सरकार उसको वह सहायता लेने से रोकेगी।

**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि ये सतर्कता निकाय केवल सरकारी कर्मचारियों के ही विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेंगे, राजनीतिज्ञों तथा मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की नहीं और यदि हां, तो सरकार राजनीतिज्ञों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह एक भिन्न बात है। उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री हजरनवीस** : सभा के सन्मुख रखे गये विवरण में बताया गया है कि यह इस समय केवल सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्ध रखता है। माननीय गृह मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तथा मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे समुचित कदम उठायेंगे।

**श्री त्यागी** : क्या मैं यह मानूं कि राजनीतिज्ञों के बारे में मंत्रालय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न में नहीं।

**श्री दाजी** : जो सतर्कता निकाय स्थापित किये जा रहे हैं क्या वे केवल अर्ध-न्यायिक हैं अथवा न्यायिक प्रकार के अधिकरण हैं अथवा जांच अभिकरण हैं ?

**श्री हजरनवीस** : मेरे विचार से न्यायिक कृत्य वह होता है जिसके द्वारा अधिकारों का निश्चयन तथा प्रवर्तन होता है। उस रूप में चूंकि निर्णय स्वतः ही लागू माना जायेगा, यह न्यायिक नहीं है। परन्तु परिणामों पर पहुंचने का तरीका निश्चय ही न्यायिक होगा।

**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है कि संथानम समिति ने बाद में यह सिफारिश की है कि राजनीतिक अथवा मंत्री स्तर तक होने वाले भ्रष्टाचार के प्रश्न पर भी सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ? यहां, क्या मैं मंत्री जी को मंत्रिमंडल के सदस्य एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा गत सत्र में दिये गये इस आश्वासन की याद दिला सकता

हूं कि वे मंत्री स्तर तक होने वाले भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही करने के लिये एक पृथक् व्यवस्था स्थापित करने तथा कार्य प्रणाली निश्चित करने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। जब से लेकर अब तक इस विषय में क्या किया गया है? क्या यह अभी भी विचाराधीन है? वस्तुतः क्या हो रहा है? आश्वासन दो महीने पहिले दिया गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : किसके बारे में ?

**श्री हरि विष्णु कामत** : राजनीतिक अथवा मंत्री स्तर तक होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इस प्रश्न में नहीं है।

**श्री हरि विष्णु कामत** : दूसरा प्रश्न इस प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में है।

**श्री त्यागी** : वह राजनीतिक भ्रष्टाचार है।

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। क्या मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं ?

**श्री हजरनवीस** : जैसा मैंने पहिले बताया, गृह-मंत्री जी निश्चित रूप से इस विषय पर सोच विचार कर रहे हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह बात सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की गई थी कि भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति तथा उनके बाद श्री सीतलवाद इस सतर्कता आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात में कितनी सत्यता है कि इन व्यक्तियों ने इस पद को संभालने से इंकार कर दिया ? किन व्यक्तियों से प्रार्थना की गई और उनके इंकार करने के क्या कारण थे ?

**श्री हजरनवीस** : मैं नहीं जानता कि समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट कहां तक सत्य है। यह अवश्य है कि अनेक सुझाव दिये जाते हैं तथा हमारे दिमाग में अनेक नाम आते हैं। अन्त में हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं। यह एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को लेने का प्रश्न नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या उनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया था और क्या उन्होंने इसे अस्वीकार किर दिया ?

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : और यह भी कि इसको अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

**श्री हजरनवीस** : मेरा विचार ऐसा नहीं है कि यह सही है।

**Shri Yashpal Singh :** Is it a fact that only the favoured few pensionrs are being appointed as the Chairman of these Commissions.............

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

**Shri Yashpal Singh** :...Who are themselves corrupt while the fresh I.A.S. officers are idle ? Is it not necessary to hand over the work to new men ?

**श्री हजरनवीस** : मैं इसका कड़े शब्दों में खंडन करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने पहिले ही कर दिया है।

**Shri Vishram Prasad :** When the question of Gur had arisen a few days ago,the Central Co-operative Store sold gur at Rs. 85 per quintal while its price should have been Rs. 67 only. An hon. Member of this House is the Chairman of that Store. I want to know whether the Vigilance Commission would take any action against such blackmarketing and profiteering and corrupt leaders.

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। वह एक भिन्न प्रश्न है।

**श्री बड़े** : मेरी ओर ध्यान देने का कष्ट करें। श्री माथुर ने पूछा था कि क्या भूतपूर्व न्यायाधिपति से प्रार्थना की गई या नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने "नहीं" कहा।

**श्री बड़े** : उन्होंने यह उत्तर देने से इंकार कर दिया कि क्या इसके लिये उनसे कहा गया था अथवा नहीं। यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या उनके साथ इस बारे में कोई बातचीत हुई थी।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में है कि क्या भूतपूर्व न्यायाधिपति के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था?

**श्री हजरनवीस** : जहां तक मुझे पता है--मैंने इस बात का सत्यापन नहीं किया है--मेरा विचार ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव रखा गया था। यही मैंने कहा था।

**Shri Vishram Prasad :** My question was different .......

**Mr. Speaker :** That cannot be asked.

**Shri Prakash Vir Shastri** : Replying a similar question in the last Lok Sabha the hon. Home Minister, Shri Nanda, had said that the Vigilance Commission is not the last weapon to wipe out corruption. Some more steps would have to be taken. I want to know whether any separate decisions have been taken about those cases which do not come in the purview of the Vigilance Commission; if not, when those decisions would be taken.

**Shri Hajarnavis :** As I said, it is being considered that if those people who do not come in the jurisdiction of the Vigilance Commission, were to become corrupt, some scheme should be formulated for them also. This is under consideration and we would try to find out ways and means as early as possible ; what more I can add to it.

**Shri Prakash Vir Shastri :** My question was different. Have any fresh decisions since been taken to eradicate corruption at top levels ?

**Mr. Speaker :** The hon. Minister has said that it is under consideration.

**श्री हेमराज** : राज्यों के ये सतर्कता निकाय किसके अधीन काम करेंगे, कार्यपालिका के अथवा न्यायपालिका के ?

**श्री हजरनवीस** : सतर्कता आयोगों के संगठन के बारे में राज्य सरकारें ही मुख्य रूप से निर्णय करेंगी परन्तु इन आयोगों को जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये निश्चय ही स्वतंत्र रूप से कार्य करना पड़ेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि ये कार्यपालिका के अधीन रहेंगे अथवा न्यायपालिका के ?

**श्री हजरनवीस :** जैसा मैंने पहिले दिये गये उत्तर में बताया, राज्यों के सतर्कता निकायों सम्बन्धी व्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** स्वभावतः प्रश्न है : केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बारे में क्या है ?

**श्री हजरनवीस :** योजना का व्यौरा पहिले ही सभा के सम्मुख रख दिया गया है। इसका दर्जा संघ लोक सेवा आयोग अथवा महालेखा परीक्षक के बराबर ही होगा।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य मंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान किस समय मंत्रालय ने इस पहलू पर भी विकार किया था कि उच्च स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में कार्यवाही करना केन्द्रीय सतर्कता विभाग के लिये संभव न हो सकेगा और क्या एक संविहित भ्रष्टाचार विरोधी आयोग की नियुक्ति करने के बारे में सुझाव दिया गया था जो कि राजनीतिक स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार सहित भ्रष्टाचार सम्बन्धी सभी बातों के बारे में जांच कर सके ?

**श्री हजरनवीस :** जहां तक मुझे याद है, मेरे विचार से ऐसे किसी सुझाव पर विचार-विमर्श नही हुआ ?

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** संविधान के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कुछ कृत्य तथा उत्तरदायित्व हैं तथा सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार इस सतर्कता विभाग के कर्त्तव्य तथा कृत्य केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग के कर्त्तव्यों तथा कृत्यों से टकराते है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में गौर किया है ? इन दोनों के बीच समामेलन स्थापित करने के लिये आवश्यक परिवर्तन करने के बारे में सरकार का क्या करने का विचार है ?

**श्री हजरनवीस :** इस प्रश्न का उत्तर देना इसलिये बहुत कठिन है क्योंकि आनुशासिक कार्यवाही का संघ लोक सेवा आयोग के पास उसके निर्णय के लिये जाना आवश्यक है ? कदाचित् प्रशासनिक सतर्कता आयोग भी इसी मामले की जांच करेगा। परन्तु मेरा विश्वास है कि क्षेत्राधिकारों में समामेलन स्थापित करने का कोई तरीका अन्ततोगत्वा मालूम कर लिया जायेगा ?

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा है । भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले को संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजना आवश्यक होता है। इसको निर्देशित किये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, आपको यह देखना पड़ेगा कि पूर्ववादिता किसको दी जायेगी। मान लीजिये सतर्कता आयोग एक निर्णय पर पहुंचता है तथा संघ लोक सेवा आयोग दूसरे पर। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में क्या सोचा है, उसकी क्या योजना है ?

**श्री हजरनवीस :** जैसा मैंने बताया यदि मामला अदालत में जाता है तो वह भी होता है। अदालत निर्णय करती है। परन्तु संघ लोक सेवा आयोग सतर्कता आयुक्त तथा सरकार के बीच बातचीत तथा सतत् विचार विमर्श होता रहेगा। यदि सतर्कता आयोग किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचता है, तो यह हो सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग स्वतः ही सतर्कता आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर ल। यह एक तरीका होगा जिसके द्वारा दोनों क्षेत्राधिकारों में समामेलन स्थापित किया जा सकता है।

**Shri M. L. Dwivedi :** Mr. Speaker, those who did not give notice of the question have been given the opportunity twice while I have got no chance even though I have tabled the question.

**Mr. Speaker :** I am sorry that I cannot think of all the names because about 100 hon. Members have given notice of this question.

**Shri M. L. Dwivedi :** I agree but those who did not give notice of the question have been allowed even twice while no chance has been given to those who tabled the question.

**Mr. Speaker :** I cannot keep in mind all the names.

**Shri M. L. Dwivedi :** I have given notice of the question and I have a right to ask supplementaries.

**Mr. Speaker :** It is not right to think like that.

**Shri Onkarlal Berwa :** I want to know whether the Anti-Corruption Committees set up by the Central and State Governments can investigate the cases of corruption in which Ministers are involved or a separate enquiry committee would be appointed for such cases.

**Mr. Speaker :** This question has already been asked.

**श्री शं० शा० मोरे :** क्या सतर्कता आयोग को शिकायतें सुनने का भी अधिकार होगा और क्या जांच पड़ताल के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

**श्री हजरनवीस :** यदि आयोग को प्रभावशाली बनाना है, तो मेरे विचार से इसको किन्हीं कठोर नियमो के बन्धन में नहीं डाला जाना चाहिये। प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिये जो कि नम्नशील हो तथा जिसमें सतर्कता आयोग किसी मामले की स्थिति के अनुसार रूपभेद कर सके।

**श्री पें० वें० वेंकट सुब्बया :** क्या सरकार को इस बात का पता है कि यदि सरकार इस बात का ध्यान नहीं रखेगी कि राज्यों के तथा केन्द्र के सतर्कता आयोगों के अध्यक्ष ईमानदार तथा ख्याति प्राप्त हों तो इन आयोगों में विश्वास कायम नहीं हो सकेगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है।

**Shri M. L. Dwivedi :** The hon. Minister has stated that the Vigilance Commission, U.P.S.C. and the Government would constantly consult one another. The function of the Vigilance Commission is to wipe out corruption immediately. I want to know that if the cases are to remain under consideration for three months or more how corruption would go.

**श्री हजरनवीस :** श्री माथुर द्वारा पूछा गया यह प्रश्न कि क्षेत्राधिकार में समामेलन किस प्रकार किया जायेगा एक सामान्य प्रश्न था। मान लीजिये कोई मामला सतर्कता आयोग के पास जाता है। आयुक्त साक्ष्य आदि की जांच करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति दोषी है। निश्चय ही, संघ लोक सेवा आयोग सम्पूर्ण मामले में पुनः जांच पड़ताल करना न चाहेगा बल्कि सतर्कता आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर सकता है।

**श्री रंगा :** इस प्रश्न के महत्व तथा इसकी अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए तथा इसको भी देखते हुए कि गृह मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये स्वयं ही दो वर्ष की समय-सीमा का प्रस्ताव किया है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह सुझाव दिया है कि सतर्कता आयुक्त त्रैमासिक रिपोर्ट तो अवश्य दिया करे ? यह इसलिये और भी आवश्यक है कि मैसूर में उनका गत इतिहास यह बताता है कि वहां बहुत से मामले अनिर्णीत पड़े बताये जाते हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। वह त्रैमासिक रिपोर्टों के बारे में पूछ सकते हैं।

**श्री हजरनवीस** : यह सोचा गया है कि वार्षिक प्रतिवेदन दिये जायें। इस सुझाव पर गौर किया जायेगा।

**Shri Sheo Narain :** I want to know why Government does not set up only one committee to eradicate corruption throughout the country.

**Shri Kashi Ram Gupta :** The hon. Minister has stated that the hon. Home Minister is thinking about the ministers. I want to know whether he is thinking about the present Ministers only or about the ex-Ministers also.

**Mr. Speaker :** All of them would be included.

**परीक्षाओं में असफलतायें**

†*१८३. + { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** / **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में परीक्षाओं में असफल होने वाले विद्यार्थियों की अधिक प्रतिशतता और उससे होने वाली क्षति और गतिरोध के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ;

(ख) क्या असफल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है अथवा उसमें कमी हो रही है ; और

(ग) सरकार का इस दिशा में यदि कोई कदम उठाने का विचार है तो वे क्या हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २३२८/६४]

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा मंत्री श्री चागला ने हाल ही में समस्या पर प्रकाश डाला था और चिन्ता प्रकट की, क्या मैं जान सकता हूं कि इन बातों के लिए उनके पास क्या तथ्य थे और क्या अवसर था और क्या उनके अपने कोई सुझाव हैं अथवा उन्होंने कोई कार्यवाही आरम्भ की है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे श्री चागला के वापस लौटने पर उनसे यह प्रश्न पूछें।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : दूसरा प्रश्न पूछे बिना, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय इन प्रश्नों के उत्तर व्यक्तिगत रूप से देते हैं, मैं समझता हूं कि जब कोई मंत्री जनता में वक्तव्य देता है तो वह वक्तव्य मंत्रालय की ओर से होता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : साधारणतया प्रश्न मंत्री से पूछा जाता है चाहे वह वरिष्ठ मंत्री हो अथवा कनिष्ठ मंत्री, जो भी मंत्रालय अथवा विभाग की ओर से उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हो। मंत्री महोदय यह कह सकते थे कि इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

**श्री भक्त दर्शन** : मेरा यही तात्पर्य था।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय ने इस बात की जांच कर ली है कि इस असफलता पर प्रशासनिक सुधारों से क्या आघात पहुंचे, क्योंकि यह कहा जाता है कि असफलताओं

के कारण अर्धपक्व प्रशासनिक सुधार और त्रुटिपूर्ण क्रियान्विति हैं ? मंत्रालय का क्या अनुमान है ?

**श्री भक्त दर्शन** : मुझे खेद है, मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : आपने शिक्षा के संबंध में अनेक बातें लागू कर रखी हैं उच्चतर माध्यमिक प्रणाली, शिक्षा का माध्यम आदि हैं। सामान्य जनता की यह शिकायत है कि अधिकांश असफलताओं का कारण अर्धपक्व प्रशासनिक सुधार और इस से भी खराब उनकी त्रुटिपूर्ण क्रियान्विति है। क्या कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो इन असफलताओं के लिए प्रशासनिक सुधार कहां तक जिम्मेदार हैं।

**श्री भक्त दर्शन** : मंत्रालय द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनमें से कुछ का उल्लेख विवरण में किया गया है भारत में प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्कूलों में क्षति और गतिरोध पर एक व्यापक अनुसंधान परियोजना राष्ट्रीय परिषद्, शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण द्वारा चालू की गई है, और इसके पूर्ण होने में लगभग २ वर्ष लगेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री स्वैल।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान्, एक प्रश्न।

**अध्यक्ष महोदय** : वे दो प्रश्न पूछ चुके हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरी कोई गलती न होते हुए मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

**श्री स्वैल** : क्या यह सच है कि परीक्षाओं में बड़ी असफलताओं और उसके परिणामस्वरूप क्षति का कारण शिक्षा में स्थानीय भाषाओं का लाना है जिसने कि विद्यार्थियों पर यह प्रभाव डाला है कि वे परीक्षाओं में सरलता से उतीर्ण हो सकते हैं ?

**श्री भक्त दर्शन** : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं।

**श्री स्वैल** : क्यों, कारण दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री म० ला० द्विवेदी।

**Shri M. L. Dwivedi :** It is given in the statement that :

> "माध्यमिक शिक्षा की सामान्य किस्म और परीक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम चालू किए हैं।"

I want to know the steps taken for improving the examination technique.

**Shri Bhakt Darshan :** Sir, it would be a long list......

**Shri M. L. Dwivedi :** It may be laid on the Table.

**Shri Bhakt Darshan :** One statement has already been laid on the Table of the House.

**Shri M. L. Dwivedi :** It is not there in that statement.

**Mr. Speaker :** Would you listen to the reply ?

**Shri Bhakt Darshan :** Sir, one statement has already been laid on the table of the House. If the hon. Member wants that still more detailed statement be laid, I will try to do that.

**Shri M. L. Dwivedi:** Sir, it is not given in this statement; that is why I have said so.

**Mr. Speaker :** He says that he would lay it.

**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या शिक्षा मंत्री अभी भी इन अध्ययनों और प्रतिवेदनों को जरूरी समझते हैं, जब कि सचाई यह है कि शिक्षा स्तर में गिरावट का मुख्य कारण योग्य अध्यापकों का न मिलना और पाठ्यक्रमों का सरल किया जाना है। हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के सरल बनाए जाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है ?

**श्री भक्त दर्शन** : मुझे खेद है कि मुख्य कारण इस से भिन्न है। हमारी जानकारी के अनुसार इसका मुख्य कारण माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या में वृद्धि है। उनकी संख्या को देखते हुए अध्यापकों की संख्या पर्याप्त नहीं है।

**श्री दाजी** : माननीय मंत्री के पहले उत्तर से हमें पता लगा कि इस प्रश्न पर राष्ट्रीय परिषद् विचार कर रही है और वह लगभग दो वर्ष लेगी। क्या हम इसका अर्थ यह समझें कि जब तक प्रतिवेदन नहीं दिया जाता सरकार शिक्षा की 'बरबादी' को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी।

**श्री भक्त दर्शन** : जी, नहीं। जो विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं उनको मैंने इस विवरण में बताया है।

### उड़ीसा में भारतीय प्रशासन सेवा के एक अधिकारी के घर की तलाशी

***१८४. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री ११ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ तथा ४ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को आपराधिक अभियोग तथा भारतीय प्रशासन सेवा के एक अधिकारी, जो पहले सम्बलपुर के डिप्टी कमिश्नर थे, के घर की तलाशी के बारे में सूचना भेज दी गई है ;

(ख) क्या सिराजुद्दीन एंड कम्पनी से संबंधित सभी मामलों की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ग) पूरी जांच के बाद सभी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सिराजुद्दीन एंड कम्पनी से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा दर्ज किए गए १० मामलों में से, पांच मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। एक मामले में मुकदमा चलाने के लिए अथवा नियमित विभागीय कार्यवाही करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं था और मामला संबंधित विभाग को ऐसी कार्यवाही करने के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, सौंप दिया गया है। दो अन्य मामले न्यायालय में पेश किये गए हैं और लम्बित पड़े हैं। दो अन्य मामलों में संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गयी है और आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये, पश्चिमी बंगाल सरकार को भेज दिया गया है। शेष पांच मामलों में जांच जारी है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि क्या इस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है, क्योंकि पहले उत्तर में यह कहा गया था कि उन्होंने मामला राज्य सरकार को सौंप दिया है और वे ही उनको बतायेंगे। यही कारण है कि मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या कलकत्ता में इस अधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया है और क्या यह सच नहीं है कि--क्योंकि तलाशी के दौरान कुछ ऐसे कागज जब्त किए गए हैं जिनसे कि राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य मंत्री अन्तर्ग्रस्त होते हैं--इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, यद्यपि.....

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। माननीय सदस्य एक प्रश्न में बहुत सारी बातें मिला रहे हैं।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : ये बातें तो उस प्रश्न से निकलती हैं। यह केवल एक प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : उस प्रश्न से तो बहुत सी बातें निकल सकती हैं, परन्तु वे एक अनुपूरक प्रश्न में सब को नहीं मिला सकते।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या मैं जान सकता हूं कि किन कारणवश इस अधिकारी को अभी तक राज्य सरकार द्वारा मुअत्तिल क्यों नहीं किया गया और केन्द्रीय सरकार से सूचना प्राप्त होने पर भी राज्य सरकार के ऐसा न करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**श्री हजरनवीस** : हमारे विचार में आरोप ऐसे हैं कि अधिकारी मुअत्तिल किया जाना चाहिए। हमने उड़ीसा की राज्य सरकार को अपनी राय भेज दी है। उसने अधिकारी का स्पष्टीकरण भेजा है--उसके विरुद्ध लगाये गए आरोपों का स्पष्टीकरण। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के विचार में स्पष्टीकरण को देखते हुए मुअत्तिली की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी राय में स्पष्टीकरण के बावजूद भी उसे मुअत्तिल किया जाना चाहिये। हम ये राय उड़ीसा सरकार को एक बार ही नहीं अपितु दो बार भेज चुके हैं। हमने उन्हें फिर बताया है कि उसे मुअत्तिल किया जाना चाहिए। हम उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : चूंकि माननीय मंत्री कहते हैं कि जांच पूरी हो गई है, अतः केन्द्र और राज्य दोनों के भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों के नाम जानना चाहता हूं जो कि सिराजुद्दीन की पुस्तकों में दिये गये हैं। मैं केन्द्र के भूतपूर्व मंत्रियों, उड़ीसा राज्य के मंत्रियों और विधान सभा के सदस्यों के नाम भी जानना चाहूंगा जो कि सिराजुद्दीन की किताबों में दिए गए हैं। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और क्या इन सभी व्यक्तियों के मामले में जांच पूरी हो गई है ? श्रीमन्, जिन मंत्रियों के नाम सिराजुद्दीन की किताबों में आते हैं उनमें से एक के भी घर की तलाशी प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए क्यों नहीं की गई ?

**श्री हजरनवीस** : इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि सरकार प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे सकती है तो दे दे। यदि जांच पूरी हो गई है, तो वे जानना चाहते हैं कि उसमें किनके नाम अन्तर्ग्रस्त हैं।

**श्री हजरनवीस** : जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जिन मामलों में जांच पूरी हो गई है वहां आरोप पत्र दे दिए गए हैं।

**श्री रगा** : सरकार कितने वर्ष और लेगी ?

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : पहले उत्तर में....

**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा ....

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । मैं चार माननीय सदस्यों को एक साथ प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता। जब तक मैं किसी सदस्य का नाम न लूं उसे बोलना नहीं चाहिये । यदि कोई माननीय सदस्य मेरे नाम लेने से पूर्व ही बोलना आरम्भ कर देता है तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं जैसा कि मैं ने मूल प्रश्न में पूछा है, कि क्या सरकार ने सिराजुद्दीन की किताबों के संबंध में सारे कागजों की जांच पहले से ही पूरी कर ली है । कतिपय मामलों के बारे में जांच करना एक अलग बात है। यदि उन्होंने सारे कागजों की जांच कर ली है तो मैं जानना चाहूंगा कि किताबों में किन किन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। वे कह रहे हैं कि कुछ मुकदमे चलाये गए हैं। कुछ अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया है, कुछ आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने तो अधिकारियो के विरुद्ध कार्यवाही की है। परन्तु सिराजुद्दीन की किताबों में अनेक अन्य प्रविष्टियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सभी कागजों की जांच कर ली है ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या जांच पूरी हो गई है ?

**श्री हजरनवीस** : जी, नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि जांच अभी भी जारी है तो मैं जांच करने वाले अधिकारियों को इस बात पर बाध्य नहीं कर सकता कि वे किताबों में दिए गए नामों को प्रकट करें अथवा अपनी जांच में वे अब तक जिन परिणामों पर पहुंचे हैं उनको प्रकट करें ।

**श्री रंगा** : उनको जांच करने में कितना समय लगेगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक बिल्कुल पृथक चीज है ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दो बार दी गई सलाह को उड़ीसा सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, क्या हम यह समझें कि जिनके पास राजनीतिक प्राधिकार है वे इस मामले में रुचि रखते हैं ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार न्याय के हित में क्या कदम उठाना चाहती है ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार के पास कोई प्राधिकार है ?

**श्री हजरनवीस** : मैं इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, परन्तु यदि हमारे पास ऐसा प्राधिकार है तो हम निश्चय ही अपने कर्त्तव्य की पूर्ति के लिए उस प्राधिकार को उपयोग में लायेंगे ।

**श्री त्यागी** : जहां तक मैं जानता हूं, संविधान के उपबन्धों और सरकार की प्रक्रिया के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इन प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं। फिर भी, जब उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार का उस अधिकारी को मुअत्तिल करने का अनुग्रह प्राप्त हुआ तो उड़ीसा सरकार ने न केवल उस अधिकारी को मुअत्तिल नहीं किया, अपितु उसे पदोन्नत करके उड़ीसा सरकार का सचिव बना दिया ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के सम्पूर्ण ज्ञान और अनुभव के साथ....

**श्री त्यागी** : यह ऐसा मामला है जिस पर हम सब लज्जित हैं। वहां क्या हो रहा है ?

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। इस लज्जा के अनुभव में मैं श्री त्यागी के साथ हूं। परन्तु हमें प्रश्न को उस रूप में लेना है जिस रूप में कि वह यहां उठता है। अपने अनुभव के आधार पर वे कहते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं। मेरे विचार में यदि वे राज्य सरकार के साथ काम कर रहे हैं तो उन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है न कि केन्द्रीय सरकार का।

**श्री त्यागी** : मुअत्तिली के बारे में आप क्या कहेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : मुअत्तिल भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा, न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा।

**श्री त्यागी** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया जाय कि क्या यह सच है कि मुअत्तिली की बजाय, जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने परामर्श दिया, अधिकारी को जिला मैजिस्ट्रेट के पद से राज्य सरकार के सचिव के पद पर पदोन्नति कर दिया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री इस बात को स्पष्ट करने की स्थिति में हैं ?

**श्री हजरनवीस** : मुझे पता चला है कि अधिकारी अब राज्य सरकार के सचिव के रूप में कार्य कर रहा है। मैं नहीं जानता कि यह पदोन्नति है अथवा नहीं।

**श्री त्यागी** : और आप भ्रष्टाचार समाप्त करने का दावा करते हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

**Shri P.L. Barupal :** Is it a fact that an I.C.S. officer of Rajasthan, who was on a very high post and against whom there was a serious charge of corruption, has been transferred to Delhi ? If so, has his Delhi residence been searched ?

**Mr. Speaker :** How can we shift from Orissa to Rajastan now ?

**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या कुछ समाचार पत्रों में छपा यह समाचार सच है कि सिराजु एण्ड कम्पनी ने कांग्रेस दल के अधिवेशन को २५,००० रू० का दान दिया। और यदि हां, तो क्या उस धन ने परिषद् अथवा सौदे की सब से बुरी बातों के संबंध में कार्यवाहियां को यदि दबाया नहीं है तो उस में विलम्ब अवश्य किया है ? उदाहरणार्थ, मजिस्ट्रेट ..

**अध्यक्ष महोदय** : अब वे बहुत सारी बातें ला रहे हैं। पहले वे अनुपूरक प्रश्न पूछें।

**श्री हरि विष्णु कामत** : उसके कारण ... (**अध्तर्बाधायें**)

**Shri Bibhuti Mishra :** What has this question to do with the Bhubaneswar Congress ?

**श्री हरि विष्णु कामत**: श्रीमन्, जब कार्यवाही चलाने के लिए आप यहां हैं तो वे क्यों चिल्लाते हैं ?

**An hon. Member :** It is not understandable what the hon.Member is saying.

**Shri Hari Vishnu Kamath :** We shall explain outside.

**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल प्रश्न पूछें (**अन्तर्बाधायें**)। शांति शांति। क्या हम आगे कार्यवाही करेंगे अथवा नहीं ?

**श्री त्यागी :** यदि सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं देगी . . .

**अध्यक्ष महोदय :** यदि सरकार इन प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं देती तो मैं उसे कैसे बाध्य कर सकता हूं ? सभा को अधिकार है कि वह सरकार को बाहर निकाल फेंके। क्या और भी कोई तरीका है ? मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि सभा का कार्य शांतिपूर्वक हो। यह मेरा काम है । यह सदस्यों पर है कि क्या उपचार उन्हें करना चाहिये और वे क्या करना चाहते हैं। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं ।

**श्री त्यागी :** यदि सरकार बाहर निकल जाती है तो हम भी बाहर निकल जाते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** कार्यवाही शांतिपूर्ण होनी चाहिये। यह जिम्मेदारी प्रत्येक सदस्य की है; केवल मेरी ही नहीं । सदस्यों का सहयोग प्राप्त हुए बिना मैं शांति नहीं बनाये रख सकता ।

**श्री भागवत झा आजाद :** हमारे सब्र की भी हद है । हमारा केवल यही कहना है कि हमारा सब्र तब ही टूटता है जब अनुपूरक प्रश्नों के नाम पर इस सभा के सामने लम्बे और बड़े तर्क दिये जाते हैं। यह बात कि २५,००० रुपये कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर उसे, दिये गये, सच नहीं है । परन्तु बातें अभिलेख में चली जाती हैं। इसलिए हम ऐसी बातें प्रश्नों के घंटे में नहीं सुन सकते।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे स्वयं निर्णय करने दें तो हम शायद कार्यवाही को शांतिपूर्वक चला सकते हैं। यदि वे स्वयं ही कार्यवाही करेंगे तो यह कैसे सम्भव होगा ?

**श्री भागवत झा आजाद :** यह तो आजकल का फैशन है । ऐसा केवल एक ही दिन नहीं होता । ऐसा तो सदैव होता है । हम में बहुत धैर्य है। कभी कभी हमारा धर्य भंग हो जाता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** और कोई इलाज नहीं है **(अन्तर्बाधायें)** । शांति, शांति । क्या वे आपस में लड़ना और हाथापाई करना चाहते हैं? क्या मैं उसकी अनुमति दे दूं ? **(अन्तर्बाधा)** । क्या ऐसी बातों का निर्णय लड़ाई से किया जायेगा ?

**श्री भगवत झा आजाद :** लडाई से नहीं ।परन्तु हमें इस प्रकार तंग नहीं किया जाना चाहिये ।

**श्री त्यागी :** हम आपके विनिर्णय का आदर करते हैं। परन्तु मान लीजिये हम यह कहना चाहते हैं: क्या वह रुपया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को खरीदने के लिये व्यय किया गया . . . **(अन्तर्बाधायें)** ।

**Shri Bagri :** Mr. Speaker, is the hon. Member giving you advice or order ?

**Mr. Speaker :** I will ask him. What is the hon. Member giving ? He may resume his seat. Who has allowed him to say anything ?

I may repeat that if the hon. Members start speaking of their own, no order can prevail here. No hon. Member should speak unless I have called him. If the hon. Members obstruct or start speaking before I have heard the question and before they have understood my decision, there will be no order here.

मैं श्री कामत को परामर्श दूंगा । मैं ने देखा है कि वे कई बातें मिला रहे थे। मैंने उन से कई बार ऐसा न करने के लिये कहा है । परन्तु वह फिर भी वैसा ही करते हैं। शायद वे समझते हैं कि ऐसा करने में कोई हानि नहीं है ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं आपके विनिर्णय का आदर करता हूं । पहले मैं ने पूछा कि क्या यह सच है, क्योंकि जब तक वे इसको नहीं मानते मैं आगे नहीं बढ़ सकता . . . (**अन्तर्बाधा**) उन्होंने फिर शोर मचाना आरम्भ कर दिया है । क्या समाचार पत्रों के इस समाचार में कोई सचाई है कि सिराजुद्दीन ऐण्ड कम्पनी ने कांग्रेस के भुवनेश्वर अधिवेशन को २५,००० रु० का दान दिया और यदि हां . . .

**अध्यक्ष महोदय** : उसका उत्तर आने दीजिये ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : . . . और यदि हां, . . .

**अध्यक्ष महोदय** : पहले उसका उत्तर सुन लेने दीजिये।

**श्री हजरनवीस** : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । परन्तु सरकार को अपने कर्तव्य का पालन करने से कोई चीज रोक नहीं सकती (**अन्तर्बाधा**) ।

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : हमें उसका उत्तर लने दीजिये।

**श्री हजरनवीस** : मैं ने कहा कि मैंरे पास कोई जानकारी नहीं है । मैं दान के बारेमें नहीं जानता । परन्तु सरकार को अपने कर्तव्य का पालन करने से कोई चीज नहीं रोक सकती (**अन्तर्बाधा**)

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या विशेष दान दिया गया था । सरकार को इसे लेने का प्राधिकार है अथवा नहीं एक पृथक प्रश्न है । परन्तु प्रश्न यह है . . .

**श्री हजरनवीस** : मैं दान के बारे में नहीं जानता ।

**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अधिकारी के निवास स्थान से पुलिस को जो कागजात हाथ लगे हैं उन से पता चलता है कि उड़ीस के वर्तमान मुख्य मंत्री (श्री बीरेन मित्रा का इस अधिकारी क जरिए कुछ जेवरात प्राप्त हुए और, यदि हां, तो क्या यह धर्मदान के लिये था ?

**श्री भागवत झा आजाद** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । इस सभा में यह प्रथा चली आ रही है कि जो व्यक्ति इस सभा में उपस्थित न हो उसके विरुद्ध इस प्रकार नहीं कहा जाना चाहिये। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना कि क्या उन्होंने धन लिया या नहीं। परन्तु एक राज्य के मुख्य मंत्री का नाम इस प्रकार लेना और उस पर इनकार करा लेना भी इन लोगों द्वारा अपनाया गया एक तरीका है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस से सहमत हूं कि तथ्यों का पता लगाये बिना किसी भी सदस्य अथवा नागरिक पर इस तरीके से आरोप नहीं लगाये जाने चाहियें, क्योंकि प्रश्न एसे भी निकाला जा सकता है और सम्बन्धित व्यक्ति इस प्रकार बदनाम हो जाता है । लोकतंत्र का अर्थ स्वातंत्र्य अवश्य है परन्तु अनुशासन के साथ ।

परन्तु क्योंकि जांच जारी है, इसलिये उस जांच के संबंध में प्रश्न पूछे जा रहे हैं; और यदि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है और जांच चल रही है, तो मैं किसी सदस्य को वे प्रश्न पूछने के लिये कैसे मना कर सकता हूं।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** वास्तव में मैंने माननीय मंत्री को पहले से ही लिखा है।

**श्री हेम बरुआ :** मेरा एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न है . . .

**अध्यक्ष महोदय :** अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री के पास इसकी जानकारी है?

**श्री हजरनवीस :** जी, नहीं।

**श्री रंगा :** तो क्या हम यह समझें कि माननीय मंत्री यह नहीं जानते कि किसी भी सरकारी संस्थान में सचिव का पद सब से ऊंचा होता है, और यदि किसी अधिकारी को डिप्टी कमिश्नर से सचिव बना दिया जाता है तो यह पदोन्नति नहीं है? इस अधिकारी विशेष को सचिव नियुक्त किया गया है . . .

**अध्यक्ष महोदय :** यह स्पष्ट है कि यह पदोन्नति है अथवा नहीं।

**श्री रंगा :** यह हमें स्पष्ट है, और, श्रीमन्, आपको भी स्पष्ट है परतु माननीय मंत्री को यह स्पष्ट नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट है।

**श्री रंगा :** श्रीमन्, मुझे हर्ष है कि आप इस मामले में लज्जा महसूस करने के लिये हमारे साथ शामिल हुए। क्या मैं आप से निवेदन कर सकता हूं कि इस मामले पर दो घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाये?

**अध्यक्ष महोदय :** किसी सूचना के आने पर ही मैं कह सकता हूं।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** यह आश्चर्य की बात है कि जब ऐसा महत्वपूर्ण मामला आ गया है तो गृह-कार्य मंत्री जो इस मामले से सम्बन्ध रखते हैं यहां उपस्थित नहीं हैं, और राज्य-मंत्री के पास कोई जानकारी नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न :

**Shri Bagri :** Mr. Speaker, it was a question about corruption. The hon. Minister Shri Nanda, should have replied to it.

**माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए रेडियो तथा टेलीविजन**

\+
*१८५. { **श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डय :**
**श्री कोया :**
**श्री रामपुरे :** }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों के विद्यार्थियों के लिये नियमित पाठ्यक्रम

का प्रसारण करने के लिये रेडियो तथा टेलीविजन का प्रयोग करने की कोई योजना बना रही है ;

(ख) क्या ऐसा अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार की क्या योजनायें हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**श्री भागवत झा आजाद** : विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने किसी समय इस संबंध में कोई योजना बनाई है, अथवा क्या उनके दिमाग में इस कमी को पूरा करने के लिये कोई अन्य उपाय हैं ?

**श्री भक्त दर्शन** : जी हां, पहले से ही, कुछ प्रसारण आकाशवाणी द्वारा आरम्भ किये गये हैं परन्तु इस बात को मानना पड़ेगा कि न तो रेडियो और न ही टेलीविज़न अध्यापकों का स्थान ले सकते हैं। ये केवल उसके काम के पूरक हो सकते हैं।

**श्री भागवत झा आजाद** : इस समय इन प्रसारण और टेलीविज़न कार्यक्रम कितने क्षेत्र में फैलते हैं, क्या यह केवल दिल्ली से ही संबंधित है, अथवा क्या यह सुझाव दिया जा रहा है कि इसे देश के अन्य भागों पर भी फैलाया जायेगा ?

**श्री भक्त दर्शन** : जहां तक स्कूलों के प्रसारणों का सम्बंध है, वे बारह केन्द्रों से रिले किये जाते हैं। जहां तक टेलीविज़न का सम्बंध है, यह इस समय केवल दिल्ली में ही है।

**Shri Bibhuti Mishra :** Mr. Chester Bowles has stated in Calcutta that 85 per cent population of India lives in villages and the condition of secondary schools there is none too good. Whatever arrangements for radio and television exist are in the cities only. I want to know whether the Ministry of Education is doing something for villages.

**Shri Bhakt Darshan :** It is not possible to expand television to the villages. Even in Delhi expansion has not so far been thorough. As for the radio, adequate propaganda is going on through the Community listening Schemes initiated by village panchayats. Advantage can be taken of that.

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माध्यमिक स्कूलों के लिये टेलीविज़न और रेडियो बहुत महंगे पड़ते हैं। इस राशि को हम अध्यापकों के प्रशिक्षण पर व्यय क्यों नहीं करते ?

**श्री भक्त दर्शन** : जहां तक अध्यापकों के प्रशिक्षण का सम्बंध है वह कार्यक्रम पहले से ही जारी है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम इस धन को अध्यापकों के प्रशिक्षण पर खर्च क्यों नहीं करते ?

**श्री भक्त दर्शन** : कार्यक्रम में इसके कारण कोई बाधा नहीं पड़ रही है।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : उपमंत्री ने कहा है कि टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण अध्यापकों के कार्य में सहायक हो सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि अध्यापकों के अध्यापन में सहायता के लिये और किन तरीकों पर विचार किया जा रहा है।

**श्री भक्त दर्शन** : केवल एक ही तरीका है और वह यह कि शिक्षण स्तर को सुधारना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यवाहियां पहले से ही की जा रही हैं।

———

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## Written Answers to Questions

**'अग्रेनयन नियम'**

*१८६. **श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री धवन :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री वारियर :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा "अग्रेनयन नियम" को असंवैधानिक घोषित करने वाले निर्णय के परिणामों की जांच का कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या नतीजा निकला है और इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी, हा ।

(ख) ४ दिसम्बर, १९६३ को जारी किये गये आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २३२९/६४ ]**

**भारत प्रतिरक्षा नियम**

*१८७. **श्री म श्वर नायक :**
**श्री कोल्ला वेंकैया :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री जो० ना० हजारिका :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार और नजरबन्द हैं ; और

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को रिहा किया जा चुका है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) और (ख) भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ के नियम ३० के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा के बाद से १३२२ व्यक्ति नजरबन्द किये गये थे जिस में से १० फरवरी १९६४ तक १०४१ व्यक्ति रिहा कर दिये गये हैं । भारत प्रतिरक्षा नियमों के दांडिक उपबन्धों के अधीन बन्दी बनाये गये तथा रिहा किये गये व्यक्तियों के बारे में जानकारी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है तथा इसके प्राप्त होते ही जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

**ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चिकित्सा-स्नातक**

*१८८. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री गो० महन्ती :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा-स्नातकों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम दो वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य बनाने की योजना के सम्बंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) :** वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार की योजना लागू करने में कठिनाईयां हैं। तथापि मामला विचाराधीन है।

**उर्वरक कारखाना, विशाखापटनम**

*१८९. { **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री प्र० चं० बरूआ :**
**श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री २२ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम में उर्वरक कारखाने का निर्माण करने के लिये अमरीका के आयात निर्यात बैंक से २ करोड़ ७० लाख डालर के ऋण के सम्बंध में करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने में उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन):** (क) अमरीका के निर्यात आयात बैंक ने ऋण के लिये स्वीकृति द दी है परन्तु करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ख) अनुज्ञप्ति धारा द्वारा दी गयी समय-सीमा के अनुसार, कारखाने में अक्तूबर, १९६६ तक उत्पादन चालू हो जाने की आशा है ?

**कोचीन में तेल शोधक कारखाना**

*१९०. { **श्री वारियर :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री प्र० चं० बरूआ :**
**श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री दे० जी० नायक :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में चौथा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) लगभग २०० एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है तथा स्थान का परीक्षण किया जा चुका है। निर्माण संबंधी उपकरण के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त हो गये हैं तथा तेल शोधक कारखाने के उपकरण के लिये उनके बारे में कार्यवाही की जा रही है। पहुंचने के मार्ग लगभग तैयार हो गये हैं तथा रेलवे लाइनों की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) लगभग १.३५ करोड़ रुपये।

## Model Legislation for Universities

*191. { **Shri Sidheshwar Prasad :**
**Shri D.C. Sharma :**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 369 on the 4th December, 1963 and state :

(*a*) whether the work relating to the drafting of model legislation for the universities has since been completed ;

(*b*) if so, the main features thereof ; and

(*c*) if not, the reasons for delay ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):**

(*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

(*c*) The Committee set up for the purpose has not yet concluded its deliberations.

## फिल्म स्टूडियो की तलाशी

***१९२. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह-कार्य मंत्री २० नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के कुछ फिल्म स्टूडियो में छापे मारे जाने और उनकी तलाशी लिये जाने के बाद जिस जांच-पड़ताल का आदेश दिया गया था क्या वह पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) और (ख). बम्बई के कुछ फिल्म स्टूडियों तथा फिल्मी कलाकारों के निवासस्थानों की तलाशी से सम्बंधित जांच पड़ताल पूर्ण हो गई है तथा श्री महबूब खां, श्री नासिर खां तथा श्री अयाज गरू परिमाय सहित किसी के भी निकट कोई अपराधात्मक बात नहीं पाई गई है।

**भारत और कुवैत के बीच सहयोग**

*१६३. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूग्रा :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानन सेन :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १६६४ में कुवैत के एक शिष्टमण्डल ने दिल्ली में तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग के प्रधान, श्री पी० ग्रार० नायक, के साथ दोनों देशों के बीच तेल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उपायों के बारे में बातचीत की थी ;

(ख) क्या एक तकनीकी ग्रार्थिक विशेषज्ञ को हवाई जहाज द्वारा कुवैत से नई दिल्ली बुलाया गया था ;

(ग) क्या मद्रास, में, कुवैत की सहायता से, एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; ग्रौर

(घ) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (घ). तेल उद्योग के लिये सहयोग सम्बंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था तथा ग्रागे भी विचार किया जायेगा ।

**कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना**

*१६४. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेमराज :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया है ; ग्रौर

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने इसे ग्रभी तक ऐसा नहीं किया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) ग्रभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ग्रासाम, पश्चिम बंगाल तथा नागालैण्ड ने तथा कुछ सीमा तक ग्रान्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ने ।

**कोचीन में तेल शोधक कारखाना**

*१६५. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
**श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** }

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरीज़ लिमिटेड, को जनता द्वारा पूंजी लगाये जाने के लिये शेयर जारी करने की अनुमति मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा कितने मूल्य के शेयर जारी किये जायेंगे ; और

(ग) ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण सरकारी क्षेत्र में प्रथम बार यह कदम उठाया गया ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी नहीं।

(ख) सौ-सौ रुपये के मूल्य के ५८,००० शेयर।

(ग) भारतीय जनता को तेल शोधन सम्बन्धी परियोजना में धन लगाने के लिये अवसर प्रदान करने के लिये।

**Searches in Officer's Residences**

*196. { **Shri Ram Sewak Yadav :**
**Shri Bagri :**
**Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Maheswar Naik :**
**Shri Mohan Swarup :**
**Shri S. M. Banerjee :**
**Shrimati Vimla Devi :**
**Shri R. Barua :**
**Shri Hem Barua :**
**Shri Yogendra Jha :**
**Shri D. D. Mantri :**
**Shri P. R. Patel :**
**Shri Krishnapal Singh :**
**Shri Indrajit Gupta :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shrimati Savitri Nigam :**
**Shri P. R. Chakraverti :**
**Shri Ram Harkh Yadav :** }

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the police carried out searches in the houses of three senior Central Government officers in January, 1964;

(*b*) if so, the departments to which the officres belonged and whether any articles alleged to have been received as gifts form a Calcutta firm were recovered from there; and

(*c*) whether those officers have been arrested ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis):** (*a*) and (*b*) On the basis of facts disclosed by certain records seized during the investigation of cases against the Electrical Machines Corporation

Ltd, Calcutta, cases were registered against an Assistant Development Officer, Directorate of Technical Development, a Section Officer in the Ministry of Industry and an Assistant in the Railway Board, and in the course of investigation of these cases their houses were searched. From the houses of two officers, certain articles which are shown in the records of the Firm as having been presented to them were recovered. The articles shown in those records as having been presented to the Assistant Development Officer were not recovered.

(c) No, Sir.

**विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये वार्षिकी**

*१६७. **श्री अ० व० राघवन :**
**श्री केप्पन :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या **शिक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के लिये वार्षिकी अथवा बीमा संबंधी व्यवस्था करने वाली योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

**रसायन कारखाना, पनवल**

१९८. **श्री नाथपाई :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यवर्ती रसायन कारखाना, पनवल (महाराष्ट्र) ने अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) क्या यह प्रगति मूल कार्यक्रम के अनुसार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यक्रम में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) कारखाने के लिये भूमि अर्जित की जा चुकी है। जमीन को समतल बनाने तथा ठीक प्रकार से तैयार करने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। रेलवे साइडिंग का निर्माण किया जा रहा है। जल की व्यवस्था, पानी साफ करने का संयंत्र आदि का प्रबन्ध भी पूरा होने वाला है। आंतरिक वितरण लाइनों के बनाने का योजना बनाई जा रही है। प्रचुर निष्कासन नालियों के लिये सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक रेखांकन किया जा चुका है तथा प्रणाली का रूपांकन किया जा रहा है। कारखाने का इमारत के सामान्य विन्यास के बारे में निश्चय किया जा चुका है तथा सहयोगियों के परामर्श आर्गेनिक इमारत के नक्शे तथा रूपांकन काफी तैयार हो चुके हैं। कास्टिक सोडा—क्लोराइन, सल्फरिक एसिड—अलियम नीट्रिक एसिड, इर्ना गैस, भाप तथा प्रशीतल प्लांट के लिये टेंडर प्राप्त हो गये हैं । तथा

विचाराधीन हैं। इन सब बातों के बारे में अन्तिम निर्णय विदेश मुद्रा की उपलब्धता के बारे में फैसला हो जाने के बाद होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रारम्भ में परियोजना के निर्माण के बाद से परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण यह महसूस किया गया है कि उत्पादन के कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया जाये। तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति ने उपयुक्त पुनरीक्षित तरीके के बारे में अभी अभी एक प्रतिवेदन दिया है जो विचाराधीन है।

## Election for Vice-Chancellors

***199. Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the question of appointment of vice-chancellors of universities on the basis of election; and

(b) the various constitutional, administrative and other difficulties before Government in regard to election of vice-chancellors ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :** (a) and (b). Except in the case of Central Universities the appointment of Vice-Chancellors is the responsibility of the State Governments concerned. The question of the method of appointment of Vice-Chancellors in Universities was considered by the University Education Commission (generally know as the Radhakrishnan Commission) in 1948 which expressed itself against election of Vice-Chancellors on the ground that election to the post of Vice-Chancellor was undignified and led to the formation of factions. This recommendation was accepted by the Government of India and was communicated to the State Governments for their consideration and acceptance.

## समाज कल्याण सम्बन्धी आयोजना परियोजना

*२०१. **श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण सम्बन्धी आयोजना परियोजना से सम्बन्धित अध्ययन दल ने राज्य सचिवों तथा समाज कल्याण निदेशकों के सम्मेलन द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला ) :** (क) जी, नहीं। कारण यह है कि समाज कल्याण सम्बन्धी आयोजना परियोजना से सम्बन्धित अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन जुलाई, १९५९ में दिया था तथा राज्य सचिवों तथा समाज कल्याण निदेशकों का सम्मेलन सितम्बर, १९६३ में हुआ था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### इंजीनियरिंग कर्मचारी

***२०२. श्री महेश्वर नायक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित इंजीनियरिंग कर्मचारियों की बहुत रिक्तियां आवेदकों की कमी के कारण भरी नहीं जा सकी हैं ;

(ख) १९६३ के दौरान कितनी रिक्तियां हुई और विज्ञापित की गई तथा उनमें से कितनों के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और कितनी आवेदकों में से भरी गई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या प्रभावशाली कदम उठाये रहे हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२३३०/६४]**

### दिल्ली में लद्दाखी बुद्ध बिहार

***२०३. { श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ नवम्बर, १९६३ की ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में रखे गये वक्तव्य तथा उस पर उठाये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जांच की गई है कि क्या नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग के अथवा उसके लिये कार्य करने वाले जासूस लद्दाखी बुद्ध बिहार में जाते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**गृह कार्य मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) और (ख). मामले में की गई जांच से पता चला है कि लद्दाखी बुद्ध विहार का किन्हीं जासूसों ने भ्रमण नहीं किया है।

### प्रशासनिक न्यायाधिकरण और महासमाहर्ता

***२०४. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १३ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और महासमाहर्ता के बारे में श्री एम० सी० सीतलवाद द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कि लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम है ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख). प्रशासनिक न्यायाधिकरण तथा महासमाहर्ता सम्बन्धी सुझावों की विस्तृत रूप से जांच करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की जांच अभी तक नहीं की गई है।

### Legislation for contempt of courts

357. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1501 on the 11th

December, 1963 and state the progress since made in the question of bringing forward legislation regarding contempt of courts ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis) :** The comments of the State Governments, Union territory Administrations, the Supreme Court and the High Courts are still awaited.

### धातुकार्मिक तथा रासायनिक इंजीनियर

**३५८. श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के नये उद्योगों के लिये आवश्यक धातुकर्मिक, रासायनिक इजीनियर तथा अन्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिये विशेषीकृत संस्थायें स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** जी हां।

### दिल्ली में पानी के कनेक्शन

**३५६. श्री यशपाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली पर लागू पंजाब नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करने के बारे में सोच रही है ताकि एक लाइन से दिये जा सकने वाले पानी के अधिक कनेक्शन दिये जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो यह संशोधन विधेयक संसद में कब लाया जायेगा ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) नहीं जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### भारतीय विदेश सेवा के लिये व्यक्तित्व की परीक्षा

**३६०. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर, १६६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विदेश सेवा के लिये व्यक्तित्व की परीक्षा के अंक कम करने के प्रश्न पर क्या निर्णय किया गया है ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

### डूम डूम क्षेत्र में तेल का कुआं

३६१. **श्री धवन :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डूम डूम क्षेत्र के तेनाली नामक स्थान पर आयल इाडया के कुए की १०,००० फीट से अधिक गहराई तक खुदाई की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य के अनुसार इस कुएं की खुदाई कहां तक की जायेगी ;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि इस कुएं से पर्याप्त रूप से तेल अथवा गैस प्राप्त हो सकेगा कोई परीक्षण कार्य किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) से (घ). विभिन्न तेल क्षत्रों में किये जाने वाले खुदाई के कार्य सम्बन्धी जानकारी "प्रतिबन्धित जानकारी" की श्रेणी में आता है जिसका भारत प्रतिर ा नियम, १९६२ के अन्तर्गत परिभाषा की गई है तथा बताई नहीं जा सकती।

## मोटवाने प्राइवट लिमिटेड

३६२. **श्री वारियर :**
**श्री दाजी :**
**श्री वासुदेवन नायर :**

क्या गृह-कार्य मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात परियोजना के प्राधिकारियों ने उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाह की थी जिनके बारे में उन्हें यह सूचना मिली था कि उनका मोटवाने प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे से सम्बन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) यह निर्णय किया गया है कि मेसर्स मोटवाने प्राइवेट लिमिटेड बम्बई के विरुद्ध चलाये गये मुकदये में अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों के आचरण के सम्बन्ध में एक प्रतिवदन भिलाई इस्पात परियोजना के प्राधिकारियों के पास उस समय भेजा जाये जबकि मेसर्स मोटवाने प्राइवेट लिमिटेड के श्री वी० जी० मोटवाने तथा दो अम्य व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये गये दांडिक मुकदमों का फैसला हो जाये।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## लक्कादीव में तेल

३६३. **श्री वारियर :**
**श्री दाजी :**
**श्री मे० क० कुमारन :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री अ० ब० राघवन :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**
**श्री केप्पन :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्कादीव में तेल की खोज के लिये कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## अपराध विज्ञान

३६४. **श्री रा० गि० दुबे :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश कारगार आयोग के अध्यक्ष, डा० ए० डबल्यू० पीटरसन ने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत के विश्वविद्यालयों में कानून तथा मनोविज्ञान के संकायों में अपराध विज्ञान एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) जी, हां।

(ख) डा० पीटरसन द्वारा व्यक्त विचार उनकी निजी राय है तथा भारत सरकार के लिये सलाह अथवा सुझाव के रूप में नहीं है। तथापि अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान को डिग्री कक्षाओं के लिये वैकल्पिक विषय के बारे में चालू करने के प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा १९६१ में विचार किया गया था जिसने निम्न सिफारिशें कीं :

(१) प्रवर-स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों में अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान को वैकल्पिक विषय रूप में सम्मिलित करना वांछनीय नहीं है।

(२) सागौर विश्वविद्यालय अपराध विज्ञान में एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था करे जिसके लिये एक स्वतंत्र स्कूल अथवा संस्था की स्थापना की जाये।

(३) इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के कुछ वर्ष तक सफलतापूर्वक चलने के बाद विश्वविद्यालय अपराध विज्ञान तथा विधि विज्ञान का एक स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चालू करने की संभावना की खोज करे।

## जमीन का मुआवजा

३६५. **श्री शिव चरण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६१ तथा १९६३ के बीच दिल्ली में अर्जित की गयी भूमि के लिये जो मुआवजा दिया गया था उसके विरुद्ध दिल्ली के अतिरिक्त जिला तथा सेशन जज की अदालत में कितनी अपीलें लम्बित हैं :

(ख) १९६१–६२ तथा १९६३ में अलग अलग कितनी अपीलें की गईं तथा इन प्रत्येक वर्षों की ३१ दिसम्बर, को कितनी अपीलें लम्बित थीं;

(ग) ऐसी अपीलों की संख्या अलग अलग कितनी है जिनको ३१ दिसम्बर, १९६३ को ६ महीने से अधिक तथा १ वर्ष हो चुके हैं :

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) १४५४ (३१-१-१९६४ तक)

(ख)

| वर्ष | दर्ज की गई अपीलों की संख्या | ३१ दिसम्बर को लम्बित अपीलों की संख्या |
|---|---|---|
| १९६१ | ३०४ | २६१ |
| १९६२ | १,१०८ | १,०६० |
| १९६३ | ८१५ | १,४३४ |

(ग) क्रमशः ६८५ तथा ७१० ।

(घ) अतिरिक्त जिला तथा सेशन जज का एक और न्यायालय बना दिया गया है तथा पदाधारी शीघ्र ही कार्य-भार संभालने वाला है ।

**उच्च अध्ययन के लिए दिल्ली में सायंकालीन कालेज**

**३६६. श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली संघ क्षेत्र में कोई भी सायंकालीन डिग्री कालेज न होने के कारण वाणिज्य, विज्ञान, तथा प्रौद्योगिकी के उच्च पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के इच्छुक श्रमजीवी व्यक्तियों द्वारा जो बड़ी कठिनाई अनुभव की जा रही है उसके दूर करने के लिये उनके मंत्रालय के पास कोई योजना है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी, हां ।

**लड़कियों की शिक्षा**

*३६७. **श्री सुबोध हंसदा** :
**श्री म० ला० द्विवेदी** :
**श्री ओंकार लाल बेरवा** :
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त राज्यों में मैट्रीकुलेशन स्तर तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह किस कक्षा तक निःशुल्क है तथा किन राज्यों में; और

(ग) जहां शिक्षा निःशुल्क है, वहां पढ़ाई का खर्चा राज्यों द्वारा वहन किया जाता है अथवा केन्द्र द्वारा ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २३३०/६४]** ।

(ग) खर्चा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। संघ राज्यक्षेत्रों तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में खर्चा केन्द्र वहन करता है।

केन्द्र उन राज्य सरकारों को अनुदान भी देता है जिनकी योजना में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है।

**सेवा निवृत्त अध्यापकों की प्रतिभा का उपयोग**

३६८. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**डा० प० ना० खान :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री राम हरख यादव :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिकोत्तर सेवा निवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का लाभ उठाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है, और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति कब आरंभ होगी?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन ) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० २३३२/६४]**।

(ग) विश्वविद्यालय कालेज अध्यापकों संबंधी योजना १९६१–६२ से क्रियान्वित की जा रही है और अभी तक १३७ सेवा निवृत्त अध्यापकों को सहायता दी गई है। माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के उपयोग से संबंध रखने वाली सिफारिशें राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ भेज दी गई हैं।

**विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच सम्पर्क**

३६९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत तथा शिक्षा संबंधी वास्तविक सम्पर्क स्थापित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुछ कार्रवाई किये जाने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या निर्णय किया गया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) जी हां।

(ख) मुख्य योजनायें ये हैं :

(१) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में, जहां आवश्यक है, अध्यापकों की संख्या में वृद्धि, (२) ट्यूटोरियल पद्धति जारी करने के लिये सहायता देना;

(३) अध्यापकों के लिये होस्टल बनाने के लिये सहायता की व्यवस्था करना, और

(४) विशेष विषयों में आनर्ज तथा स्नातकोत्तर अध्ययन को प्रोत्साहन देना ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन योजनाओं को कार्यान्वित करन के लिये विश्वविद्यालयों तथा कालिजों को वित्तीय सहायता दे रहा है ।

**मानवशास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अनुसन्धान**

३७०. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवशास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिक में अनुसंधान करने वाली संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ विश्वविद्यालयों के अधिनियम, लाभप्रद समन्वय के मार्ग में बाधक हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन ) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए एल० टी० २३३३/६४ ।]**

(ग) कुछ विश्वविद्यालयों ने यह कारवाई की है। संबद्ध प्राधिकारों से प्रार्थना की गई है कि जहां आवश्यकता हो, विश्वविद्यालयों तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं के बीच व्यक्तियों के विनिमय करने के लिये उन विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन किया जाए ।

**रासायनिक उर्वरक**

३७१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रसायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम के अंग के रुप में तीसरी योजना में युरिया का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और इसकी क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में र ज्य-मत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां ।

(ख) तीसरी योजना अवधि में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित निम्न उर्वरक परियोजनायें यूरिया का उत्पादन करेंगी :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. नामरूप उर्वरक | परियोजना | ५,५००० | टन यूरिया प्रतिवर्ष |
| २. ट्राम्बे | ,, | ९९,००० | ,, ,, |
| ३. निवेली | ,, | १,५२,००० | ,, ,, |
| ४. गोरखपुर | ,, | १,७९,३२० | ,, ,, |
| ५. कोरबा | ,, | २,१७,००० | ,, ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ६. विशाखापटनम | परियोजना | . | १६,५०० | टन यूरिया प्रति वर्ष |
| ७. कोठागुडम | ,, | . | १,८२,८६० | ,, ,, |
| ८. गुजरात . | ,, | . | १,००,००० | ,, ,, |
| ९. मंगलौर | ,, | . | १,१५,००० | ,, ,, |

उपरोक्त परियोजनाओं संबंधी प्रगति नीचे दर्शाई जाती है :

१. **नागरूप उर्वरक परियोजना** : संयंत्र तथा मशीनरी संभरण के आदेश दिये जा चुके हैं। लगभग २५००.०० टन मशीनरी सम्भरण कर्ताओं द्वारा भेजी जा चुकी है।

२. **ट्राम्बे उवरक परियोजना** : संयंत्र तथा मशीनरी के संभरण के आदेश दिये जा चुके हैं। संयंत्र तथा मशीनरी लगाने का काम प्रगति पर है। लगभग ३७.६८% युरिया संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

३. **निवेली उर्वरक परियोजना** : संयंत्र तथा भारी मशीनरी के संभरण के लिये ठेका अक्तूबर १९५९ में दे दिया गया था। निर्माण कार्य प्रगति पर है और सितम्बर, १९६५ से परियोजना द्वारा उत्पादन आरम्भ कर दिये जाने की आशा है।

४. **गोरखपुर उवरक परियोजना** : संयंत्र तथा मशीनरी संभरण का आदेश एक जापानी फर्म को दिया गया है। स्थान का सर्वेक्षण तथा नीचे की भुमि का अनुसंधान कार्य पूरा हो चूका है। फैक्ट्री के लिये लगभग ५५० एकड़ भूमि का कब्जा असैनिक अधिकारियों को दे दिया गया है।

५. **कोरबा उर्वरक परियोजना** : फैक्टरी तथा बस्ती के लिये भूमि अधिग्रहण के लिये अधिसूचना जारी कर दी गई है। परियोजना की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और उसकी जांच की जा रही है।

६. **विशाखापटनम उर्वरक परियोजना** : भारतीय तथा सार्थ संघ के अमरीकी सदस्यों के, जिनको फैक्टरी की स्थापना के लिये लाइसेंस दिया गया था, विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है। अमरीकी ऐक्सिम बैंक ने परियोजना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का ऋण देना स्वीकार कर लिया है। संयंत्र तथा मशीनरी के संभरण के लिये शीघ्र ही आदेश दिये जाने की अपेक्षा है।

७. **कोठागुडम उवरक परियोजना** : परियोजना की स्थापना के लिये जिस पक्ष को लाइसेंस दिया गया है, वह परियोजना की विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने के लिये ऋण के लिये विश्व बैंक के साथ बातचीत कर रहा है। उस पक्ष द्वारा विदेशी सहयोग के जो प्रस्ताव पेश किये गये हैं, वे मंजूर कर लिये गये हैं।

८. **गुजरात उवरक परियोजना** : परियोजना के संयंत्र तथा मशीनरी के संभरण के लिये प्राप्त टेंडरों की छानबीन कर ली गई है और अपेक्षित विदेशी मुद्रा उपलब्ध है। संयंत्र तथा मशीनरी के संभरण के आदेश शीघ्र ही दिये जाने की संभावना है।

९. **मंगलौर उर्वरक संयंत्र** : अभी तक उस पक्ष द्वारा कोई प्रगति नहीं की गई, जिस को फैक्टरी स्थापित करने के लिये अनुमोदन दिया गया था। पक्ष को मार्च १९६४ के अन्त तक विदेशी सहयोग प्रस्तावों को तय करने के लिये समय बढ़ाया गया है।

## पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए रियायतें

**३७२. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नौकरी में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को अब तक प्राप्त आयु संबंधी रियायत तथा अन्य सुविधायें हाल ही में हटा दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को आयु तथा शुल्क की जो रियायतें प्राप्त थीं वे ३१ दिसम्बर, १९६३ से हटा ली गई हैं। रोजगार दफ्तरों के द्वारा भरती के मामले में अग्रता की रियायत कायम है ।

(ख) आयु तथा शुल्क की रियायतें प्रारंभ में १९४८ में मंजूर की गई थीं और समय-समय पर ३१-१२-६३ तक जारी रखी गई । चूंकि रियायतें ये बड़ी देर तक विद्यमान रहीं, उनको आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा गया ।

## जजों को हटाने के लिए विधान

**३७३. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह-कार्य मंत्री २७ नवम्बर, १९६३ के जजों को हटाने के विधान के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या २३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर विचार अंतिम रूप में कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विधेयक, जिसका नाम जज (जांच) विधेयक १९६४ है १४ फरवरी, १९६४ को लोक-सभा में पुनः स्थापित किया गया है ।

## केरल हिन्दी प्रचारिणी सभा

**३७४. श्री मणियंगाडन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में केरल हिन्दी प्रचारिणी सभा को अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई ; और

(ख) क्या हिन्दी प्रचारकों तथा हिन्दी स्कूलों में राशि को बांटने का इरादा था, और यदि हां, तो इस प्रकार कितनी राशि बांटी गई ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन ) :** (क)

१९६२-६३ —५,४०० रुपये हिन्दी श्रेणियों का आयोजन

१९६३-६४—७,२०० रुपये हिन्दी श्रेणियों का आयोजन तथा पुस्तकालय के लिये पुस्तकें ।

(ख) जी, नहीं । उपरोक्त (क) में दर्शाये गये कामों के लिये अनुदान दिया गया था । तथापि सभा ने १९६२-६३ में अपने धन में से २६,४०० रुपये प्रचारकों को दिये ।

## दिल्ली में उपेक्षित स्त्रियों का पुनर्वास

**३७५. श्रीमती सावित्री निगम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने समाज की उपेक्षित स्त्रियों को शिक्षा देने तथा पुनर्वास करने की योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल टी २३३४/६४]**

## Junior Technical Schools

**376. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government propose to set up 10 more junior technical schools ; and

(*b*) if so, the time by which they will be set up and the places where they are proposed to be set up ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. M. M. Das):** (a) & (b). The Third five year Plans of State Governments provide for the establishment of 117 Junior Technical Schools (including 10 in the Union Territory of Delhi) out of which 38 have started functioning. [Placed in the Library. *See* No. LT-2335/64].

## इम्पीरियल गजटियर

**३७७. श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री २० नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्पीरियल गजटियर के संशोधन के लिये नियुक्त किये गये बोर्ड के सदस्यों तथा संपादकों के नाम क्या हैं ; और

(ख) परियोजना पर अनुमानित कितना व्यय होगा और कितनी अवधि में परियोजना पूर्ण हो जाने की आशा है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर):** (क) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं :—

१. श्री हुमायून कबिर — सभापति

२. श्री मन मोहन दास

३. श्रीमती लक्ष्मी मेनन

४. मुख्य न्यायाधीश श्री पी० बी० गजन्द्रगडकर

५. श्री यू० के० चन्दा :

६. डा० सी० डी० देशमुख

७. डा० तारा चन्द
८. श्री अशोक मित्र
९. श्री अशोक मेहता
१०. डा० ए० रामस्वामी मुदालियार
११. डा० वी० के० आर० वी० राव
१२. प्रो० एम० मुजीब
१३. डा० वी० राघवन
१४. प्रो० एम० एन० श्रीनिवास
१५. प्रो० पी० महेश्वरी
१६. डा० एस० एम० कात्रे
२७. डा० गौरी नाथ शास्त्री
१८. डा० भवतोष दत्त
१९. प्रो० वी० डी० भार्गव
२०. डा० एस० वी० चौधरी
२१. प्रधान संम्पादक सदस्य-सचिव

डा० के० गोपालाचरी, सम्पादक अब सदस्य-सचिव के रूप में अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं ।

(ख) परियोजना का अनुमानित व्यय १८ लाख रुपये के लगभग है और आशा है कि चौथी योजना में यह कार्य पूरा हो जाएगा ।

**सोवियत तकनीकी तथा वैज्ञानिक पुस्तकें**

**३७८. श्री नम्बियार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से तकनीकी तथा वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में अंग्रेजी में बहुत सी पाठ्य पुस्तकें इस समय भारत में उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय स्कूलों तथा कालेजों में उन पुस्तकों को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ग) क्या ऐसी कोई पुस्तक भारत मे अभी तक पाठ्य पुस्तक के रूप में किसी स्कूल या कालेज में लागू की गई है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास ) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार संस्थाओं के लिये न तो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करती है और न ही सिफारिश करती है ।

**तिरुचिरापल्ली प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज**

३७९. { **श्री नम्बियार :**
**श्री सेझियान :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुचिरापल्ली में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो पढ़ाई कब आरम्भ होगी ;

(ग) कितने लोगों को प्रवेश मिलेगा ; और

(घ) समूची परियोजना की लागत क्या होगी ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी हां।

(ख) १९६४–६५ सत्र से पढ़ाई आरम्भ होने की आशा है।

(ग) कालेज के लिये तैयार की गई योजना में पाठ्यक्रम के पहले वर्ष मे २५० विद्यार्थियों के अधिकतम प्रवेश की व्यवस्था है।

(घ) अनुमानित लागत

| | |
|---|---|
| पूंजी . . . | १२९ लाख रुपये |
| आवर्जक (अन्ततोगत्वा) . | १९ लाख रुपये |

**विदेशी पत्रिकाओं का निर्वंध घोषित किया जाना**

**३८०. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ विदेशी पत्रिकाओं को निर्वंध घोषित किया है ; और

(ख) यदि हां, गत तीन महीनों में कितनी पत्रिकाएं निर्वंध घोषित की गई हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख). निम्न विदेशी पत्रिकाएं भारत प्रतिरक्षा नियमों १९६२ के नियम ४५ के अन्तर्गत गत तीन महीनों में निर्वंध घोषित की गई हैं :—

(१) लुषाई पत्रिका नाम—ईंगाशनर"—जो औंग थाचीन प्रेस रंगून में छपती है तथा बर्मा लुशाई संगठन की ओर से प्रकाशित होती है ; और

(२) पत्रिका नाम—"मुस्लिम वर्ल्ड—मोताभार की साप्ताहिक समीक्षा", संपादित, मुद्रित तथा प्रकाशित इनामुल्ला खां, महा मंत्री, मोताभार अल-आलम-अल इस्लामी (विश्व मुस्लिम संघ) के द्वारा तथा कराची मुद्रणालय, कराची में मुद्रित।

**जिप्सम की कमी**

**३८१. श्री दे० जी० नायक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी में उर्वरक बनाने के लिये अपेक्षित बढ़िया किस्म के जिप्सम का सम्भरण कम है ; और

(ख) यदि हां, तो बढ़िया किस्म का जिप्सम प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां।

(ख) इस समय सम्भरण राजस्थान की खानों से प्राप्त होता है और कम संभरण को पूरा करने के लिये बढ़िया किस्म के जिप्सम का आयात किया जाता है। बढ़िया किस्म के जिप्सम के लिये राजस्थान में नवीन खानों का पता लगाने के लिये खोज की जा रही है। उस राज्य में, खनन पट्टे

प्राप्त करने के पश्चात् कुछ नवीन खानें चल ये जाने की संभावना है। दीर्घ-कालीन उपाय के तौर पर, जिप्सम तरीके को धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सीध एसिड निशकरण तरीके में बदलने के प्रश्न पर सक्रिय ढंग से विचार किया जा रहा है। इस तरीके के जिप्सम पर कम निर्भर रहना पड़गा।

## दिल्ली इंजीनियरिंग संस्था

**३८२. श्री वासुदेवन नायर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली इंजीनियरिंग संस्था नामक एक बोगस संस्था देश में कुछ भागों में आरम्भ कर दी गयी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि एक विवरण पत्रिका जारी की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत सरकार ने इस संस्था को मान्यता दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो अपराधी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) से (ग) : सरकार को पता है कि दिल्ली इंजीनियरिंग संस्था नाम की एक मान्यताविहीन संस्था देश के कुछ भागों में वर्णान्त्रिक आधार पर चल रही है। संस्था यह दावा करती है कि वह प्राईवेट छात्रों को ऐसीं कुछ परीक्षाओं में बैठने के योग्य बनाने में अध्ययन सहायता देने की व्यवस्था करने मे सक्षम है, जिनको रोजगार के लिये भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है।

सरकार को नहीं मालूम कि उन्होंने कोई ऐसी विवरण पत्रिका जारी की है जिसमें यह दावा किया गया है कि इसे भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। अतः संस्था के विरुद्ध इस आधार पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा

**३८३. श्री हेम राज :** क्या शिक्षा मंत्री २७ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिये महिला कायकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की योजना के संबध मे कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्द्रम चन्द्रशेखर) :** (क) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा तैयार योजना तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी की सिफारिशें राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मत पूछने के उदेश्य से भेजी गयी हैं। उनके उत्तरों की प्रतीक्षा हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## मौखिक परीक्षायें

**३८४. { श्री हेम राज :<br>श्री सिद्धश्वर प्रसाद :**

क्या शिक्षा मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को याद दिलाया गया है कि वे माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा की संभावना के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(घ) किन राज्यों ने इसका विरोध किया है और किस ने समर्थन किया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी नहीं।

(ख) कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### हथियारों का आयात

३८५. **श्री गु० सिं० मुसाफिर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथियारों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने बन्दूकों का निर्माण रोक दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिलाधीश द्वारा जारी किये गये वैध लाइसेंसों पर जनता को बाजार में हथियार नहीं मिलते हैं ; और

(घ) क्या सरकार अपनी आयात नीति को बदलने के और बन्दूक, रिवाल्वर, पिस्टल तथा राइफलों की जनता की मांग को पूरा करने के लिए उदारता से आयात लाइसेंस देने के औचित्य पर विचार कर रही है ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) संबंधित अधिकारियों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) आगामी अवधि अर्थात अप्रैल, १९६४ से मार्च १९६५ के लिए आयात नीति बनाते समय हथियार तथा गोली बारूद की वर्तमान आयात नीति बदलने पर विचार किया जायेगा।

### Age Concessions to Inhabitants of Goa

386. **Shri Vishwanath Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) Whether it is a fact that the Central Government have taken a decision in consultation with the Union Public Service Commission to relax the maximum age limit for the inhabitants of Goa, Daman and Diu for appearing in competitive examinations and for recruitment to all posts in Central Government offices;

(b/ if so, the extent of relaxation in terms of years ; and

(c) the time by which it would take effect ?

**Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri R. M. Hajarnavis :)** (*a*) Yes, The relaxation applies only to competitive examinations conducted by the Union Public Service Commission or any other authority for recruitment to various Services and posts under the Government of India, except the Defence Services.

(*b*) Three years.

(*c*) The relaxation is effective form 17th July, 1963, and will be operative for a period of three years thereafter.

**मैसूर के लिए हिन्दी अध्यापक**

३८७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने संघ सरकार से कहा है कि राज्य में मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल के हिन्दी अध्यापकों की भरती में सहायता ें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) अब तक जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**नेपाल को भारतीय पुरातत्व संबंधी अभियान**

३८८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सहायता मिशन कपिलवस्तु के पुरातन स्थान ी खोज के लिये नपाल की तराई में एक पुरातत्व संबंधी अभियान भेजेगा; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित दल के सदस्य कौन कौन होंगे ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**सांस्कृतिक योजनाओं के लिए पंजाब को अनुदान**

३८९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३–६४ में सांस्कृतिक योजनाओं के लिये पंजाब सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है तथा अब तक कितना अनुदान दिया गया है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला :** (क) जी हां।

| (ख) योजना | राशि |
|---|---|
| | रुपये |
| (१) स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों का 'हूजहू' बनाना | ६,००० |
| (२) सांस्कृतिक दलों का अन्तर्राज्यीय आदान प्रदान . . | ७,३३८.३२ |
| (३) युद्धस्थल पर सशस्त्र सेनाओं के मनोरंजन के लिये सांस्कृतिक दल भेजना . . . . . . | १,४४०.०० |
| (४) भारतीय आधुनिक भाषाओं का विकास . . . | ४०,०००.००<br>(आवंटित) |

**पंजाब म पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां**

**३६०. श्री दलजीत सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में पंजाब राज्य में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिये (१) अनुसूचित जातियों (२) अनुसूचित आदिम जातियों तथा (३) पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ;

(ख) इसी अवधि में पंजाब राज्य से कितने विद्यार्थियों ने आवेदन दिए थे ; और

(ग) विद्यार्थियों को किस तिथि से ये दिये जायेंगे ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम र मचन्द्रन) :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | (१) | अनुसूचित जातियां . . . . . | ३४२० |
| | (२) | अनुसूचित आदिम जातियां . . . | ५२ |
| | (३) | पिछड़े वर्ग . . . . . | ३१ |

(३१ अक्तूबर, १९६३ तक)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ख) | (१) | अनुसूचित जातियां . . . . . | ३५१७ |
| | (२) | अनुसूचित आदिम जातियां . . . . | ५३ |
| | (३) | पिछड़े वर्ग . . . . . | १११८ |

(ग) ३१ अक्तूबर, १९६३ को निम्नलिखित छात्रवृत्तियां दी गई थीं :

| | |
|---|---|
| अनुसूचित जातियां . . . . . | ३०२७ |
| अनुसूचित आदिम जातियां . . . | ४७ |
| पिछड़े वर्ग . . . . . . | २२ |

वित्तीय वर्ष १९६३–६४ समाप्त होने के बाद स्थिति का पता लगेगा ।

**भारतीय प्रशासन सेवा में महिलायें**

**३६१. श्रीमती लक्ष्मी बाई :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० से अब तक भारतीय प्रशासन सेवा में अब तक कितनी महिलायें नियुक्त की गईं ; और

(ख) इस समय एसी कितनी महिलायें सेवा में हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) १० ।

(ख) २५ ।

**पाठ्य पुस्तकों के मूल्य घटने बढ़ने का अध्ययन**

**३६२. { श्री राम हरख यादव :**
**श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने देश में पाठ्यपुस्तकों के मूल्य घटने बढ़ने का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन की प्रगति क्या है ; और

(ग) क्या योजना के द्वारा पाठ्य पुस्तकों को लगातार बदलने आदि की बुराइयां दूर हो जायेंगी ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली का अध्ययन पूरा हो चुका है तथा प्रतिवदन बनाया जा रहा है। कुछ अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने का विचार है।

(ग) अध्ययन के परिणामों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है।

**भारतीय अमरीकी विज्ञान संस्था**

३९३. **श्री विशनचन्द्र सेठ :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री धवन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार तथा अमरीका सरकार भारत में शीघ्र ४४ भारतीय-अमरीकी विज्ञान संस्थायें बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) और (ख). एक विवरण संबद्ध है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२३३६/६४]** ।

**दिल्ली के आठवीं कक्षा के छात्र**

३९४. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ स्कूलों के आठवीं कक्षा के छात्रों के दिल्ली में बोर्ड की परीक्षा से छूट देने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)**: (क) और (ख). आठवीं कक्षा के छात्रों के लिये बोर्ड की परीक्षा नहीं है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता है।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने निगम अधिकारियों के परामर्श से शिक्षा में समानता तथा सुधार लाने के लिये आठवीं कक्षा से विभागीय परीक्षा लागू की है। क्योंकि विभागीय परीक्षा गणित, अंग्रजी, हिन्दी तथा उर्दू विषयों में ही हैं इस लिये आंग्ल माध्यम से पढ़ाने वाले स्कूलों को इससे छूट दे दी गई तथा उन के लिये छूट दे दी गई हैं जो प्राइमरी कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हों।

**Principals of Higher Scondary Schools of Delhi**

395. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of B.A., B.Ts. who are working as principals in Government Higher Secondary Schools in Delhi and New Delhi;

(b) whether the requisite qualification prescribed by Government for the post of principal is M.A., B.T.; and

(c) whether persons with requisite qualifications for working as principals are not available in Delhi ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :** (a) 20.

(b) Yes, it is one of the qualifications prescribed for direct recruits.

(c) They are available.

**अनसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को कानूनी सहायता**

**३९६. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में आंध्र-प्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को कोई कानूनी सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कितनी राशि व्यय की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) पिछड़े वर्ग क्षेत्र में १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को कोई कानूनी सहायता की व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**दिल्ली के स्कलों में पंजाबी एक विषय के रूप में**

**३९७. श्री गु० सि० मुसाफिर**: क्या शिक्षा मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों की नवीं कक्षा में पंजाबी को एक विषय के रूप में लागू करने के लिये कितने न्यूनतम विद्यार्थियों का होना आवश्यक निर्धारित किया गया है ; और

(ख) जुलाई १९६३ में लड़कों के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल, मोती बाग़, नई दिल्ली में नवीं कक्षा में पंजाबी को विषय के रूप में कितने विद्यार्थियों ने लिया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) १२ ।

(ख) ४ ।

**बल साहित्य प्रतियोगिता**

**३९८. श्री राम हरख यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल साहित्य तियोगिता में सर्वोत्तम पुस्तकों के लिये पुरस्कार निश्चित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पुरस्कारों का व्यौरा क्या है तथा उनके लिए अर्हता क्या है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन)** : (क) जी हां ।

(ख) दसवीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता, १९६४ के नियमों तथा विनियमनों की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–२३३७/६४]**

## स्थगन प्रस्ताव के बारे में

## Re : MOTION FOR ADJOURNMENT

### शिलांग में कर्फ्यू लगाये जाने, सेना के बुलाये जाने की कथित घटना

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: आसाम की सरकार ने बताया है कि १२ फरवरी को जब एक उत्पादन शुल्क दल शिलांग के बड़ा बाजार में दैनिक निरीक्षण के लिये गया तो उस ने एक खासी स्त्री से पूछताछ की जिस के बारे में यह संदेह था कि उस के पास नाजायज़ शराब थी। उस अवसर पर जमा हुई भीड़ ने उत्पादन शुल्क दल को पीटा । उन की सहायतार्थ जो पुलिस वहां गयी उस पर भी अनियंत्रित भीड़ ने हमला किया, जिस के परिणामस्वरूप ३० पुलिस कर्मचारी मारे गए । १७ तारीख को पुलिस ने उस सिलसिले में २६ व्यक्ति गिरफ्तार किये। उसी दिन पुलिस दल पर हिंसक भीड़ ने हमला किया और बड़ा बाजार के निकट बीट चौकी पर पत्थर फेंके जिसके परिणाम-स्वरूप कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए । हिंसक भीड़ के निरन्तर आगे बढ़ने पर पहले अश्रु गैस छोड़ी गयी और बाद में गोली चलानी पड़ी जिस के कारण १८ व्यक्ति घायल हुए । बाद में उन में से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। एक अन्य हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस बीट हाउस पर हमला किया गया और पुलिस जीप को आग लगाई गई। बड़ा बाजार के आस पास आग लगाने की घटनायें भी हुई। चूंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी इस लिये सेना को तैयार रहने के लिये कहा गया । जब दण्डाधीश बाहर गए तो उन पर भी हमला किया गया और तीर चलाये गये । पुलिस को उस समय गोली चला ी पड़ी शाम के ३ बजकर ३० मिनट पर जब पुलिस की एक गाड़ी उस क्षेत्र में जा रही थी तो उस पर किसी व्यक्ति ने गोली चलाई । चूंकि हजूम बराबर हिंसक कार्यवाहियां करता रहा इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मौखार बड़ा बाजार के क्षेत्र को सेना के अधीन कर दिया जाय। हिंसक हजूम द्वारा मों थिमाई बीट हाऊस को चला दिया गया और अम्पलिंग बीट हाऊस को भी नुक्सान पहुंचा । कल शाम को ६ बज कर ३० मिनट पर हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाने की वारदातें हुई और आग बझाने की गाड़ी पर हमला किया गया जिस के कारण लेतुनखराब क्षेत्र में पुलिस को गोली चलानी पड़ी । किसी स्त्री के साथ छेड़-छाड़ की कोई घटना नहीं हुई ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझ नहीं सका । यह कहीं भी नहीं कहा गया कि दण्डाधीश ने सेना बुलाने के लिये कहा ।

**श्री हजरनवीस** : सेना को असैनिक प्रशासन की सहायतार्थ बुलाने का विषय संविधान की सूची सख्या २ की मद संख्या १ के अन्तर्गत आता है जो कि राज्य सूची में है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह नहीं समझ सका कि आया दण्डाधीश उस अवसर पर उसी स्थान पर थे और चूंकि असैनिक प्रशासन स्थिति को नहीं सम्भाल सका इसी लिए उन्होंने सेना को बुलाया । कल तो मंत्री महोदय ने कहा था कि दण्डाधीश ने सहायता के लिये कहा था ।

**श्री स्वैल** (आसाम स्वायत्तशासी ज़िले) : मैं कहना चाहता हूं कि .....

**अध्यक्ष महोदय :** आप नहीं कह सकते । मुझे आपके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी । यदि आप अपने पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो मैं भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकूंगा ।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) **:** While you are talking about the behaviour of the Members on this side, I wish to point out, that you should also keep an eye on the behaviour of the Members on that side.

**Mr. Speaker :** Have I no right to put a question in order to understand the matter ?

**Dr. Ram Manohar Lohia :** We have been asked to exercise restraint the Members of the Treasury benches also must keep a check on their behaviour.

**Mr. Speaker :** Even Government is told to apply some check, whenever they behave in an improper way.

**श्री हजरनवीस :** समवर्ती सूची—सूची ३, में वर्णित मदों से सम्बन्धित कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं . . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

**श्री दाजी** (इन्दौर) : एक औचित्य का प्रश्न। आपने पूछा है कि क्या दण्डाधीश उसी स्थान पर उपस्थित थे और क्या उन्होंने सेना बुलाने के लिये कहा था, परन्तु मंत्री महोदय संवैधानिक औचित्य के बारे में तर्क दे रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य धैर्य को हाथ से न जाने दें। मैं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : आप प्रश्न कुछ कर रहे हैं और मंत्री उसका उत्तर देने की बजाय कुछ और ही कह रहे हैं . . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

**श्री स्वैल :** एक औचित्य का प्रश्न। आपका प्रश्न कुछ है और उनका उत्तर भिन्न है। सरकार ने इस बारे में पूरी जांच नहीं की। मेरा अनुरोध है कि आप मंत्री महोदय से कहें कि विशेषकर मेरे द्वारा बताई गई बातों के बारे जानकारी फिर से प्राप्त करें। (**अन्तर्बाधायें**)

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। मैं और किसी औचित्य प्रश्न की अनुमति नहीं देता हू। मैं इन सूचनाओं को रोक रखूंगा। गृह मंत्री मालूम कर के सभी तथ्य मुझे बतायें . . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : यदि राज्य सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के के अन्तर्गत सेना को बुलाया होता तो वह उस बारे में सूचना अवश्य देती। इसलिये दोबारा उस बारे में सूचना प्राप्त करना अनावश्यक है ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसलिये जानना चाहता हूं चूंकि कल मंत्री महोदय ने कहा था कि दण्डाधीश के कहने पर सेना आई थी। वह ५ बजे यह सूचना उपलब्ध करें। (**अन्तर्बाधा**)

**श्री रंगा** (चित्तूर) : आपने उन्हें निदेश दे दिया है परन्तु हमारी व्यथा का निवारण नहीं हुआ। कल स्वयं मंत्री महोदय यहां उपस्थित थे और उन्हें मालूम था कि यह प्रश्न आज सभा के समक्ष आयेगा। आपका आदेश है कि सभा गृह-कार्य मंत्री की सुविधा के अनुसार कार्य करे। यहां पर विधि मंत्री भी उपस्थित हैं और अन्य मंत्री भी। वह सब के सब उचित उत्तर देने में असमर्थ हैं, और आप हमारी सहायता न करते हुए उलटे उनका पक्ष ले रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझ पर यह आरोप लगाना कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूं बहुत बुरी बात है। मैं तथ्यों की सूचना चाहता हूं चूंकि ऐसा करना मेरा कर्त्तव्य है ।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : क्या वह गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व नहीं करते ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने कल भी आपको बताया था कि स्थगन प्रस्ताव प्रत्यक्षतः मुझे ग्राह्य प्रतीतनहीं होते, परन्तु किसी निश्चय पर पहुंचने से पूर्व मैं तथ्यों की जानकारी चाहता हूं।

**श्री बड़े** (खारगोन) : क्या गृह मंत्री अभी सूचना प्राप्त कर सकेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । कल गृह मंत्री ने हमें बताया था कि सेना दण्डाधीश ने बुलाई थी ।

**Shri Bagri** (Hissar): That statement was made by him without enquiring into the facts.

**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: यदि श्री हजरनवीस द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखा जाये तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है । उन्होंने कहा है कि जब स्थिति बिगड़ गई तो सेना को बुलाने का निर्णय लिया गया ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके । यदि गड़बड़ जारी रह तो कुछ क्षेत्र सेना के हवाले कर दिये जायें । परन्तु इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी । धारा १२६ तथा १३० के अन्तर्गत निम्न प्रकार की कार्यवाही की जाती है । धारा १२६ में दिया हुआ है :—

> "यदि किसी भीड़ को तितर बितर करना लोक सुरक्षा की दृष्टि से वांछनीय हो और उसे तितर-बितर न किया जा सके, तो उस स्थान पर उपस्थित दण्डाधीश सेना की सहायता से उसे तितर-बितर कर सकते हैं ।"

**अध्यक्ष महोदय** : इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ? सेना को प्रयोग में लाया गया अथवा नहीं ?

**श्री अ० कु० सेन** : धारा १२६ और १३० के अन्तर्गत सेना का प्रयोग नहीं किया गया । परन्तु आप जानते हैं कि प्रयोग में लाने से पूर्व उन्हें तैयार रहने के लिये कहा जाता है . . . . . **(अन्तर्बाधा)**

**अध्यक्ष महोदय** : यदि सेना का प्रयोग धारा १२६ के अन्तर्गत नहीं किया गया तो हो सकता है कि किसी अन्य शक्ति के अन्तर्गत किया गया हो । इस का एक निश्चित उत्तर मिलना चाहिए ।

**श्री अ० कु० सेन** : उनका प्रयोग केवल इन दो धाराओं के अन्तर्गत ही किया जा सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न तो यह है कि क्या इस विशेष अवसर पर सेना हरकत में आई थी ।

**श्री अ० कु० सेन** : उन्हें तैयार रहने के लिये कहा गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह हरकत में नहीं आई ?

**श्री अ० कु० सेन** : अभी तक किसी भीड़ को तितर-बितर करने के लिये सेना ने भाग नहीं लिया । वक्तव्य से स्पष्ट है कि सेना को तैयार रहने के लिये कहा गया और कुछ क्षेत्र सेना के सुपुर्द करने सम्बन्धी निर्णय लिया गया, परन्तु वक्तव्य में यह नहीं कहा गया कि वह क्षेत्र सेना के सुपुर्द कर दिये गये ।

**श्री स्वैल** : यह वक्तव्य गलत है ।

**श्री अ० कु० सेन** : माननीय मंत्री उत्तेजित न हों । यदि यह वक्तव्य गलत भी है तो भी श्री स्वैल की बात को बग़ैर जांच पड़ताल के मैं स्वीकार नहीं कर सकता । यदि माननीय मंत्री के पास कुछ विशेष सूचना अथवा तथ्य हैं तो वह हमें भेज दें । फिर हम उन्हें देखेंगे ।

**श्री स्वैल** : क्या यह सच है कि शिलांग के बड़ा बाजार क्षेत्र को सेना के नियंत्रण में दे दिया गया है अथवा नहीं ?

**श्री अ० कु० सेन**: वक्तव्य के अनुसार ऐसा नहीं किया गया । मेरी सूचना भी यही है ।

**श्री स्वेल** : मुझे यह सूचना मिली है . . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे निर्णय आपकी सूचना के आधार पर नहीं वरन् वक्तव्य के आधार पर लेना है ।

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : वह कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्र सेना के सुपुर्द करने का निर्णय किया गया था । क्या वास्तव में ऐसा किया गया था ?

**अध्यक्ष महोदय :** सेना तैयार खड़ी रही परन्तु उसने कोई कार्यवाही नहीं की ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज के स्टेट्समैन में जो खबरें छपी हैं कि कल रात आग लगाने की कई वारदातें हुई और कि स्थिति पर सेना का नियंत्रण पाया गया, क्या यह सब गलत है ?

**अध्यक्ष महोदय :** श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा दिये गये उद्धरण से पता चलता है कि सेना का प्रयोग किया गया ।

**श्री अ० कु०सेन :** उन्हें तैयार रहने के लिये कहा गया था । जैसा कि मैंने कहा कि यदि कोई बातें सदस्यों को इस स्थिति के बारे में मालूम हैं तो हम उनकी जांच करेंगे । सदस्य उस जानकारी को हमें भेज सकते हैं ।

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर): माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ क्षेत्रों को सेना के सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया परन्तु वास्तव में उस निर्णय को कार्यरूप नहीं दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है ?

**श्री अ० कु० सेन :** सेना को तैयार रहने के लिये कहने का अर्थ यह नहीं है कि कुछ क्षेत्र उसके सुपुर्द कर दिये गये । हमें इस बारे में जांच पड़ताल करनी है कि वास्तव में उस क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण सेना के सुपुर्द किया गया अथवा नहीं । कुछ तथ्य हमारे सामने रखे गये हैं और ज्योंही अग्रेतर सूचना हमें प्राप्त होगी हम उसे उपलब्ध करेंगे ।

**श्री दाजी :** इस बारे में भ्रम पैदा हो गया है कि सेना का प्रयोग किया गया कि नहीं । परन्तु सेना के प्रयोग में लाये जाने का अर्थ आवश्यक तौर पर यह नहीं होता कि सेना ने शस्त्रों का प्रयोग किया । एक सभा अथवा भीड़ केवल सेना की उपस्थिति-मात्र से भी तितर-बितर की जा सकती है । इसलिये, कानून की दृष्टि से सेना का तैयार होना अथवा उपस्थित होना ही प्रयोग में लाये जाने के बराबर है । परन्तु इस समय हमारे लिये इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना को दण्डाधीश के कहने पर नहीं परन्तु अन्यथा बुलाया गया । हमें यह बताया ही नहीं गया कि दण्डाधीश के अनुरोध पर सेना को बुलाया गया । इसलिये इस स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति दी जानी चाहिए ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** माननीय मंत्री को सूचना प्राप्त करने के लिये पहिले ही एक दिन का समय दिया जा चुका है। इसलिये उन्हें और समय नहीं दिया जाना चाहिए । स्थगन प्रस्ताव के लिये आप अनुमति दे दें, फिर यदि सरकार कोई अन्य सूचना उपलब्ध करना चाहेगी तो वह वैसा कर सकेगी ।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि विरोधी पक्ष वालों की यही इच्छा है कि मैं सरकार को सूचना उपलब्ध करने के लिए समय दिये बगैर ही उसका निर्णय करूं तो मुझे सरकार के वक्तव्य के अनुसार भीड़ को तितर-बितर करने के लिये सेना का प्रयोग नहीं किया गया (**अन्तर्बाधा**) शान्ति, शान्ति । यदि मैं तथ्यों की जांच के लिये समय चाहता हूं तब भी आपत्ति की जाती है और जब उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं निर्णय लेता हूं तब भी आपत्ति की जाती है । इस विषय में इसी समय मुझे निर्णय लेना होगा ।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** The hon. Minister has used the word "alerted" which has two meanings. One meaning is, that the army was asked to be ready, but they were there in their barracks; the other is that they were on the road, but they were not asked to operate. So he has used an equivocal word.

Also, I have to request you to allow a discussion here, on the issue of law and order, either today, by admitting this Adjournment Motion, or a day or two hence. We must have an opportunity to discuss here, especially when there are incidents occurring today, like the one in which the name of a Member of this House has been associated in a murder case.

**Shri Tyagi** (Dehra Dun) **:** I want to know that if military was not called at the instance of the Magistrate, then on what authority it was called ? This point will have to be clarified, otherwise any officer will call military and do anything.

**Mr. Speaker :** It is possible only if we discuss this matter in any other shape. But, at present, the question before me is of a limited nature, and I have to take a decision.

जो तथ्य मेरे सामने रखे गये हैं उनके बारे में मुझे सन्देह था और इसीलिये मैं चाहता था कि गृह मंत्री कुछ और सूचना दें। परन्तु माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में अपना निर्णय अभी दे दूं। जो तथ्य मेरे सामने हैं उन्हीं के आधार पर मुझे निर्णय देना है।

**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) **:** आप जितना समय चाहते हैं लेकर अपना विनिर्णय दे दीजिये।

**अध्यक्ष महोदय :** उस सूरत में मुझ पर अभ्यारोप लगाये जाते हैं ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** मैं यह नहीं चाहता कि आपसे जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के लिये कहूं। जो तथ्य हमारे सामने हैं उनसे जाहिर है कि सेना द्वारा कार्यवाही की गयी ; और इस बात का खंडन भी नहीं किया गया है, इसलिये मैंने अनुरोध किया था कि इस पर अभी निर्णय किया जाय। परन्तु यदि आप समझते हैं कि आपको अग्रेतर सूचना प्राप्त करनी है, तो मैं इसके लिये आग्रह नहीं करूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करती है और माननीय सदस्य अन्य साधनों से। मुझे देखना पड़ता है कि माननीय सदस्यों को सूचना कैसे मिली ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** समाचार पत्रों से ।

**अध्यक्ष महोदय :** स्थगन प्रस्ताव के लिये हम समाचारपत्र की खबरों पर निर्भर नहीं कर सकते। मैं समाचारपत्र की खबर के आधार पर अपना विनिर्णय नहीं दे सकता। मैं माननीय मंत्री से कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। यदि आप आग्रह करते हैं तो मैं निर्णय दे सकता हूं ।

**श्री स्वैल :** राज्य सरकार द्वारा जो सूचना उपलब्ध की गयी है वह उसने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से दी है। माननीय मंत्री भी आपकी बात का उत्तर नहीं दे सके कि सेना को जिला दण्डाधीश के ही आदेश पर बुलाया गया था कि नहीं। हमारी जो सूचना है वह सरकार की उपलब्ध की गयी सूचना से भिन्न है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप माननीय मंत्री से भी अग्रेतर सूचना प्राप्त करें और हम से भी, और फिर सब तथ्यों को सामने रख कर ही विनिर्णय दें ।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि सभी की यही इच्छा है कि मैं अग्रेतर जानकारी प्राप्त करूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। में कल तक उस विषय को लम्बित रखूंगा।

**श्री हजरनवीस :** चूंकि शिलांग का इलाका बहुत दूर है इसलिये मेरा अनुरोध है कि आज ५ बजे के बजाय कल ही वक्तव्य देने की अनुमति मुझे दी जाय।

**अध्यक्ष महोदय :** आप राज्य सरकार से पूरी जानकारी प्राप्त करके सभा को उपलब्ध करें। मेरी भी और सभा की भी यही इच्छा है कि उस समय माननीय गृह मंत्री स्वयं सभा में उपस्थित हों।

Re:

---

## ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में
## CALLING ATTENTION NOTICE

**श्री बड़े (खारगोन) :** मैंने नगर हवेली की स्थिति के बारे में एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी। अब राज्य सभा में इस विषय का एक प्रश्न आया है और मंत्री ने उत्तर दिया है। चूंकि मंत्री वहां की स्थिति के बारे में सूचना रखते हैं इसलिये आप मुझे उनसे पूछने दें .....

**अध्यक्ष महोदय :** जो सूचना आप गृह मंत्री से प्राप्त करना चाहते हैं आप स्वयं प्राप्त कर लें, मेरे जरिये क्यों पूछते हैं।

**Shri Bade :** I was told that the hon. Home Minister would reply to my Notice on Monday.

**Mr. Speaker :** I will look into this matter.

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) **:** I request you to allow a discussion on the law and order situation in one form or another.

**Mr. Speaker :** Dr. Sahib, I have no authority to allow a discussion like this. Discussion can be held only if some notice to that effect is given, and I will allow only if that notice is in accordance with the rules prescribed. It is rather improper for you to always stand up and put further such a demand.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** There are a number of Adjournment Motions and Calling Attention Motions. Whenever a question was raised, you yourself provided the House with an opportunity to hold a discussion. It is not an ordinary question. It is a question of value of human live.

**Mr. Speaker :** But no discussion can be held unless a motion to that effect is introduced in the House either by Government or by some private Member.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** I remember when an Adjournment Motion was moved, you did not agree to that, but you proposed that a discussion regarding Bengal may be held.

**Mr. Speaker :** Then, a motion was moved by the Home Minister and a decision to hold discussion was taken.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** That motion was brought forth by your initiative. Therefore I request you to consider my question.



2543 (Ai) LSD—5.

# सभा-पटल पर रखे गये पत्र

# PAPERS LAID ON THE TABLE

### अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक ४ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३ में प्रकाशित भारतीय प्रशासन सेवा (पदालि) संशोधन नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक ४ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (पदालि) संशोधन नियम, १९६३ ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२३२२/६४] ।**

### भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम

मैं (२) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत, दिनांक ८ फरवरी १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८५ द्वारा शुद्ध किये हुए रूप में दिनांक २१ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२२२३/६४]।**

### भारतीय औद्योगिकी संस्था, कानपुर के प्रमाणीकृत लेखे

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: मैं (३) प्रौद्योगिकी संस्थायें अधिनियम, १९६१ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर के वर्ष १९६२–६३ के प्रमाणीकृत लेखे की एक प्रति उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२३२४/६४] ।**

### विश्वविद्यालय अनुदान आयोग १९६२–६३ का प्रतिवेदन

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : मैं (४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १८ के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष १९६२–६३ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २३२५/६४] ।**

---

# गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

# COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

### तेंतीसवां प्रतिवेदन

**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तेंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

## प्राक्कलन समिति

## ESTIMATES COMMITTEE

**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट): मैं रेलवे मंत्रालय पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के बारे में प्राक्कलन समिति का तैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

---

## राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहक उप-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

## MOTION ON ADDRESS BY THE VICE PRESIDENT DISCHARGING THE FUNCTIONS OF THE PRESIDENT

**अध्यक्ष महोदय :** अब १३ फरवरी, १६६४ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी :—

"कि राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति को सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति महोदय के उस अभिभाषण के लिये उनके अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १० फरवरी, १६६४ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है।'"

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर चर्चा के लिये एक घं का समय और बढ़ा दिया जाय।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : समय कुछ और बढ़ा दिया जाय।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य चाहते हैं कि आज सारा दिन इसी विषय पर चर्चा हो और कोई अन्य मद न ली जाय। माननीय मंत्री आज ही अन्त में उत्तर दे दें।

**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** मैं इस से सहमत हूं।

**बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मैं कुछ वैदेशिक कार्यों की चर्चा करूंगा। सुरक्षा परिषद् में काश्मीर पर हो रही बहस की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। वहां पर हमारी इच्छा के विरुद्ध बहस आरम्भ की गयी। सर पेट्रिक डीन ने उस अवसर पर जो कुछ कहा उसके बारे में सभी ओर से खेद प्रकट हुआ। ब्रिटेन के दृष्टिकोण के लिये दो कारण हैं। पहला यह कि पाकिस्तान और ब्रिटेन दक्षिण-पूर्वी एशिया करार संघ के सदस्य हैं इसलिये ब्रिटेन को पाकिस्तान का पक्ष लेना पड़ता है। और यदि ब्रिटेन के दृष्टिकोण को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखा जाय तो उसे समझा (एप्रीशिएट) किया जा सकता है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : हम इसे क्यों समझें (एप्रीशिएट करें)।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad): Mr. Speaker, if you tell the hon. Minister to speak in Hindi he can make himself more intelligible

**Minister without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri) :** I would rather like to speak in Hindi, because I know little English. But I speak in Enlish because **(अन्तर्बाधायें)**

**श्री स्वैल** : वह अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में बोलें।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** I want him to speak in Hindi because he is unable to made himself clear in English.

**अध्यक्ष महोदय** : जिस भाषा में वह चाहें बोल सकते हैं।

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** 'एप्रीशिएट' शब्द यहां बिल्कुल उचित है। 'एप्रीशिएट' का अर्थ यह नहीं है कि हम उसका समर्थन करते हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्री ति० त० कृष्णमाचारी एप्रीशिएट कर सकते हैं परन्तु हम नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : 'एप्रीशिएट' का अर्थ भी समझना ही है।

**श्री लाल बहादर शास्त्री** : मैंने जान बूझ कर इस शब्द का प्रयोग किया था और मैं समझता हूं कि यह ठीक ही है। मैं तो यह भी मानने को तैयार हूं कि डा० राम मनोहर लोहिया मुझ से अच्छी अंग्रेजी जानते हैं।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** I am not talking about myself. Mr. Speaker, I have sought your guidance.

**Mr. Speaker :** I am prepared to learn from every body since I know that I know very little. Other hon. Members should also adopt this attitude.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** I have repeated a number of times that Iknow little English. But in this matter I have sought your guidance..

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : दूसरी बात यह हो सकती है कि ब्रिटेन में वर्तमान शासक दल कदाचित अब भी क्रमशः हिन्दू बहुसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के सम्बन्ध में पुराने आधार पर सोच रहा है। वे जम्मू तथा काश्मीर का विभाजन भी इसी आधार पर करना चाहते हैं, ताकि हिन्दू बहुसंख्यक भाग भारत को मिले और मुस्लिम बहुसंख्यक भाग पाकिस्तान को। किन्तु इस विभाजन से होने वाले भयंकर परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं।

ब्रिटेन ने असम्प्रदायवादी तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थक होते हुए भी कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पूर्व पाकिस्तान के साम्प्रदायिक दंगों में अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय अत्याचार किये गये।

काश्मीर का भारत में वैध विलय अन्तिम तथा पूर्ण रूप से हो चुका है। हमारा इस मामले में दृढ़ मत है। भारत सरकार को इस मामले में और अधिक कुछ नहीं कहना है। सुरक्षा परिषद् में मामले के तथ्यों की ओर ध्यान न देकर सीधा काश्मीर पर विचार आरम्भ किया गया। वाद-विवाद में भाग लेने वाले किसी भी प्रतिनिधि ने पूर्व पाकिस्तान के दंगों में अल्प-संख्यकों के साथ किये गये अत्याचारों के बारे में कुछ नहीं कहा। सुरक्षा परिषद् में प्रत्येक प्रतिनिधि का सर्वप्रथम कर्तव्य यह होना चाहिए था कि वह पहले इन साम्प्रदायिक दंगों पर प्रकाश डालता तथा इसका कोई हल निकालने का मार्गोपाय निकालता। सुरक्षा परिषद् में इस पर किये गये विचार से कोई समस्या सुलझने के स्थान पर भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध और अधिक बिगड़ गये हैं। वहां पर कुछ लोग यह चाहते थे कि इन दोनों देशों में शान्ति स्थापित करने के बजाय उपद्रव पैदा किये जायें, जिससे भारत का पक्ष कमजोर पड़ जाये। अन्त में सुरक्षा परिषद ने इस मामले को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करके उचित निर्णय किया। इस

मामले में दोनों देशों के बीच केवल सीधी वार्ता द्वारा ही कोई समझौता हो सकता है। परन्तु इन क्षेत्रों में हमारी प्रभु त्ता के बारे में कोई बाधा नहीं आयेगी। सुरक्षा परिषद् ने पाकिस्तान को आक्रामक घोषित किया था। इसलिये परिषद् में जब भी जनमत की चर्चा चलती है तो पाकिस्तान से पहले वह क्षेत्र खाली कराने के लिए कहा जाये जिस पर उसने अवैध रूप से अधिकार जमा रखा है। यदि पाकिस्तान वे क्षेत्र खाली नहीं करना चाहता है तो जनमत का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि इस विवाद को समाप्त करने के लिए हम पाकिस्तान के साथ सीधी वार्ता करने के लिए तैयार हैं किन्तु हम बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, यह सच है कि इस दिशा में किये जाने वाले प्रयत्नों में गत्यावरोध आ गया है और कोलम्बो प्रस्तावों के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। यद्यपि चीन ने पहले कहा था कि वह इन प्रस्तावों को स्वीकार करता है, किन्तु वे अपने इस वचन से पीछे हट गये हैं तथा इन्हें अस्वीकार कर इन प्रस्तावों के अनुसार कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया है। इन बातों पर संयम खोना कूटनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है। भारत ने नैतिक दृष्टिकोण अपनाया है जिस पर हमें दृढ़ रहना चाहिए। यद्यपि हम सभी चीनी आक्रमण की गंभीरता को अनुभव करते हैं, हम कोई इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कोई अनावश्यक विवाद खड़ा हो जाये तथा जिसके परिणाम अत्यन्त भयानक हों। हम इस समस्या का कोई शान्तिपूर्ण हल निकालना चाहते हैं। प्रधान मंत्री भी इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय या मध्यस्थ को सौंपने की बात कह चुके हैं ताकि समस्या का हल शान्तिपूर्ण ढंग से हो सके। दोनों सदनों ने प्रधान मंत्री के इन सुझावों को स्वीकृति भी दे दी थी। यद्यपि हम चाहते हैं कि बातचीत का दरवाजा खुला रहे किन्तु देश में कोई भी, विशेषत: शासक दल, ऐसी किसी प्रकार की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है जिससे हमारे देश के गौरव व सम्मान पर किसी प्रकार की आंच आये। इस सम्बन्ध में बहुत सोच समझ कर कदम उठाने होंगे क्योंकि यह नाजुक और गंभीर समस्या है। इन समस्याओं को, चाहे चीन की समस्या हो या पाकिस्तान की, अधिक समय तक बिना सुलझाये नहीं रखा जायेगा क्योंकि ऐसा करना दोनों देशों के लिए अहितकर होगा।

जहां तक चीन के रवैये का सम्बन्ध है वह भारत के प्रति अत्यन्त कठोर है। चीन ने हमारी सीमाओं के समीप जिस प्रकार सेना का जमाव कर रखा है उससे हमारी सीमायें खतरे में हैं। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाये रखने के लिये प्रयत्न जारी रखने चाहियें क्योंकि हमें आज जिस शत्रु का मुकाबला करना पड़ रहा है वह सैन्यशक्ति की दृष्टि से अत्यन्त मजबूत है। भारत सरकार सुरक्षा शक्ति को बढ़ाने के भरसक प्रयत्न कर रही है। यह कार्य सुव्यवस्थित रूप से संयमपूर्वक किया जाना चाहिये जिससे हम यथाशीघ्र अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंच सकें।

चीन ने केवल हमारे साथ ही इस प्रकार का व्यवहार नहीं दिखाया अपितु रूस और चीन की सीमा के निकट बहुत बड़े रूसी क्षेत्र को चीन अपना बताता है। चीन ने हजारों बार रूस की सीमाओं का उल्लंघन किया है। इस प्रकार चीन सब देशों के साथ इसी प्रकार का रवैया अपनाता है।

पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में यहां पर बहुत कुछ कहा गया है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। हमने पाकिस्तान स्थित अपने उप-उच्चायुक्त को इस मामले में पाकिस्तान से आगे बात करने के लिये लिखा है।

पाकिस्तान ने हमारी यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी कि भारतीय उप-उच्चायुक्त तथा अन्य पदाधिकारियों को पूर्वी पाकिस्तान के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर वहां रहने वाले अल्प-

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

संख्यकों से मिलने दिया जाये जबकि हम भारत स्थित पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त को इसी प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वे अधिकारियों द्वारा उन क्षेत्रों का दौरा करने के पक्ष में नहीं है।

**श्री त्यागी** (देहरादून): गृह-कार्य मंत्री ने सभा को बताया था कि पाकिस्तान में अधिकारियों को दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : पूर्वी पाकिस्तान में केवल ढाका में दौरा करने की अनुमति है अन्य स्थानों में नहीं, गृह-कार्य मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में यही कहा होगा।

श्री बदरुद्दुजा के भाषण से पता चलता है कि भारत सरकार के प्रति उन्होंने रोष प्रकट किया है। मैं इस बारे में अधिक कुछ न कह कर यही कहूंगा कि उपद्रव पहले पूर्वी पाकिस्तान में हुए। पूर्वी पाकिस्तान के समाचार-पत्रों ने इन उपद्रवों की निन्दा की है और स्पष्ट रूप से अपना मत प्रकट किया है कि कलकत्ता में जो उपद्रव हुए हैं, वे पूर्वी पाकिस्तान में खुलना में हुए उपद्रवों का स्पष्ट परिणाम हैं। कुछ समाचार-पत्रों ने यह तो अपना मत प्रकट किया है कि पाकिस्तान के कुछ समाचार-पत्रों द्वारा कलकत्ता में हुई घटनाओं का मिथ्या प्रचार कर पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिकता की आग भड़काई जा रही है। विदेशी समाचार-पत्रों में भी इसी प्रकार के मत व्यक्त किये गये हैं तथा पाकिस्तान में हुई घटनाओं की आलोचना की है। माननीय सदस्य श्री बदरुद्दुजा को सभा में अपने विचार व्यक्त करने से पहले समाचार-पत्रों की इन रिपोर्टों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए था। किन्तु खेद की बात है उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रख कर देखा है जो उनका भ्रम है।

काश्मीर के सम्बन्ध में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है क्योंकि हजरतबल से पवित्र बाल की चोरी का पता चल गया है। इस सम्बन्ध में अपराधियों को उचित दण्ड देने के लिये कार्यवाही की जा रही है, सरकार काश्मीर में राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने की दिशा में सावधानीपूर्वक उचित कदम उठा रही है। सब से पहला कदम यह उठाया जा रहा है कि विभिन्न, राजनैतिक दलों के मतभेद को दूर किया जाये। हमें जम्मू तथा काश्मीर की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें संतुष्ट करने के लिये कार्य करना है जिससे उनमें यह विश्वास पैदा हो सके कि उस पर शासन करने वाले लोग उसी के निर्वाचित सदस्य हैं जो सर्वथा उनके हितों का ध्यान रखेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि वहां की व्यवस्था में सुधार करने के लिये मुझे सभी सम्बन्धित लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और यह समस्या शान्तिपूर्वक सुलझाई जा सकेगी।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमें निर्धारित प्रक्रिया का मार्ग अपनाना पड़ता है और अन्ततोगत्वा जनता की इच्छा ही सर्वोपरि समझी जाती है। राज्य में जो व्यक्ति उपद्रव पैदा करके विदेशियों की सहायता करना चाहते हैं, यदि वे सही मार्ग नहीं अपनायेंगे तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

विश्व की दो महान् शक्तियों—रूस और अमेरिका—ने शान्ति स्थापित करने के लिये जो दृष्टिकोण और नीति अपनाई है तथा इस दिशा में जो महत्वपूर्ण प्रयत्न किए हैं उनसे विश्व के वातावरण में नवीनता आ गई है। सम्पूर्ण मानव समाज आज यह जानकर हर्षित है कि विश्व के तनाव में कमी आने से युद्ध की संभावनायें कम हो गई हैं।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : उपराष्ट्रपति का अभिभाषण नीरस तथा निर्जीव वृत्तान्त के अलावा अधिक कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं। इस अभिभाषण में चारों ओर जो संकट छाया हुआ है उसके प्रति जागरूक होने, तथा लोगों में विश्वास पैदा करने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। बाहरी तथा आंतरिक खतरों के बारे में भी कुछ बात नहीं कही गई है। वर्तमान सरकार के शासन में देश की दशा उस जलपोत के समान है जो बिना नाविक तथा आपेक्षित उपकरणों के अनजान समुद्र में भटक रहा है।

इस सरकार के अधीन हमारे देश की राजनैतिक स्थिति भ्रमोत्पादक हो गई है। हमारा देश सैनिक तैयारी की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है और प्रशासन की दृष्टि से हम अव्यवस्थित हैं तथा हमारा नैतिक पतन हो चुका है। इस समय हमारे देश में न तो कोई प्रभावशाली नेता ही है और न विदेशों में कोई विश्वसनीय मित्र ही। आज इस सदन की ही घटना लीजिये। प्रश्नकाल के पश्चात् ४५ मिनट तक इतनी अव्यवस्था और भ्रमोत्पादक स्थिति पैदा हो गई थी। अध्यक्ष महोदय के यथासंभव प्रयत्नों के बावजूद भी एक भी साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सका। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

गोआ निवासियों को आज ४६३ वर्ष की दक्षता के बाद मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है जिसका उन्होंने स्वेच्छा से प्रयोग किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी इच्छाओं को, सदस्यों का निर्वाचन करके, व्यक्त कर दिया है। प्रधान मंत्री का यह कहना--गोआ में जो कुछ हुआ है उससे उन्हें दुःख हुआ है--निराधार है। स्वतंत्र भारत में समस्त जनता को स्वतंत्र मताधिकार है। भारत सरकार को गोवा निवासियों की इच्छाओं का स्वागत करना चाहिये क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि इतने दिनों की दासता के बाद हमने अपने मताधिकार का प्रयोग उचित रूप से किया है। गोवा के मामले में सरकार को मिथ्यासम्मान की भावना से मुक्त रहना चाहिये। उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय पूर्वधारित विचारों के आधार पर न किया जाये। गोवा की मुक्ति के बाद आज तक संसद् के लिए सदस्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाते थे किन्तु इस प्रथम चुनाव में जनता द्वारा जो प्रतिनिधि--भेजे गये वे इस सभा में वहां की जनता के विचारों को रखेंगे कि वह क्या चाहती है।

जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है ; सुरक्षा परिषद् में जो कुछ हुआ उस के बारे में हमें ध्यानपूर्वक सोचना चाहिये। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमने ब्रिटेन के प्रतिनिधि का निमंत्रण स्वीकार न कर अपना विरोध प्रकट कर दिया है। हमें सुरक्षा परिषद् और विश्व को काश्मीर की परिस्थितियों के बारे में बताना चाहिये। सुरक्षा परिषद् को सदा के लिए दृढ़ निश्चय करना होगा कि क्या उसको वही कुछ बनना है जिसकी कि--अर्थात् विश्व शान्ति का संरक्षक--उससे आशा की जाती है या वह पाकिस्तान द्वारा मिथ्या प्रचारों की चालों का शिकार होना अधिक पसन्द करेगा जैसाकि पिछले कुछ दिनों में हुआ है। यदि यह पाकिस्तान के प्रभाव में आकर कार्य करता है तो स्वयं इस का प्रभाव समाप्त हो जायेगा और यह विश्व में शान्ति स्थापित करने तथा युद्धों की संभावनाओं को कम करने में असमर्थ हो जायेगा। विश्वमत को ज्ञात होना चाहिये कि काश्मीर में शान्ति को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। यदि सुरक्षा परिषद् ने पाकिस्तान की इच्छानुसार बिना सोचे समझे कोई अनुचित कदम उठाया तो वह संसार की आंखों में गिर जायेगा।

[श्री नाथ पाई]

हमारा यह सोचना, कि पाकिस्तान सीटों का सदस्य है इसलिए ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद् में भारत के विरुद्ध ऐसा रवैया अपनाया है, उचित नहीं है। वास्तव में टोरी सरकार यह नहीं भूली है कि हम इनके शासक थे और इन्होंने दासता से मुक्ति प्राप्त की है, जो उन के लिए अपमान की बात है। दूसरी बात मुस्लिम लीग द्वारा की गई विश्वसनीय सेवाओं को भी वे नहीं भूले हैं।

नेफा में हुई अपनी असफलताओं के कारण हम संसार की दृष्टि में दुर्बल समझे जाते हैं जिस के कारण हमें दीर्घकाल तक हानि उठानी पड़ेगी। ब्रिटेन के प्रतिनिधि द्वारा सुरक्षा परिषद् में अपनाये गये रवैये से भारत की निष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गिर चुकी है। हमने सदा फ्रांस को मित्र समझा तथा उसका साथ दिया। उसने भी भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन सरकार को मान्यता दे दी। रूस के, जो भारत का अत्यधिक समर्थक समझा जाता है, दृष्टिकोण में भी अब कुछ अन्तर दिखाई दे रहा है। हमें इस संबंध में ध्यानपूर्वक विचार कर उचित कार्यवाही करनी होगी। काश्मीर जो धर्म निर्पेक्ष प्रजातंत्र संबंधी हमारी आशाओं का मूल आधार है, उसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गिरवी नहीं रखा जाना चाहिये। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अकेले होते जा रहे हैं वहां पर हमारे समर्थन में किसी ने कुछ नहीं कहा, भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखा गया। हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहियें जिससे हमें अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त हो सके।

सुरक्षा परिषद् में ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रवैये से राष्ट्रमंडल के ढांचे को हानि पहुंची है। भारत की निष्ठा इस संबंध में बहुत ढीली पड़ गई है। हमारे प्रति किये गये व्यवहार से उस निष्ठा को फिर स्थापित करना बहुत कठिन कार्य होगा। इतना होने पर भी एक महत्वपूर्ण बात भारत के पक्ष में यह हुई है कि पाकिस्तान जिस उद्देश्य के लिए भारत को सुरक्षा परिषद् तक खींच ले गया था, उसे प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहा। उसे करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसकी इस पराजय का श्रेय भारत के प्रतिनिधि को भारत का मामला सुरक्षा परिषद् में चातुर्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए नहीं दिया जा सकता अपितु पाकिस्तान को यह पराजय काश्मीर घाटी की उस जनता ने दी जिसने 'जिहाद' के नारे में शामिल होने से कतई इन्कार कर दिया।

काश्मीर के भाग्य का निर्णय सुरक्षा परिषद् में श्री भुट्टो या सर पेट्रिक द्वारा नहीं किया जायेगा अपितु इसका निर्णय काश्मीर की जनता के दिल और दिमागों में होगा। काश्मीर में हम जिस प्रकार स्थिति को संभालने के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। हमें काश्मीर की जनता की राजनिष्ठा में पूर्ण विश्वास है। सरकार को सर्वथा जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये कि हम ऐसे किसी तत्व को आश्रय न दें जिसमें काश्मीर की जनता का विश्वास न हो। काश्मीर में हुई घटनाओं की जांच निष्पक्ष होनी चाहिये ताकि हमारे देश के सम्मान पर किसी प्रकार की आंच न आये। विश्व के सामने हमारा नैतिक स्तर न गिरे। अपनी आन्तरिक समस्याओं को सुलझाते समय हमें पाकिस्तान के हमारे प्रति अपनाये गये रवैये को महत्व नहीं देना होगा क्योंकि वह न तो किसी सिद्धान्त को ही मानता है और न किसी संविधान को।

अब मैं चीन के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। रूस की सीमा का जब भी उल्लंघन किया गया उसने उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है। हमें भारत की तुलना रूस से नहीं करनी चाहिये क्योंकि वह सुरक्षा की दृष्टि से भारत से अधिक सबल है।

कुछ दिनों पूर्व जनरल नेविन इस देश में आये थे। सरकार की विदेशी नीति क्या है। क्या सरकार हमारे मित्र देशों से आग्रह कर रही है कि वे चीन से समझौता वार्ता के लिये कहें। कोलंबो प्रस्ताव अब महत्वहीन हो गये हैं। पाकिस्तान के संबंध में क्या नीति है। नेहरू लियाकत अली समझौते का भी अब कोई महत्व नहीं रह गया है।

चीनी हमारी सैनिक शक्ति को अत्यन्त तुच्छ समझते हैं। चीन के आक्रमण ने सारे देश को संगठित कर दिया था। किन्तु उसका भी कोई उचित उपयोग नहीं किया गया। यदि हम ने इन संकटों का सफलता से सामना करना है तो हमें यह अनिश्चय का रुख त्यागना होगा। हमें पूरे विश्वास और साहस के साथ स्थिति का सामना करना पड़ेगा। केवल इसी उपाय द्वारा हम भविष्य में आने वाले संकटों का सामना कर सकते हैं।

**Shri Tulshidas Jadhav** (Nanded) : Mr. Deputy Speaker, while expressing my support to the Address delivered by Vice-President I would like to throw some light on certain things.

We, the Member from Maharashtra, have given a calling attention notice regarding the attitude of police in not allowing Shri Vinayak Rao Patil, President of Maharashtra Provincial Congress Committee, to speak in a public meeting in Nagar Haveli though he had gone there on invitation from the local people and was accompanied by a Govt. representative, a Deputy Minister of Maharashtra and had given a notice for holding the meeting beforehand. The same thing happened at other places too. It was an unreasoning attitude on the part of the police because freedom of movement, of speech and expression and of peaceful assembly has been granted by the Constitution. Central Government should take steps to set right these things. Efforts should also be made to settle other problems, like the problem of Krishna-Godawari waters, of Goa, Nagar Haveli etc., facing the Maharashtra State today.

The Vice President, in his Address, has stated the need of better utilisation of man-power, if production is to be increased. The rising population in urban as well as rural areas does not find employment. Some way should be sought to give them proper work. Steps should be taken to check the abnormal rise in the price of food grains.

The production of food grains has remained stagnant for last three years, being 80 million tons per year. We have to achieve the target of 10 crore tons by the end of Third Plan. Proper planning should be made at family block and district levels and inducement and assistance should be given to the farmer.

The distribution of fertilizers and the financial assistance given by the Government could not bring about proportionate increase in the production. Money made available to rural sector is not adequately being utilized. Steps should be taken to remove the difficulties of farmers encountered with them in the way of attaining self-sufficiency and increasing production.

Even the urban areas are facing unemployment situation to a considerable extent. For example, in Sholapur Spinning and Weaving Mills the numbers of workers has been reduced from 12000 to 3000. They deduct the provident fund from the workers but do not deposit the amount in Government account. What I want to elucidate is that big persons evade the Government rules while poor people who obey them suffer in various ways.

About Kashmir, I would like to say that accession of this State to the Indian Union was as perfectly legal as in the case of other former States. The

[Shri Tulshidas Jadhav]

attitude of British delegate in regarding this accession as unrealistic is nothing but neglecting the real facts. The Act passed by British Parliament at that time clearly gives the option whether to accede with India or with Pakistan, to the States themselves. Therefore the accession of Kashmir with the Indian Union is complete and legal in all respects.

**Shri Prakash Vir Shastri** (Bijnor): Mr. Deputy Speaker, before I proceed with my speech I would like to point out an omission about an important fact, made in the Address: that while a reference has been made to President Kennedy's death, nothing, what so ever, has been said about passing away of Dr. Rajendra Prasad, the first President of India. I feel that this omission should be set right by bringing forth a specific amendment.

There are two other things I would like to speak of. Firstly the massacre carried out in East Pakistan has been referred to in the Address as "Communal riot" which is a much more milder expression and connotes both the parties to be at fault. "Planned genocide" was the proper expression for these happenings.

Secondly the number of persons massacred has been stated by using the phrase "Several hundred" which, at the most, indicates the figure 900 whereas, the actual number, as far as my personal information goes, was more than 30,000. What is the basis of these figures when, as the Government says, our deputy High Commissioner at Dacca was not given the same facilities which were given to Pakistan's High Commissioner in India, of visiting the riot affected areas, of tape-recording their statements and of taking snaps ?

According to the statement of a revolutionary political worker of East Pakistan, who recently happened to come to India, 10,000 deaths occurred in Narsinh Dih-Bhojpura Paragana, 5000 in Jaidevpur Paragana and 30,000 alone in Dacca and Khulna. I would like to ask what information was collected by our High Commissioner and whether he was allowed to move about in Dacca alone or all over Dacca District ?

We, with high hopes, were looking forward for the speech to be made by Shri Lal Bahadur Shastri. To quote, when the riots first took place in East Pakistan Mahatma Gandhi had made the utterance in the prayer meeting at calcutta that the responsibility of bringing and rehabilitating these persons who do not want to live in East Pakistan lies on our shoulders, Sardar Patel, who fortunately was alive at the time when riots spread there a second time, and he too expressed the same feelings. At the third time, when in 1950 East Pakistan was facing the same situation, the Prime Minister made a statement on 23rd February, 1950 before the Parliament wherein it was stated that "Some sad incidents had taken place in East Bengal at various places on a large scale. Even that day attrocities were being inflicted there. We could not predict the terrible censequence which those happenings were likely to bear. Most, if, not all, of the minorities living there appeared to have lost all hopes of their safety and were living there under constant fear and apprehension."

He again said on other occasion, that India would be forced to take some other steps if this kind of situation continued to prevail there. When it was the position in 1950 what the Government had been doing for all these years upto 1964 ?

At the time of partition the number of Hindus, living in East Pakistan, was 1 crore 60 lacs as per Government figures. The population of that place, as reported by East Pakistan Government, has increased by 32 percent.

Counting with this rate the population of Hindus living there at present after deducting the number of 46 lacks persons since migrated to India, roughly comes to 1 crore 64 lacks whereas their present number is 92 lacks only. Where the rest 76 lacks persons have gone undoubtedly, they have been killed or converted.

I had a feeling that Shri Lal Bahadur Shastri would, in his statement, say some such words which would console 92 lacks sufferers of East Pakistan. But he said nothing of that kind except giving a few quotations from some news-papers.

Following this horrified holocaust in East Pakistan some scattered incidents took place in Calcutta also where 280 persons lost their lives including 38 Hindus and 59 others about whom safety can be inferred to which community they belonged, by police firing. And still Shri Badrudduja has ranked these meagre happenings with what happened in East Pakistan.

I would like to make it clear that, that wing of C. P. I. which was pro-Chinese a few days ago has become pro-Pakistan now. Government should take greater care of these things.

Further more, I would like to make the Government alive to the fact that the episode which took place in Calcutta may be repeated again. Shri Bhutto has given indication of the fact that in a months time the issue will be again raised in the Security Council. So the Government should be vigilant to see that no such happening occur in future.

There was a big hue and cry in Pakistan over the theft of sacred hair from Hazratbal shrine so much so that the whole Government of India was shaken. But no one uttered a single word about the theft of two idols from a Jammu temple. I do not know what kind of secularism it is.

After the recovery of the sacred hair Shri Vishwanathan gave a statement in which he said that the hair had been recovered but that the thief had not been traced. But when the Government says that the person, who was fleeing after having replaced the hair has been apprehended, why was it that Shri Vishwanathan did not disclose it in the Press Conference, leading Gen. Ayub to make his statement which resulted in the disturbances in East Pakistan ?

I do not agree with my friends who are pleading for the release of Sheikh Abdullah. Due recognition should be given to the services rendered by Bakshi Gulam Mohammad. But his popularity in Kashmir is receding since the theft of Sacred hair. Due account should be taken of these developments.

I was somewhat shocked to hear the statement made by a responsible Minister in Security Council that the question of plebiscite does not arise till the aggression is vacated. Why should there be any plebiscite when 3 general elections have taken place? The issue before the Security Council is nothing but to consider how early Pakistan surrenders occupied territory to India.

At the end I would like to say that the problem of Kashmir will not be solved by changing the Prime Ministership of that State. The only solution lies in fully integrating that State with the rest of India and giving that State the status of other States and then forming a greater State by merging Punjab, Himachal Pradesh and Kashmir.

**श्री पें० वंकटासुब्बया** (अडोनी) : मै श्री चागला को बधाई देता हूं कि उन्होंने सुरक्षा परिषद् मे भारतीय दृष्टिकोण को बहुत अच्छे ढंग से रखा । ब्रिटिश प्रतिनिधि द्वारा अपनाया गया ।

[श्री वैंकटासुब्बा]

हमारे लिये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है । भारत के स्वतन्त्र होने से ब्रिटेन वालों को आघात पहुंचा है उसे वे भुला नहीं पाये हैं । हमारे देश के और हिस्से करने तथा साम्प्रदायिक दंगों के फैलाने मे वे पाकिस्तान से सांठगांठ करते रहे हैं ।

हम चीनी आक्रमण के समय भारत की सहायता करने के लिये अमरीका के कृतज्ञ हैं। जबकि पाकिस्तान चीन के साथ सांठगांठ कर रहा है । अमरीका तथा ब्रिटेन पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये देश अपने नव-उपनिवशवाद द्वारा फिर से भारत को हथियाने की कोशिश में हैं ।

रूस द्वारा नरम रुख अपनाये जाने के बारे में श्री नाथ पाई तथा कुछ अन्य मित्रों ने संदेह युक्त किया है । परंतु सुरक्षा परिषद मे रूसी प्रतिनिधि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि काश्मीर का भारत मे विलय अन्तिम तथा अपरिवर्तनीय है । चकोस्लोवाकिया ने भी इस दिशा मे काफी योगदान दिया है।

हजरतबल की दरगाह से पवित्र बाल के चोरी होने पर पाकिस्तान में घृणा की भावना को खब बढ़ावा मिला । पाकिस्तान तथा चीन यह चाहते हैं कि भारत में साम्प्रदायिक दंगों का एक तांता सा लग जाय । इस उद्देश से उनके एजट भारत में कार्य कर रहे हैं । अत: हमें अपने बाहरी शत्रुओं की बजाय अन्दरूनी शत्रुओं से अधिक सावधान रहना चाहिये ।

मुझ इस सभा के एक मनोनीय सदस्य का भाषण सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने संविधान तथा धर्मनिरपेक्षता के सम्मान के प्रति शपथ ले रखी है । फिर भी उन्होंने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला भाषण दिया है । सरकार को ऐसे व्यक्तियों पर अंकुश रखना चाहिये ।

उपराष्ट्रपति के भाषण में कहा गया है कि कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है । हमारा आर्थिक विकास कृषि की उन्नति पर ही निर्भर करता है । जब तक हम खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हम औद्योगिक तथा आर्थिक विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते । गांव स्तर पर इस समस्या को हल करने के लिये प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। जिन योजनाओं की कार्यान्विति से शीघ्र लाभ होने वाला है उनकी कार्यान्विति में देर की जा रही है। मंत्री केवल फाइलों पर ही निर्भर करत हैं। उन्हे स्थिति की वास्तविकता को देखना चाहिए तथा बाधाओं को दूर करना चाहिये । सम्मेलनों आदि पर धन का अपव्यय करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती ।

हमारे राज्य में नागार्जुनसागर परियोजना पर कार्य चल रहा है । इस पर १५० करोड़ रुपये व्यय होंगे और १०-१५ वर्ष में यह तैयार होगी । इन वर्षों में राज्य के सब संसाधन उसी पर व्यय किये जायेंगे जिससे छोटी तथा मध्यम सिचाई योजनायों को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया जा सकेगा । जब तक बड़ी सिचाई योजनाओं की कार्यान्विति केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक कृषि उत्पादन के लिये दिये गये अतिरिक्त धन से कोई लाभ नहीं होने वाला है ।

प्रत्येक देश में कृषि योग्य भूमि सीमित होती है । बढ़ती हुई जनसंख्या तथा विस्तृत कृषि के फलस्वरूप शीघ्र परिणाम नहीं निकल सके हैं ।

हम सघन खेती को अपनाना चाहिये ताकि हम प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा सकें । जोतों के टुकड़े नहीं होने चाहियें । सहकारी खती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । सहकारी समितियों द्वारा किसानों को धन उपलब्ध किया जाना चाहिये । तीन चार विभाग यही कार्य कर रहे हैं ।

इसका परिणाम यह होता है कि कुछ संभ्रांत किसान इन सब विभागों से धन प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं । हमें भूमि लगान विभाग के कार्य का पुर्नविलोकन करना चाहिये ।

मैं मद्यनिषेध की नीति का समर्थक हूं परन्तु यदि सरकार इसको सक्रिय रूप से कार्यान्विति नहीं कर सकती तो इसे समाप्त कर देना चाहिये । इसे मानापमान का विषय नहीं बनाना चाहिये ।

जहां तक हिन्दी भाषा का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि हिन्दी के समर्थकों को दक्षिण भारत में रहने वालों की भावना को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । हम हिन्दी सीख रहे हैं । हम चाहते हैं कि हिन्दी इस देश की जनभाषा बना दी जाये । हिन्दी प्रेमियों को हिन्दी के बारे में विवाद उठा कर इसके रास्ते में बाधायें उपस्थित नहीं करनी चाहियें । हमें आशा करनी चाहिये कि हिन्दी शीघ्र ही हमारी राष्ट्र भाषा बन जायेगी ।

**Shri Gulshan** (Bhatinda) : The Vice-President's address makes no mention about the increasing cost of living , the increase in corruption and the worsening law and order situation in the country.

Agricultural production has gone down. It is a serious matter. No positive efforts have been made to effect increase in production. If we are earnest about increasing production in the agricultural field, the first thing that Government should do is to improve the lot of the f rmers. It is distressing to note that the Government have instead imposed more and more taxes on them and have thus added to their misery. The requirements of the farmers are also not supplied in time.

Government has failed to achieve any progress in any sphere. The assurances given before independence have fallen on deaf ears. Public money is being wasted in the name of expenditure on the plans. Earnest efforts have not been made to remove disparities in income. Pay of any man in service should not be more than rupees one thousand a month. The lower limit should be fixed at Rs. 125/- per mensem.

The Government has not been able to solve the Kashmir problem. If the Government had not halted the march of the conquering Indian forces in 1947 the Pakistani forces and tribe men would have been thrown out of Kashmir territory and this problem would not have been there at all. The Government let slip that opportunity and the result is that the situation there has been deteriorating day after day. The people of Kashmir are demanding the imposition of Presidents rule there. I am at a loss to understand why the Government of India is hesitating to respect the wishes of the people there.

The Scheduled Castes and other backward classes are continuously being ignored. Nothing has been done to ameliorate their condition. Arable land lying idle in the country should be made available to landless persons among them at cheap rates. This will help increase production and also improve their lot. The labourers should be rendered more assistance in the form of loans to match their needs.

**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : प्रशासन का स्तर गिर चुका है । इसके सुधार के लिये कुछ उपा करना आवश्यक है । यह ठीक है कि अभिभाषण में सतर्कता आयोग की स्थापना करने के बारे में उल्लेख है परन्तु सेना के जनरलों तथा अन्य उच्च सैनिक अधिकारियों की मृत्यु का इसमें कोई उल्लेख नहीं है । उनकी मृत्यु से सारे देश में मातम छा गया था ।

[श्री बासप्पा]

पाकिस्तान के साथ हमें कड़ी नीति अपनानी चाहिये । दोनों देशों के बीच की समस्याएं केवल आपसी बातचीत से ही हल हो सकती हैं । यह ठीक है कि हमारा अनुभव उलटा हो रहा है । परन्तु हमारे अपने रवैये पर दृढ़ रहने से शायद उसे अक्ल आ जाये । सुरक्षा परिषद को ऐसे प्रश्न का निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है जिसमें किसी देश की प्रभुसत्ता का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो । सुरक्षा परिषद में ब्रिटन के प्रतिनिधि द्वारा अपनाया गया रवैया पक्षपातपूर्ण है । यदि ब्रिटेन इस बारे में अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता तो हमें फिर से सोचना चाहिये कि उस देश के साथ हमारे क्या सम्बंध होने चाहियें । अमरीका का रवैया भी जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है पाकिस्तान के पक्ष में रहा है । आक्रामक तथा आक्रांता को एक ही तराजू में तोला जा रहा है । हमारे अपर्याप्त प्रचार के कारण भी ऐसा हो रहा है अतः हमें अपने विदेश प्रचार को और अधिक तीव्र करने की आवश्यकता है ।

पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये । मैसूर राज्य के सामने बड़ी समस्याएं हैं । उस राज्य को विकास परियोजनाओं के लिये अधिक धन राशि दी जानी चाहिये ।

अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद सदा के लिये निपटा दिये जाने चाहियें । कृष्णा नदी के जल का वितरण अधिक युक्तियुक्त आधार पर होना चाहिये था ।

यदि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तथा देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो हमें ईमानदारी से काम लेना चाहिये । लोगों के दिल में विश्वास पैदा करने के लिये सरकार को भरसक प्रयत्न करने चाहियें ।

**श्री मु० प० शिकरे (मरमागोआ) :** गोआ, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्ति दिलाने के लिये भारत के लोगों ने जो सतत और सच्चे प्रयास किये हैं उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । मुझे इसमें संदेह है कि भारत की जनता के प्रयत्नों तथा सहायता के बिना भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को मुक्त कराने की आवश्यकता भी महसूस की होती । गोआ के स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था कि वे १५ अगस्त, १९५५ को स्वतंत्र होने जा रहे हैं परन्तु जब भारत के प्रधान मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि भारत सरकार का गोआ के सत्याग्रहियों से कोई सम्बंध नहीं है तो गोआ के अधिकारियों ने निहत्थे तथा अहिंसात्मक सत्याग्रहियों को मौत के घाट उतार दिया । वहां के लोग उन दिनों को अभी भूले नहीं हैं । इन क्षेत्रों की मुक्ति के लिये जिन लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है उनको मैं इस सभा मे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आप कहेंगे कि इन क्षेत्रों के स्वतंत्र होने के दो वर्ष बाद ऐसा क्यों किया जा रहा है । परन्तु जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस सभा मे अपने विचार व्यक्त करने का मुझे यह प्रथम अवसर प्राप्त हुआ है । गोआ, दमन तथा दीव में हुए निर्वाचनों में कांग्रेस विधान सभा के लिये २८ के २८ स्थान हार गई है और संसद के दोनों स्थान भी । यह इस बात का संकेत है कि भविष्य में इस देश में भी ऐसा ही होने वाला है ?

अभिभाषण बिल्कुल नीरस है तथा इसमे दूर दर्शिता तथा गतिशीलता की कोई झलक नहीं है । इसमें चीनी शत्रु को अपने क्षेत्र से निकाल फेंकने के किन्हीं उपायों का कोई उल्लेख नहीं है । ऐसा मालूम होता है कि सरकार की नीति के बारे में मूल निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा नहीं अपितु वरिष्ठ नौकरशाही मनोवृत्ति वाले अधिकारियों द्वारा किया जाता है । यही कारण है कि लोगों की भावनाओं की उपेक्षा की जा रही है ।

गोआ के भविष्य के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है । गोआ को महाराष्ट्र तथा दमन और दीव को गुजरात मे मिलाने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहियें । इस बारे मे विलम्ब

करने से इनके एक विवादास्पद विषय बन जाने का डर है। जैसा कि यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद में न ले जाया जाता तो यह समस्या आज हमारे सामने नहीं होती। अतः मेरा निवेदन है कि गोआ, दमन और दीव के विलय के बारे में शीघ्र कोई उपाय किये जाने चाहियें।

**श्री वारियर** (त्रिचुर) : उपराष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में प्रगति का उल्लेख है परन्तु वास्तविक स्थिति वैसी नहीं है। मेरी राय में सरकार ने इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया है जितना इसे देना चाहिये था।

कांग्रेस १९५५ के अवाडी अधिवेशन से प्रजातंत्रीय समाजवाद लाने की बात कहती आ रही है। एक दशाब्दी खत्म होने को आ रही है परन्तु इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। सरकार स्वयं यह महसूस कर रही है कि देश में एकाधिकार को बहुत बढ़ावा मिला है। इसने इतना व्यापक रूप धारण कर लिया है कि इसे नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। इसीलिये सरकार इसकी जांच करने के लिये एक आयोग की स्थापना करने के बारे में सोच रही है। सत्तारूढ़ दल इन बेकार की बातों में उलझा हुआ है कि आया हमें पहले देश का धन बढ़ाना चाहिये और फिर उसको जरूरतमंदों को बांटना चाहिये या ये दोनों कार्य साथ ही साथ किये जाये चाहियें। वास्तविकता यह है कि धन तथा आर्थिक सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित हो गई है। यही कारण है कि जांच प्रतिवेदन के पेश किये जाने में विलम्ब किया जा रहा है।

वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि के कारण मजदूर वर्ग के लिये निर्वाह करना कठिन हो गया है। उनको पेट भराई वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने उनके मंहगाई भत्ते में दो रुपये की वृद्धि करके उनके साथ बहुत बड़ा मजाक किया है।

सरकार ने पहले और दूसरे वेतन आयोग के सुझावों को लागू नहीं किया है मूल्यों में असमान्य वृद्धि हुई है। भारत प्रतिरक्षा नियमों के होते हुये भी मुनाफाखोर सजा पाने से बच जाते हैं। मजदूरों ने आपातकाल आरम्भ होने पर सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया था। इसमें सरकार की, नियोजकों की और मजदूरों की पृथक पृथक जिम्मेदारियां थीं। सरकार का पहला कार्य मूल्य रेखा को स्थिर रखना था, जिसमें वह असफल सिद्ध हुई है। मूल्यों की वृद्धि का प्रभाव औद्योगिक मजदूर कृषि मजदूर और मध्य वर्गीय व्यक्ति, सब पर पड़ा हैं। मूल्यों पर बिलकुल भी नियंत्रण नहीं है। हर एक वस्तु के बाजार में मनमाने दाम लिये जाते हैं। आटे का भाव दिल्ली में १७ रुपये मन से बढ़कर ३१ रुपये मन तक पहुंच गया है। कपड़े की कीमत के संबंध में मिल पालिक स्टाम्प लगाते हैं। वह उचित होती है अथवा नहीं इस बात की जांच करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। इस प्रकार सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी है।

जहां तक नियोजकों का प्रश्न है वे लाखों रुपये का लाभ अर्जित कर रहे हैं। १९६०-६१ में लाभ की मात्रा में सामान्य रूप से १३.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लीवर ब्रदर्स को कर देने के पश्चात सबसे अधिक २६ प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ है। भारत के १८ या २० दूसरे बड़े उपक्रमों के लाभ में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि उनकी लगाई हुई रकम में केवल ७ प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इस प्रकार त्रिपक्षीय समझौते का तीसरा पक्ष भी अपनी उत्तरदायित्व पूरा करने में असफल रहा है।

केवल कर्मचारियों ने अपना वचन पूरा किया है। उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। किन्तु वास्तविक मजूरी में कमी हुई है।

[श्री वारियर]

मंहगाई भत्ता मजदूरों की आय का स्थायी अंग बन गया है। कपड़ा मिल के एक मजदूर को ३१/२ रुपया महावार वेतन मिलता है जब कि उसका मंहगाई भत्ता ७५ रुपया है। इसे वेतन में मिला दिया जाना चाहिये।

निर्वाह परिव्यय में १९६० की तुलना में २९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किन्तु सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर पाई है। इस प्रकार यह सरकार असफल सिद्ध हुई है।

**Dr. Ram Manohar Lohia** : Sir, I rise on a point of order....

**Mr. Deputy Speaker** : There is no question of point of order.

**Dr. Ram Manohar Lohia** : Please listen to me. Article 87(1) of the Constitution envisages that at the commencement of the first session of each year the President shall address both Houses of Parliament assembled together and inform Parliament of the causes of its summons. Accordingly the Houses were summoned this year and were informed of the causes of its summons. Now the discussion is going on on the Motion of Thanks.

Again, it is envisaged in Article 74 (1) that there shall be a council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions. I am of the opinion that addressing the joint Session is one of the most important function of the President.

Further, Article 75(1) says that the Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. It clearly implies that Prime Minister enjoys higher position than any other Minister inasmuch as he alone is appointed directly by the President.

Reading these articles enjointly it becomes clear that Prime Minister alone is entitled to reply to the debate regarding President's Address. Furthermore, if it is argued that according to Article 75 (3) council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People, I would like to say that the cabinet does not exist devoid of Prime Minister. Therefore I would like to request that you should not assign the tash of replying to the debate on the motion of thanks on the Address to any minister other than the Prime Minister.

**उपाध्यक्ष महोदय** : डा० लोहिया ने यह औचित्य प्रश्न उठाया है कि केवल प्रधान मंत्री ही वादविवाद का उत्तर दें। मैं उन्हें नियम २० पढ़ कर सुनाता हूं :

> "सरकार की ओर से प्रधान मंत्री या किसी अन्य मंत्री को, चाहे उसने चर्चा में पहले भाग लिया हो या नहीं, सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का समान्य अधिकार होगा।"

इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है।

**Dr. Ram Manohar Lohia** : I have quoted from the Constitution and this discussion is President's Address.

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं ने अपना विनिर्णय दे दिया है। आप कृपया बैठ जायें।

**Dr. Ram Manohar Lohia** : I am leaving the House in protest. History will never forgive this ruling.

**इसके बाद श्री राम मनोहर लोहिया सभा से उठ कर चल गये।**

**Dr. Manohar Lohia then left the House.**

**डा० मा० श्री० अणे** : श्रीमान् में ५ दिनों से आप का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा हूं, किन्तु मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : वे सभा के वरिष्ठतम सदस्य हैं। हमें खेद है कि उन के प्रति इस प्रकार की उदासीनता दिखाई गई है।

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : He should also be given time to speak.

**Shri Kashi Ram Gupta** (Alwar): Another member of my group has also not been given opportunity.

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने डा० अणे को सारी स्थिति समझा दी थी। किन्तु सभा की इच्छा ऐसी है तो मैं उन्हें पांच अथवा दस मिनट दे सकता हूं।

**डा० मा० श्री० अणे** : मैं श्री चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभिभाषण में सरकार द्वारा की जाने वाली प्रगति का उल्लेख है। इस बात का भी उल्लेख है कि मुख्यतया १९६२-६३ में कृषि उत्पादन में कमी होने के कारण सब मिला कर आर्थिक विकास लक्ष्य से पीछे रह गया है। अभिभाषण में अपील की गई है कि हमारे सामने सब से महत्वपूर्ण कार्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। चौथी और पांचवीं योजनायें तीसरी योजना के कृषि उत्पादन की कमी को पूरा करने पर ही निर्भर करती हैं। यह समस्या अत्यन्त जटिल है। किन्तु योजना आयोग का यही कार्य है कि इस समस्या को सुलझाये।

कृषि की प्रगति और औद्योगिक विकास समाजवादी प्रजातंत्र को प्राप्त करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार की आन्तरिक नीति समाजवादी और प्रजातंत्रीय व्यवस्था की स्थापना और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सरकार की नीति शांति और सहयोग स्थापित करने की रही है। गत १७ वर्षों से भारत राष्ट्रों के परस्पर वैरभाव को समाप्त कर समझौता करवाने के लिये प्रयत्नशील रहा है। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण हैं। चीन ने भारत पर आक्रमण कर उसके कुछ प्रदेश पर अधिकार जमा लिया है और पाकिस्तान ने सीमा पर झगड़े करते रहने के साथ ही चीन के काश्मीर के एक भाग के सम्बन्ध में समझौता कर लिया है जो कानूनी रूप से भारत का था। चीन के सम्बन्ध में भारत ने अपने इस निश्चय की घोषणा कर दी है कि आवश्यकता हुई तो शक्ति प्रयोग कर के चीन से अपनी भूमि वापिस लेनी है। अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

पैरेग्राफ १४ में चीनी संकट का उल्लेख किया गया है। इस उल्लेख में चीनी आक्रमण और युद्धविराम के बाद चीनियों की शरारतपूर्ण कार्यों का महत्व बहुत कम कर के दिखाया गया है। अभिभाषण में चीन द्वारा किये गये कुछ अत्यन्त गर्हित कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया। पहली बात तो यह कि उन्होंने हमारी भूमि पर अभी भी अधिकार किया हुआ है। चाऊ एन लाई कोलम्बो प्रस्तावों को न मानते हुए भारत से सीधी वार्ता करने के लिए कहते हैं। यह एक अपमानजनक बात है।

दूसरी बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान को यह समझौता करने का अधिकार नहीं है, एक समझौता किया है। चाउ एन लाई भारत के विरुद्ध विषैला प्रचार कर रहे हैं। वे सीमा पर अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और दूरस्थ देशों से मित्रता बढ़ा रहे हैं। मैं

[डा० मा० श्री० अणे]

समझता हूं कि हमारा प्रचार कार्य कारगर नहीं है। अभिभाषण में पाकिस्तान और चीन के संबंध में हमारी वास्तविक स्थिति पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

अन्त में मैं यह सुझाव दूंगा कि यहां प्रत्येक युवा व्यक्ति को सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये। इससे देश के युवागण अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जायेंगे। हमें खुश रहने की नीति को छोड़ देना चाहिये। प्रतिरक्षा मंत्री को कठिन प्रयास करने के सम्बन्ध में मैं बधाई देता हूं। किन्तु यह आवश्यकता से बहुत कम है।

अन्त में अपने सैनिकों की सफलता के लिये एक वेदमंत्र का उच्चारण करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं :

अस्माकम् वीरा उत्तरेऽभवन् त्वस्मान्
ऊदेवा अवताह वेबु

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा):** श्रीमान्, मुझे उपराष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

अभिभाषण को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। श्री नाथ पाई ने कई कमियों की ओर निर्देश किया है। संक्षेप में इस अभिभाषण में कई बातों पर प्रकाश डाला गया है। एक वर्ष में जो कुछ हुआ, उसकी रूप रेखा ही बतलाई गई है। जो कुछ बच रहा है उस पर माननीय विरोधी सदस्यों ने प्रकाश डाला है। अभिभाषण में देश की सफलताओं के साथ ही उस की कठिनाइयों का भी जिक्र किया गया है। हमें स्थिति को वास्तविक रूप में देखना होगा। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर हमें भविष्य के लिये अधिक उत्तम योजना बनानी है।

मैं पहले आर्थिक समस्या को लेता हूं। यहां पर आर्थिक समस्या के विभिन्न पहलुओं पर भाषण हुए हैं। मूल्य स्तर की आम चर्चा हुई है। उत्पादन, योजना, आर्थिक नीतियों आदि का भी जिक्र हुआ है। मैंने यह प्रश्न सबसे पहले इसलिये लिया है कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है।

गत् दो वर्षों से आर्थिक विकास की गति आवश्यकताओं को देखते हुए संतोषजनक नहीं रही। पहली दो योजनाओं के दौरान राष्ट्रीय आय में ३.६१ की संचयी (क्यूमूलेटिव) दर के हिसाब से वृद्धि हुई। इस समय जन संख्या में वृद्धि होने से कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। प्रतिरक्षा के कारण भी संसाधनों पर अधिक भार पड़ा है। इसलिए कर बढ़ाने पड़े हैं। यद्यपि इस बात का ध्यान रखा गया है कि सामान्य उपभोग की वस्तुओं को यथासंभव करों से मुक्त रखा जाये। दूसरी बात यह है कि उत्पादन में आशानुसार वृद्धि नहीं हुई है। इन कारणों की बजह से मूल्य स्थिर नहीं रखे जा सके। पहले दो वर्षों में मूल्य रेखा वैसी ही रही। पहले वर्ष में ३.७ प्रतिशत की कमी हुई और दूसरे में ३.७ प्रतिशत की वद्धि हो गई। मार्च १९६३ के बाद से २ फरवरी तक ७.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण कृषि पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होना है। इसलिए इसी क्षेत्र में हमें ध्यान केन्द्रित करना है।

पहले वर्ष में कृषि उत्पादन में १.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में यह ३.३ प्रतिशत कम हो गया। औद्योगिक उत्पादन में पहले वर्ष ५.६ प्रतिशत और दूसरे वर्ष ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इन दोनों वर्षों से राष्ट्रीय आय पिछले दस वर्षों में ३.६ प्रतिशत की तुलना में २.५ प्रतिशत अधिक हुई। इस का कारण कृषि उत्पादन में कमी थी।

कृषि उत्पादन में कमी बेशी होने के दो कारण हैं। एक मानवी है जिसमें उर्वरक, पानी इत्यादि आते हैं, और दूसरा प्राकृतिक। उर्वरकों आदि का वितरण पहल वर्षों की अपेक्षा में बढ़ा है। फिर क्या कारण है कि उत्पादन में कमी हुई है? इस का कारण है प्रकृति का योग, मानसून की और जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों की अनिश्चितता। पहली ही बार हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा। १९५३-५४ में कृषि उत्पादन में १२.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। १९५४-५५ में यह प्रतिशतता २.४ रह गई और १९५५-५६ में—०.२। अन्य देशों में भी यही होता है। किन्तु हमारी भी इसमें कुछ जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति का सामना करने की अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा पाये। इस क्षेत्र में कारगर समन्वय नहीं हो पाया और प्रशासन में कृषि सम्बन्धी कार्यों के निर्वाहक व्यक्ति अधिक कुशल नहीं हैं। हम इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु यह कार्य इतना सरल दिखाई नहीं देता। जब हम इसे वर्षों के प्रभाव, अन्य सारी कठिनाइयों और प्रकृति की अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में देखते हैं।

औद्योगिक उत्पादन में पहले वर्ष ५.६ प्रतिशत और दूसरे वर्ष ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल उद्योगों जैसे मशीनरी, धातु के सामान आदि के सम्बन्ध में वृद्धि की दर अधिक है जबकि उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में कम। क्योंकि हमें एक समय में एक बात के सम्बन्ध में दूसरी बात से अधिक महत्व देना पड़ता है।

तब भी मानना पड़ेगा कि औद्योगिक उत्पादन में सन्तोषजनक वृद्धि नही हुई। इस के कई कारण हैं। आयोजना का कार्य उपयुक्त नहीं हुआ। लागत के विषय में ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाये जा सके। विदेशी सहायता पर अधिक मात्रा में निर्भर रहा गया। प्रशासन में भी कुछ कमियां थीं: यह गलत धारणा बना ली गई कि वित्तीय और अन्य व्यवस्थाओं के पूर्ण होते ही कार्य अनुसूची के अनुसार होना आरम्भ हो जायेगा जबकि वास्तविक रूप में कार्य के आरम्भ होने के पहले कुछ तैयारी की भी आवश्यकता होती है। ये बातें हमारे लिये नवीन थीं जो जटिल से जटिलतम होती चली गईं। हमें उपयुक्त तकनीकी कर्मचारी नहीं मिल सके। प्रशासन कार्य में भी पूर्ण समन्वय का अभाव रहा।

स्थिति को सुधारने के पहले कदम उठाये जा चुके हैं। उदाहरणार्थ १६ पदार्थों पर से मूल्य सम्बन्धी नियंत्रण हटा लिया गया है। लाइसेंस देने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।

कुछ समय पूर्व परिवहन और विद्युत् के सम्बन्ध में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया है और विद्युत् के सम्बन्ध में जो एक महत्वपूर्ण वस्तु है हम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे?

हम बिजली के ७० लाख किलोवाट अधिष्ठापित-क्षमता के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, दूसरी योजना में बिजली परियोजनाओं में कुछ कमियां आ जाने के कारण तीसरी योजना के आरम्भ के दो वर्षों में बिजली संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब ये कमियां दूर कर दी गई हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की स्थिति बहुत सन्तोषजनक हो जायेगी।

परिवहन संबंधी व्यवस्था में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोयले की ढुलाई नहीं की जा सकी। अब इस स्थिति में भी काफी सुधार हो गया है। यह क्षमता......के अन्त तक लक्ष्य से ६ प्रतिशत अधिक हो जायेगी।

**श्री हरि विष्णु कामत :** श्री नियोगी ने त्यागपत्र दे दिया है ।

**श्री नाथ पाई :** सरकार ने इस्पात तथा अन्य वस्तुओं का लक्ष्य पूरा नहीं किया था इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया ।

**श्री नन्दा :** तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो जायगा इस लिए इस कमी का प्रश्न ही नहीं आता ।

निर्यात में ८ प्रतिशत वृद्धि हुई है । हमें विदेशी मुद्रा कमाने के लिये निर्यात करना आवश्यक है । निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिये अन्यथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे ।

मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये हमें यथासंभव उत्पादन में वृद्धि के प्रयत्न करने चाहिये । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बहुत प्रयत्न किये गये हैं तथा किए जा रहे हैं । हमने स्वयनात्मक कृषि उत्पादन कार्यक्रम अपनाया है। हमने इसके लिये कुछ क्षेत्रों को इस कार्य के लिये चुना है जिनमें उत्पादन बढ़ाने के लिये यथासंभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से कुछ कृषि प्रशासन सम्बन्धी परिवर्तन किए गए हैं । सामुदायिक विकास कार्यों में गति पैदा की जा रही है । ग्राम सेवकों को सीधा कृषि विकास अधिकारी के अधीन रखा गया है । प्रत्येक राज्य में समन्वय तथा कार्य निष्पादन के लिये कृषि आयोग नियुक्त किए गए हैं । कृषकों को आवश्यक सामान, उर्वरक आदि के संभरण के लिये उचित व्यवस्था की गई है ।

कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये सस्ते मूल्य वाली दुकाने खोलकर कुछ तात्कालिक कदम उठाय गये हैं । गहूं और चावल की सस्ते मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाई गई है । इसके अतिरिक्त हम इन खाद्यान्नों का और अधिक मात्रा में निर्यात कर रहे हैं ।

**श्री क० दे० मालवीय** (बस्ती) : खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडार होते हुए भी मूल्य निरन्तर क्यों बढ़ते जा रहे हैं ?

**श्री नन्दा :** यह भी एक पहलू है । सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये यथा सम्भव प्रयास कर रही है ।

मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न एक कठिन समस्या है । इस पर अन्य दूसरे पहलुओं को सामने रख कर विचार किया जाना चाहिये । देश की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये अधिक धन की आवश्यकता है इसलिये क्रय शक्ति पर दवाब जारी है । यह दबाव कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो परियोजनायें बन रही हैं, उनमें कुछ समय पश्चात् उत्पादन प्राप्त हो सकेगा। इस दिशा में कुछ किया गया है वह मूल्य रोकन के लिये काफी नहीं है अभी कुछ और अधिक और किये जाने की आवश्यकता है ।

**Shri Rameshwaranand** (Karnal) : I am not asking how the hon. Minister will strength other departments and increase their output. What I want to know is the help that Government is giving to the farmer in order to increase the production of foodgrains. Is he saying so on the basis of any figures or is it just what he himself feels ?

**Mr Speakers :** Has Swamiji followed that the hon. Minister has stated ?

**Shri Rameshwaranand :** Sir, it has nothing to do with my having followed it or not. I only want to know in what way Government helps the farmer.

**Mr. Speaker :** If swamiji is not following, how has he been able to put this question ?

**Shri Rameshwaranand :** Mr. Speaker, why should you go into this? What I want is a reply to my question. When weather is favourable and production good, Government claims to have done it all. But when weather is unfavourable, Government says that production has been less on this account. I want to know what direct help is being given by the Government to the farmer so that he may produce more foodgrains. Is the hon. Minister making it out on the basis of figures ?

**श्री नन्दा:** मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये हमारे द्वारा किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण जमाखोरी और चोरबाजारी है जो समाज के शत्रु हैं। हमें इन्हें समाप्त करने के लिये प्रयत्न करने हैं। मूल्यों में वृद्धि सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये हम सब को काम करना होगा। मंहगाई भत्ता बढ़ाने से यह समस्या हल नहीं होगी क्योंकि चाए भत्ता कितना ही बढ़ाया जाय मूल्य भी साथ साथ उतने ही बढ़ जायेंगे। इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए समस्या का कोई दूसरा ही हल निकालना होगा। स्वतन्त्रदल के कुछ माननीय सदस्य कन्ट्रोल अथवा सहकारी समितियों के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि इससे गैर सरकारी क्षेत्र को धक्का पहुंचता है।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : यह किस ने कहा कि सहकारी स्टोर्स नहीं होने चाहिये। किन्तु यह ऐसे नहीं होने चाहिये जिससे कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो जैसा कि एक मामला पिछले कुछ दिनों में प्रकाश में आया है।

**श्री नन्दा :** मूल्यों में वृद्धि रोकने का प्रश्न दीर्घकालीन है और बिना किसी प्रकार के कानूनी उपायों द्वारा यह नहीं सुलझ सकता है। आपात्काल की घोषणा के समय व्यापारियों ने आश्वासन दिया था कि व मूल्यों में वृद्धि नहीं होने देंगे। मुनाफाखोरी को रोकने का उन्होंने वचन दिया था किन्तु आज स्थिति बिल्कुल उलटी दिखाई दे रही है। थोक व्यापारियों तथा खुदरा व्यापारियों पर लागू होने वाले कानूनों का ठीक ढंग स पालन नहीं किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में कुछ कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

देश में समाजवाद की स्थापना तथा समानता के लिये असमनता की खाई को कम करना आवश्यक है। गैर सरकारी स्वामित्व का पुर्नविलोकन करना होगा, हमें कुछ भूमि सम्बन्धी सुधार करने हैं तथा भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी होगी। उपभोग और स्वामित्व के समूच ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि यही दो मूल बातें हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। उपभोग बढ़ाने के लिये उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है और उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्पादकों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। इस लिये इस सम्बन्ध में हमें कुछ ठोस कार्य करना है। हमारी योजनाओं के परिणामस्वरूप हमारी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है किन्तु साथ ही साथ हमारी जन संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है जिससे अभी हमारी समस्याओं का पूरा हल नहीं हो पाया है। योजनाओं में जो अवरोध हैं वे प्रजातन्त्र में होना स्वाभाविक हैं। किन्तु, जैसा कि कुछ सदस्य चाहते हैं, हम आयोजन-कार्य को समाप्त कर नहीं सकते हैं।

हमारी योजनायें बहुत अच्छी किस्म की हैं और अपने आप में पूर्ण हैं किन्तु इन्हें क्रियान्वित करने में कुछ त्रुटियां रह गई हैं। इन्हें व्यापक रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है। हमें योजनाओं की परिधि को बढ़ाना होगा। ये योजनायें इतनी व्यापक होनी चाहिये कि इनमें रोजगार की संभाव्यता होनी चाहिये, हमें योजना का एसा तरीका अपनाना होगा जिसके अन्तर्गत गांवों में लघू

[श्री नन्दा]

उद्योग स्थापित किए जायें जिनमें उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण किया जाये जिससे सब को कुछ न कुछ रोजगार मिलता रहे ।

प्रशासन सम्बन्धी सुधार करने के लिये प्रशासनिक कुशलता का स्तर ऊंचा उठाना है और प्रक्रियायें बनानी हैं। वर्तमान प्रशासन में विलम्ब संबंधी कमी आम पाई जाती है। इसलिये इस बारे में जांच करनी होगी तथा इस कमी को दूर करना होगा। इसके कृत्यों में परिवर्तन करने के लिये समूचे प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करना होगा। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिये एक प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी विभाग स्थापित किया जा रहा है जो शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देगा और हो सकता है भविष्य में एक प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी आयोग की स्थापना करनी पड़े ।

भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सतर्कता आयोग की स्थापना एक प्रयोगात्मक कदम है । यदि इस सम्बन्ध में और भी आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी, हम करने को तैयार हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार को सार्वजनिक संगठनों का सहयोग तथा सहायता लेनी पड़ेगी तभी सरकार इस दिशा में सफल हो सकेगी। एक संगठन की स्थापना की जा रही है जिसमें सामाजिक, धार्मिक, तथा अन्य संस्थाओं के सदस्यों का प्रतिनिधान होगा, यह संस्था एक गैर-सरकारी शिकायत विभाग के रूप में कार्य करेगी। मैंने कुछ दिन पूर्व व्यापार और उद्योगों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में उन्हें बताया था कि घूस देकर काम बनाने की पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिये । घूस लेने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना कि घूस देने वाला। उन्हें इसका परित्याग करना चाहिये, हमने उनके विरुद्ध शिकायतों पर उचित कार्यवाही करने के लिये पूर्ण व्यवस्था कर ली है ।

राजनीति में ऊंचे स्तर पर विद्यमान भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं :

"(१) विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के तरीकों की परिभाषा की जानी चाहिये ;

(२) केन्द्र तथा राज्यों में मंत्रियों की नेकनीयती के बारे में कड़े मापदण्डों का पालन किया जाना चाहिये ;

(३) केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करेगा और प्रत्यक्षतः कोई मामला हुआ तो ऐसे मंत्रियों को पदत्याग करने को कहा जायेगा ;

(४) यदि मामले में और अधिक कार्यवाही करने की आवश्यकता हो तो परिस्थिति के अनुसार यह मामला किसी अन्य उपयुक्त अभिकरण को सौंप दिया जायेगा ; (उपयुक्त अभिकरण का तात्पर्य जांच आयोग जैसी संस्था से है) ;

(५) इस प्रकार के मामले भी होंगे जिनमें नियमित रूप से जांच करनी पड़ेगी ;

(६) जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, वह मुख्य मंत्रियों को वही दायित्व निभाने पड़ेंगे जो केन्द्र में गृह-कार्य मंत्री को निभाने हैं ; और

(७) यदि मुख्य मंत्री स्वयं फंसा हो तो वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो केन्द्र के मंत्रियों पर लागू हैं ।"

**श्री अ० प्र० शर्मा** (बक्सर) : विधायकों और संसद्-सदस्यों के मामलों में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

**श्री नन्दा :** हम धर्मनिर्पेक्षता के सिद्धान्त को मानते हैं इसलिये हम साम्प्रदायिक दंगों के विरुद्ध हैं । सरकार देश में साम्प्रदायिक दंगे पैदा करने वाले प्रत्येक प्रयास को सख्ती से दबायेगी । कोई व्यक्ति अथवा दल, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय से सम्बन्धित हों, जनता को भड़कायेगा उनके विरुद्ध इस जघन्य अपराध के लिये कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

कलकत्ता में हुए उपद्रवों में मुस्लिम जनता को जो कष्ट उठाने पड़े हैं सरकार उनके प्रति सजग है । मुसलमानों पर यह आरोप लगाना गलत है कि कलकत्ता में उन्होंने दंगों की पहल की है, यद्यपि यह सच है कि कई स्थानों में मुसलमानों ने हिन्दुओं का जोरदार मुकाबला किया । यह सम्भव है कि वहां पर जनता को दंगों के लिए उकसाने वाले कुछ पाकिस्तानी एजेन्टों ने यह कार्य किया हो । पश्चिम बंगाल में उपद्रव करने के लिये समाचारपत्र भी, उत्तेजनात्मक समाचार प्रकाशित करके किसी सीमा तक उत्तरदायी हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के फिर से बसाने के लिये सरकार पूरा प्रबंध कर रही है । उन्हें भारत आने सम्बन्धी सभी आवश्यक सुविधायें दी जा रही हैं । जो लोग बड़ी संख्या में बिना प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के भी भारत में आ रहे हैं उन्हें भी पूरी सुविधायें दी जा रही हैं । प्रव्रजन प्रमाणपत्र देने में जितना सम्भव हो सकता है हमने सुविधायें दे दी हैं । जो भी भारत आना चाहता है वह बिना किसी असुविधा के प्रव्रजन प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है इस दिशा में यदि कुछ और अधिक करने की आवश्यकता हुई तो हम करने के लिये तैयार हैं । कुछ माननीय सदस्यों का, यह आरोप लगाना कि सरकार प्रव्रजन प्रमाणपत्र जारी करने में कड़ा बर्ताव कर रही है, मिथ्या है ।

काश्मीर के सम्बन्ध में श्री शास्त्री जी प्रकाश डाल चुके हैं इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी सभा को दे दी है । काश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से राजनैतिक विलय हो चुका है । अब केवल केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सम्बन्धों के बारे में समस्या सुलझानी रह गई है । विभिन्न दलों में जो मतभेद पैदा हो गया है उसे दूर करना रह गया है ।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** (गोपालगंज) : सरकार जम्मू के एक मन्दिर से चोरी गई मूर्त्तियों को प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

**श्री नन्दा :** इन मूर्त्तियों का पता लगाने के लिये यथासंभव प्रबन्ध किया गया है, इस सम्बन्ध में यदि राज्य सरकार किसी प्रकार की सहायता चाहे तो हम देने के लिये तैयार हैं ।

कुछ लोगों ने मांग की है कि आपातकाल की स्थिति समाप्त की जानी चाहिये क्योंकि अब देश में इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है । आज देश के सामने पहले से भी अधिक संकट बना हुआ है, इसलिये सरकार इसे अभी समाप्त नहीं करना चाहती है ।

**श्री नाथपाई :** जनता ने आपातकाल में सारी शक्तियां सरकार को दे रखी हैं तथा वह इसके प्रति सजग है जबकि सरकार बिल्कुल भी सजग नहीं है । सरकार संकटकाल का परिहास कर रही है । क्या सरकार ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है ?

**श्री रंगा :** हमें उस प्रतिज्ञा से मुक्त किया जाये जो हमने आपके साथ की थी क्योंकि सरकार इसका पालन नहीं कर रही है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मंत्री महोदय को अपना भाषण समाप्त करने दें ।

**श्री नन्दा** : कुछ सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसी भी समस्या का हल नहीं कर पाई है । इसमें आंशिक रूप से सत्यता हो सकती है हम कुछ समस्या हल नहीं कर पाये हैं; किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी सरकार ने जो कुछ किया है वह सराहनीय है । ऐसा कौनसा देश है जो इस बात का दावा करता है कि विश्व में हो रही स्थिति को देखते हुए उसने सारी समस्यायें हल की हैं । हमें समस्याओं को हल करने के लिये मिल कर कार्य करना चाहिये । तभी हम उन्नति कर सकते हैं ।

**Shri Rameshwaranand :** This is possible only when you put an end to all parties. Let Congress be the first to go. Thereafter we can have a coalition Government and there would be no agitation at all.

**Shri Sheo Narain** (Bansi) : Swamiji wants that the whole country should become 'swami'.

**Mr. Speaker :** : Everybody tries to become a 'swami'.

**Shri Rameshwaranand :** The country would lose nothing even if everybody becomes a 'swami'. The population is fast increasing.

**श्री त्यागी** (देहरादून) : इससे पहले कि आप संशोधन सभा के सामने रखें, क्या प्रतिरक्षा मंत्री कल लापता हुए विमान के बारे में सभा को बताने की कृपा करेंगे ? यह एक महत्वपूर्ण विषय है । क्या हमारी सीमाओं पर पर्याप्त सतर्कता की व्यवस्था की गई है ?

**श्री नन्दा** : महोदय, मुझे कल राज्य-सभा में वाद-विवाद का उत्तर देना है । आपने कल प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद मुझे इस सभा में उपस्थित होने का निदेश दिया है । मुझे इस सभा और राज्य सभा दोनों में उपस्थित होना है । मैं नहीं जानता कि इसको कैसे सुलझाया जायेगा ।

**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मेरे विचार से इस विषय को मध्याह्न पश्चात् लिया जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : गृह-कार्य मंत्री जी मध्याह्न-पूर्व इस सभा में उपस्थित होने में असमर्थ हैं । इसलिये इसे मध्याह्न पश्चात् लिया जाना चाहिए ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : इसके लिये ४ बजे का समय निर्धारित किया जाये ।

**श्री नाथपाई** : यदि आप इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे तो यह कठिन हो जायेगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ४-३० बजे इस सभा में उपस्थित रहेंगे ।

**श्री त्यागी** : प्रतिरक्षा मंत्री लापता विमान के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं ।

**श्री नाथपाई** : मैं आपकी अनुमति से केवल एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब रहने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिए रखे तथा
अस्वीकृत हुए ।

**Amendment Nos. 1 and 2 were put and negatived.**

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**Amendment No. 3 was put and negatived.**

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ मतदान के लिए रखा गया ।

**Amendment No. 6 was put to the Vote of the House.**

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

**The Lok Sabha divided :**

पक्ष में ३; विपक्ष में ११०

**Ayes 3; Noes 110.**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

**The amendment was negatived.**

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७, ८ और ९ मतदान के लिए रखे गये तथा
अस्वीकृत हुए ।

**Amendment Nos. 7, 8 and 9 were put and negatived.**

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० मतदान के लिए रखा गया

**Amendment No. 10 was put to the Vote of the House.**

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

**The Lok Sahba divided**

पक्ष में ६; विपक्ष में १०८

**Ayes 6; Noes. 108.**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

**The motion was negatived.**

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**Amendment No. 11 was put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं धन्यवाद के प्रस्ताव को लेता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति महोदय के उस अभिभाषण के लिये उनके अत्यन्त आभारी हैं,

[अध्यक्ष महोदय]

जो उन्होंने १० फरवरी, १९६४ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

---

## भारतीय वायुसेना के एक विमान के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT REGARDING MISSING I. A. F. AIRCRAFT

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : अध्यक्ष महोदय, लापता विमान को ढूंढने के लिये किये गये सारे प्रयत्न निष्फल रहे हैं । खोज करने वाले दल वायुयानों द्वारा तथा स्थलीय साधनों द्वारा पिछले दिन से विमान की खोज कर रहे किन्तु दुर्भाग्यवश विमान का अभी तक पता नहीं चल सका । इस बात की शंका हो रही है कि कदाचित विमान त्रुटि से पाकिस्तानी क्षेत्र में चला गया है जहां या तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या बलात नीचे उतार लिया गया है । यह संभावित शंका तथा भय है । इस सम्बन्ध में पूछताछ करने के लिये हमने पाकिस्तान स्थित अपने उच्चायुक्त से कहा है ।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय अथवा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से, साधारण रूप से राजनयिक आधार पर यह जानने के प्रयत्न किये कि पाकिस्तान सरकार को विमान के बारे में किसी प्रकार की जानकारी है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी ने बताया है कि पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त को पाकिस्तान सरकार से इस बारे में पता लगाने के लिये कहा गया है ।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, कल माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया था कि विमान में बैठे व्यक्तियों के निकटसंबंधियों को सूचना दे दी गयी है, जिससे हमारे मन में गलतफहमी पैदा हो गई थी क्योंकि साधारणतया अत्यन्त दुखदाई घटना घटने पर ही संबंधियों को सूचित किया जाता है ।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : विमान के लापता के बारे में उनके संबंधियों को सूचित किया गया है ।

**इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २० फरवरी, १९६४ / १ फाल्गुन, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 20, 1964 Phalguna 1, 1885 (Saka).**

---



GMGIPND—LLIII—2253(Ai)—LSD—18-5-63—600